



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01102020-222182  
CG-MH-E-01102020-222182

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]  
No. 397]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/आश्विन 6, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
अधिसूचना

मुम्बई, 28 सितम्बर, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ]  
(चौथा संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/31.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-
  1. विनियम 3 में,

- क. उप-विनियम (ख) में, शब्दों “दस करोड़” के लिए, शब्द “पचास करोड़” प्रतिस्थापित हो जाएंगे
- ख. पहले परंतुक में, शब्दों “दस करोड़” के लिए, शब्द “पचास करोड़” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- II. विनियम 60 में, शब्दों “दस करोड़” के लिए, शब्द “पचास करोड़” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- III. विनियम 61 में, स्पष्टीकरण में, शब्दों “निर्गमकर्ता के संप्रवर्तकों या निदेशकों” के लिए, शब्द “वहाँ उल्लिखित उन व्यक्तियों या एंटिटियों” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- IV. विनियम 62 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-  
 “(ग) उसने विशिष्ट परियोजना (जिसका वित्तपोषण निर्गम से आए पैसों से किए जाने का प्रस्ताव हो) के लिए बताए गए वित्तपोषण के माध्यमों के पचहत्तर प्रतिशत के पक्के इंतजाम ऐसे माध्यमों के जरिए कर लिए हैं, जिनकी पुष्टि की जा सकती हो, किंतु जिनमें प्रस्तावित साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) के जरिए जुटाई जाने वाली रकम और मौजूदा आंतरिक एकूअल (जिनकी पहचान की जा सकती हो) शामिल नहीं हैं।  
 स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “विशिष्ट परियोजना के वित्तपोषण” से केवल पूँजीगत व्यय के लिए किया जाने वाला वित्तपोषण अभिप्रेत है।”
- V. अध्याय-III में, भाग-IV में, शीर्षक में, शब्दों और चिहनों “अग्रणी प्रबंधकों, अन्य मध्यवर्तियों और अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) की नियुक्ति” के लिए, शब्द और चिह्न “अग्रणी प्रबंधकों (लीड मैनेजर्स) और अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) की नियुक्ति” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- VI. विनियम 69 में, उप-विनियम (8) का लोप हो जाएगा;
- VII. विनियम 70 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों और चिहनों “भाग-क या भाग-ख” के लिए, शब्द और चिह्न “भाग-ख या भाग-ख-1” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- VIII. विनियम 71 में, उप-विनियम (2) में, खंड (घ) में, शब्दों और चिह्न “भाग-ड” के लिए, शब्द और चिह्न “भाग-च” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- IX. विनियम 74 में, उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
 “परंतु यह कि ऐसी अधिकारों संबंधी हकदारियों (राइट्स एन्टाइट्लमेंट्स) का प्रस्ताव करने के प्रयोजनार्थ, निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी के लिए अधिकारों संबंधी हकदारियाँ जमा कराना जरूरी नहीं होगा।” ;
- X. विनियम 78 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
 “परंतु यह कि स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक ऐसे आवेदन फॉर्म केवल तभी स्वीकार करेंगे, जब सादे कागज पर किए जाने वाले आवेदन में इन विनियमों के अनुसार आवेदन करने के लिए जरूरी सभी ब्यौरे भरे जाएँ।” ;
- XI. विनियम 82 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों चिहनों “निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स)” के लिए, शब्द और चिह्न “निर्गम (इश्यू) से वास्तव में जुटाए गए पैसे (प्रोसीड्स)” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- XII. विनियम 84 में, उप-विनियम (1) में,  
 क. खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-  
 “ग) यह कथन कि यदि अधिकारों संबंधी हकदारियाँ पाने के लिए पात्र शेयरधारकों को न तो मूल आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हों और न ही वे फॉर्म प्राप्त करने की स्थिति में हों; तो वे साधिकार निर्गम में अभिदान करने (पैसा लगाने / सबस्क्रिप्शन करने) के लिए रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजों या अग्रणी प्रबंधकों

(लीड मैनेजर्स) के वेबसाइट पर दिए हुए फॉर्म के जरिए अथवा सादे कागज पर लिखित रूप में आवेदन कर सकेंगे जिसके साथ एक फॉर्मेट लगाया जाएगा जिसके अंतर्गत आवश्यक विवरणों का उल्लेख हो, जैसे कि नाम, पता, साधिकार निर्गम का अनुपात, निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस), कितनी इक्विटी शेयर धारण करते हैं, लेजर फोलियो नंबर, निक्षेपागार सहभागी की आई.डी., ग्राहक की आई.डी., कितने इक्विटी शेयरों के हकदार हैं तथा कितने इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया है, अतिरिक्त शेयर यदि कोई हों, और स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक के यहाँ कितनी रकम निरुद्ध (ब्लॉक) कराई जानी है;" ;

ख. खंड (घ) का लोप हो जाएगा;

XIII. विनियम 86 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि न्यूनतम अभिदान संबंधी मानदंड निर्गमकर्ता (इश्युअर) के प्रति लागू नहीं होंगे, यदि:

- (क) निर्गम के उद्देश्य में परियोजना (प्रोजेक्ट) पर होने वाले पूँजीगत व्यय का वित्तपोषण शामिल न होकर कोई और वित्तपोषण शामिल हो; और
- (ख) निर्गमकर्ता (इश्युअर) के संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेंट) के अपने पूरे हिस्से का अभिदान करने (में पैसा लगाने / सबस्क्रिप्शन करने) का वचन देते हों और अपने अधिकारों का त्याग न करते हों, सिवाय वहाँ जहाँ त्याग संप्रवर्तक समूह के भीतर हो।"

XIV. विनियम 90 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों "आबंटन नहीं करेगा" के पश्चात्, शब्द और चिह्न " , किंतु विनियम 74(1) एवं (2) में किए गए प्रावधानों के अनुसार आबंटन किया जा सकेगा" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

XV. विनियम 93 में, उप-विनियम (4) में, शब्दों और चिह्नों "सिंडिकेट सदस्य (सदस्यों) या बैंक की संग्रहणकर्ता शाखाओं और/या" तथा शब्दों और चिह्न "प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्रेषित नहीं कर दिए जाते," का लोप हो जाएगा;

XVI. विनियम 99 में,

क. खंड (ज) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

"ज) संदर्भ तारीख तक निर्गमकर्ता या उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या पूर्णकालिक निदेशकों के खिलाफ बोर्ड द्वारा कोई कारण बताओ सूचना [उन्हें छोड़कर जो शास्ति (पेनल्टी) लगाने के लिए की गई कार्यवाहियों के संबंध में जारी की गई हों] जारी न की गई हो और न ही लंबित हों;

जिन मामलों में निर्गमकर्ता या उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या पूर्णकालिक निदेशकों के खिलाफ,

i) शास्ति (पेनल्टी) लगाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही के तहत बोर्ड द्वारा कारण बताओ सूचना (सूचनाएँ) जारी की गई हो (हों); या

ii) बोर्ड द्वारा अभियोजन कार्यवाहियाँ (प्रॉसीक्यूशन प्रोसीडिंग्स) शुरू की गई हों;

उन मामलों में प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में ऐसी कार्रवाई (कार्रवाईयों) से संबंधित जरूरी प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र्स) का उल्लेख किया जाएगा और साथ ही यह भी उल्लेख किया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई (कार्रवाईयों) से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;" ;

ख. खंड (ड) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

“ड) जिन वित्तीय वर्षों के संबंध में लेखों को प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में प्रकट किया जाता हो, उन वित्तीय वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में यदि लेखापरीक्षा करने पर कोई अभिमत दिया गया हो, तो निर्गमकर्ता (इश्युअर) लेखापरीक्षा करने पर दिए गए अभिमतों के असर के अनुसार बदलाव आदि करने के बाद रीस्टेटेड वित्तीय विवरण देगा।

इसके अलावा, जिन अभिमतों के वित्तीय विवरणों पर होने वाले असर को आंका न जा सके, उनके बारे में उपयुक्त रूप से प्रस्ताव-पत्र में प्रकटीकरण किया जाएगा।” ;

#### XVII. अनुसूची-VI में,

क. भाग-ख निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

#### “भाग-ख – प्रस्ताव-पत्र में प्रकटीकरण

#### [विनियम 70(2) देखें]

(1) निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर) प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) / प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में, इस भाग के खंड (4) में दिए हुए प्रकटीकरण करेगा:

(क) तीव्र-पथीय निर्गम (फास्ट ट्रेक इश्यू) के मामले में नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से और किसी अन्य मामले में, बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव-पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से, ठीक पहले के एक वर्ष हेतु सूचीबद्धता करार (लिस्टिंग एग््रीमेंट) या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015], जो भी लागू हो, के अनुसार आवधिक रिपोर्टें, विवरण और जानकारी प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) ऊपर उप-खंड (क) में उल्लिखित रिपोर्टें, विवरण और जानकारी किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर उपलब्ध हों;

(ग) निर्गमकर्ता (इश्युअर) के पास निवेशकों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था हो, जिसमें शामिल है – समय-समय पर हितधारक (स्टेकहोल्डर्स) संबंध समिति की बैठकें आयोजित करवाना, शेयरों के अंतरण (ट्रांसफर) के संबंध में निर्गमकर्ता (इश्युअर) के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) द्वारा उपयुक्त रूप से शक्तियाँ सौंपना और निवेशकों की शिकायतों का समय से तथा संतोषजनक रूप से निवारण करने हेतु स्पष्ट रूप से व्यवस्थाएँ एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित करना।

(2) यदि निर्गमकर्ता खंड (1) में दी हुई शर्तों को पूरा नहीं करता, तो वह प्रस्ताव-पत्र में वे प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स) करेगा जिनका उल्लेख इस अनुसूची के भाग-ख-1 में किया गया है।

(3) निम्नलिखित निर्गमकर्ता (इश्युअर्स) अनिवार्य रूप से प्रारूप प्रस्ताव-पत्र / प्रस्ताव-पत्र में वे प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स) करेंगे जिनका उल्लेख इस अनुसूची के भाग-ख-1 में किया गया है:

(क) वह निर्गमकर्ता, जिसके प्रबंध-मंडल में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, जो भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रण के अर्जन (एक्विज़िशन) के अनुसरण में कोई परिवर्तन हुआ हो और जो ऐसे परिवर्तन के बाद पहली बार निर्धारित प्रतिभूतियों का साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) ला रहा हो और ऐसे परिवर्तन के बाद तीन पूरे वर्षों की अवधि पूरी न हुई हो;

(ख) वह निर्गमकर्ता, जिसकी निर्धारित प्रतिभूतियाँ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर स्कीम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-234 के तहत अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा मंजूर स्कीम, जो भी लागू हो, के अनुसरण में उसकी निर्धारित प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 के उप-नियम (7) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई झूट के परिणामस्वरूप सूचीबद्ध कराई गई हों, और जो ऐसी सूचीबद्धता के बाद पहली बार निर्धारित प्रतिभूतियों का साधिकार निर्गम ला रहा हो और ऐसी सूचीबद्धता के बाद तीन पूरे वर्षों की अवधि पूरी न हुई हो।

(4) साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) का प्रस्ताव करने वाला निर्गमकर्ता, प्रस्ताव-पत्र में निम्नलिखित प्रकटीकरण, जहाँ तक संभव हो, उसी क्रम में करेगा जिस क्रम में उनका यहाँ उल्लेख किया गया है:

(I) कवर पेज: कवर पेज के कागज की मोटाई पर्याप्त होगी (न्यूनतम सौ जीएसएम क्वालिटी वाला)।

(क) सामने वाले कवर पेज:

- i. सामने वाले कवर पेज का अंदरूनी हिस्सा खाली छोड़ा जाएगा।
- ii. सामने वाले कवर पेज के बाहरी हिस्से पर केवल निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे:

(क) प्रस्ताव-पत्र का प्रकार ("प्रारूप प्रस्ताव-पत्र" या "प्रस्ताव-पत्र")।

(ख) प्रारूप प्रस्ताव-पत्र / प्रस्ताव-पत्र की तारीख।

(ग) निर्गमकर्ता (इश्युअर) का नाम, उसका लोगो, उसका गठन (निगमन) किस तारीख को और कहाँ हुआ, कारपोरेट पहचान संख्या (कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर), दूरभाष संख्या, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और कारपोरेट कार्यालयों का पता, वेबसाइट और ई-मेल (उल्लेख करें कि क्या निर्गमकर्ता के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते में या उसके नाम में कोई बदलाव हुआ है, प्रस्ताव दस्तावेज के उस पृष्ठ का उल्लेख करें जहाँ इस संबंध में ब्यौरे दिए हुए हों)।

(घ) किस प्रकार की निर्धारित प्रतिभूतियों का प्रस्ताव लाया जा रहा है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी कीमत क्या है तथा निर्गम (इश्यू) का आकार क्या है (जो भी लागू हो)।

(ङ) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) का नाम।

(च) इस संबंध में ब्यौरे कि क्या निर्गमकर्ता या उसका कोई संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या निदेशक इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) है।

(छ) "सामान्य जोखिम" के संबंध में निम्नलिखित खंड बॉक्स फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा:

"इक्विटी और इक्विटी संबंधी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने में जोखिम होता है और निवेशकों को इस प्रस्ताव में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे ऐसे निवेश से संबंधित जोखिम उठा न सकें। निवेशक इस प्रस्ताव (ऑफरिंग) में निवेश के संबंध में निर्णय लेने से पहले जोखिम कारकों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए, निवेशक निर्गमकर्ता तथा प्रस्ताव (इससे जुड़े जोखिमों आदि सहित) के संबंध में स्वयं द्वारा की गई जाँच-पड़ताल पर ही भरोसा करें। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा न तो इन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सिफारिश की गई है, न तो इन्हें मंजूरी आदि दी गई है और न ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) इस दस्तावेज के पूरी तरह सही होने या पर्याप्त होने की गारंटी देता है। निवेशकों का ध्यान विशेष रूप से खंड "सामान्य जोखिम" के तहत पृष्ठ संख्या ..... पर दिए गए "जोखिम कारकों" के विवरण की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

(ज) "निर्गमकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी" के संबंध में निम्नलिखित खंड बॉक्स फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा:

"निर्गमकर्ता, सभी जरूरी जाँच करने के बाद, इस बात की जिम्मेदारी स्वीकारता है और यह पुष्टि करता है कि इस प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में निर्गमकर्ता और निर्गम से संबंधित वह समस्त जानकारी दी गई है, जो निर्गम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और यह कि प्रस्ताव-पत्र में दी हुई जानकारी समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं के लिहाज से सत्य एवं सही है और किसी भी महत्वपूर्ण पहलू के लिहाज से भ्रामक नहीं है, यह कि इसमें दी हुई राय आदि ईमानदारी से प्रस्तुत की गई है और यह कि ऐसा कोई भी अन्य तथ्य नहीं है, जिसे शामिल न करने से यह दस्तावेज पूरी तरह से या इसमें दी हुई कोई जानकारी या दी हुई कोई राय आदि किसी भी महत्वपूर्ण पहलू के लिहाज से भ्रामक बन जाए।"

(झ) उन सभी अग्रणी प्रबंधकों के नाम, लोगो और पते, उनके टाइटल के साथ, जिन्होंने पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) पर हस्ताक्षर किए हों और बोर्ड के पास प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल किया हो, और साथ ही उनकी दूरभाष संख्या, उनके वेबसाइट और उनकी ई-मेल आईडी। [जहाँ अग्रणी प्रबंधकों में से कोई अग्रणी प्रबंधक निर्गमकर्ता का सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) हो, वहाँ वह यह प्रकटीकरण करेगा कि वह निर्गमकर्ता का सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) है और यह कि उसकी भूमिका निर्गम की मार्केटिंग किए जाने तक ही सीमित है।]

(ञ) निर्गम रजिस्ट्रार का नाम, लोगो और पता, और साथ ही उसकी दूरभाष संख्या, उसका वेबसाइट और उसकी ई-मेल आईडी।

(ट) निर्गम की समय-सारणी:

- निर्गम खुलने की तारीख
- निर्गम बंद होने की तारीख

(ठ) उस (उन) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का (के) नाम, जहाँ निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध हों, और उन्हें सूचीबद्ध कराने के संबंध में उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) से प्राप्त सैद्धांतिक मंजूरी के ब्यौरे।

## (II) पीछे वाले कवर पेज:

पीछे वाले कवर पेज का अंदरूनी हिस्सा और पीछे वाले कवर पेज का बाहरी हिस्सा खाली छोड़ा जाएगा।

(III) **विषय-सूची:** विषय-सूची सामने वाले कवर पेज के अंदरूनी हिस्से के ठीक बाद दी जाएगी।

## (IV) परिभाषाएँ और संक्षेपाक्षर:

(क) आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले या सामान्य शब्द आदि

(ख) निर्गम से संबंधित शब्द आदि

(ग) निर्गमकर्ता और उद्योग से संबंधित शब्द आदि

(घ) संक्षेपाक्षर

(V) **प्रस्ताव-पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण:** इस खंड में निम्नलिखित जानकारी, जो भी लागू है, संक्षेप में दी जाएगी:

- (क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) का मुख्य कारोबार (अधिक से अधिक 50 शब्दों में);
- (ख) निर्गम के उद्देश्य (सारणी में);
- (ग) निम्नलिखित के संबंध में संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह का इरादा क्या है और उनकी हिस्सेदारी कितनी है:
- क. उनकी अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेंट)
- ख. अपनी अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेंट) से ज्यादा अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्रिप्शन करने) का उनका इरादा
- (घ) चल रहे मुकदमों का सारांश (सारणी में) और "चल रहे मुकदमों और चूकों" से संबंधित खंड का संदर्भ आदि (क्रॉस-रेफरेंस)।
- (ङ) "जोखिम कारकों" से संबंधित खंड का संदर्भ आदि (क्रॉस-रेफरेंस)।
- (च) निर्गमकर्ता की आकस्मिक (कंटिजेंट) देयताओं (जैसा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो) का संदर्भ आदि (क्रॉस-रेफरेंस)।
- (छ) संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) [जैसा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो] का संदर्भ आदि (क्रॉस-रेफरेंस)।
- (ज) पिछले एक वर्ष के दौरान नकदी से भिन्न प्रतिफल के लिए किया गया इक्विटी शेयरों का निर्गमन (इश्युएंस)।

#### (VI) जोखिम कारक:

- (क) जोखिम कारक साफ तौर पर पढ़े जा सकने वाले फॉण्ट में (जिसका आकार कम से कम दस पॉइंट का हो) मुद्रित किए जाएंगे।
- (ख) जोखिम कारक निम्नलिखित के संबंध में होंगे:
- (1) निर्गम (इश्यु) और निर्गम के उद्देश्य;
  - (2) निर्गमकर्ता (इश्युअर) और उसका मौजूदा कारोबार;
  - (3) चल रहे मुकदमों का सारांश, जैसा मुकदमों से संबंधित खंड में सारणी रूप में उल्लेख किया गया हो, साथ ही यह भी उल्लेख किया जाए कि इस संबंध में कितनी देनदारी (जहाँ भी गणना की जा सकती हो) बन सकती है। निर्गमकर्ता (इश्युअर) उन आपराधिक और विनियामक (रेग्युलेटरी) मामलों की जानकारी अलग से देगा, जिनसे निर्गमकर्ता पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।
- (ग) जोखिम कारक इस आधार पर तय किए जाएंगे कि उनका कितना ज्यादा असर पड़ सकता है। ऐसा करते समय, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:
- (1) कुछ ऐसे जोखिम हो सकते हैं जो अपने-आप में उतना असर न डालते हों, किंतु मिलकर काफी असर डालते हों।
  - (2) कुछ ऐसे जोखिम हो सकते हैं जिनका असर तो काफी होता है, किंतु जिन्हें मापा न जा सकता हो।
  - (3) कुछ ऐसे जोखिम हो सकते हैं जिनका असर अभी न हो, किंतु आगे चलकर जिनका काफी असर हो सकता हो।
- (घ) प्रत्येक जोखिम कारक इस प्रकार रखा जाएगा:

- (1) निर्गमकर्ता के अनुसार क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं।
- (2) जोखिम से बचने के लिए प्रस्ताव, यदि कोई हो।
- (ड) जोखिमों से बचने के लिए दिए जाने वाले प्रस्तावों में किसी मामले या मुकदमे आदि में पक्ष में आने वाले फैसले के बारे में कोई काल्पनिक कथन नहीं किया जाएगा।
- (च) जोखिमों से बचने के लिए दिए जाने वाले प्रस्ताव ऐसे किसी मामले के लिए नहीं दिए जाएँगे, जो किसी न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्यूनल) के समक्ष न्यायाधीन हो।
- (छ) जोखिम कारकों को उनके असर के अनुसार घटते क्रम में प्रकट किया जाएगा। जहाँ कहीं भी जोखिमों से पड़ने वाले महत्वपूर्ण असर का उल्लेख किया जाता है, वहाँ यह भी प्रकट किया जाएगा कि कंपनी पर उसका कितना असर पड़ सकता है (जिसमें वित्तीय रूप से पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं)।

**(VII) परिचय:**

**(क) सारांश:**

- (1) निर्गम (इश्यू) के ब्यौरे, संक्षेप में।

**(ख) सामान्य जानकारी:**

- (1) रजिस्ट्रीकृत और कारपोरेट कार्यालयों का नाम, पता, कंपनी पहचान संख्या (कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर) और निर्गमकर्ता की रजिस्ट्रीकरण संख्या और उस कंपनी रजिस्ट्रार का पता, जिसके पास निर्गमकर्ता रजिस्ट्रीकृत हो।
- (2) कंपनी सेक्रेटरी और निर्गमकर्ता के अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ और ई-मेल आईडी।
- (3) निर्गमकर्ता के कानूनी लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) का नाम, दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी।
- (4) निर्गमन बैंककारों (बैंकर्स टू द इश्यू), स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंककारों (सेल्फ-सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंकर्स) और निर्गम के कानूनी सलाहकारों के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ, उनके संपर्क व्यक्ति, वेबसाइट और ई-मेल आईडी; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट का यूआरएल जिसमें स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों, निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं (शेयर ट्रांसफर एजेंट्स), निक्षेपागार सहभागियों (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स) आदि के ब्यौरे हों।
- (5) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के बीच जिम्मेदारियों के आपसी आबंटन का विवरण।
- (6) संपरिवर्तनीय ऋण लिखत (कन्वर्टिबल डैट इन्स्ट्रूमेंट) के निर्गम (इश्यू) के मामले में, साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के निम्नलिखित ब्यौरे:
  - (क) उन सभी साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियों के नाम जिनसे संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के निर्गम के लिए क्रेडिट रेटिंग (जिनमें वे रेटिंग भी शामिल हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया) प्राप्त की गई है।
  - (ख) संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के निर्गम के लिए प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग (जिनमें वे रेटिंग भी शामिल हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया) के ब्यौरे।
  - (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्गमकर्ता द्वारा सूचीबद्ध संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों (कन्वर्टिबल डैट इन्स्ट्रूमेंट) के जरिए बाजार से पैसा जुटाते समय जो भी क्रेडिट रेटिंग ली गई उसके ब्यौरे।



- (7) संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के निर्गम के मामले में डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) का नाम, पता, उसकी दूरभाष संख्या, उसका वेबसाइट और उसकी ई-मेल आईडी ।
- (8) यदि कोई अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी नियुक्त की गई हो, तो उसका नाम, पता, उसकी दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी, और यह प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) कि क्या ऐसी नियुक्ति इन विनियमों के अनुसार की गई है ।
- (9) हामीदारी (अंडरराइटिंग) के ब्यौरे:
- (क) हामीदारों (अंडरराइटर्स) के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ तथा ई-मेल आईडी और उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी रकम की हामीदारी की गई।
- (ख) निर्गमकर्ता के निदेशक मंडल द्वारा यह घोषणा कि हामीदारों के पास उनकी अपनी-अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
- (ग) निर्गम की आंशिक हामीदारी के मामले में, कितनी रकम की हामीदारी की गई ।
- (घ) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल किए गए प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में, हामीदारी की अंतिम व्यवस्था के ब्यौरे, जिसमें उन निर्धारित प्रतिभूतियों की वास्तविक संख्या का जिक्र किया जाए जिसके लिए हामीदारी की गई हो ।
- (10) यह तथ्य कि बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के यहाँ प्रस्ताव-पत्र दाखिल किया जा चुका है और बोर्ड के उस कार्यालय का भी उल्लेख किया जाए जहाँ प्रस्ताव-पत्र दाखिल किया गया ।
- (ग) पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर): पूँजी संरचना को निम्नानुसार सारणी में प्रस्तुत किया जाएगा:
- (1) प्राधिकृत (अथॉराइज़्ड), निर्गमित (इश्यूड) और अभिदत्त (सब्सक्राइब्ड) पूँजी, जो बकाया संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) [प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की संख्या, उनके विवरण और सकल अंकित मूल्य] को उपयुक्त रूप से शामिल करने के बाद निकाली गई हो ।
- (2) समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)
- (क) निर्गम के बाद की
- (ख) संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) के बाद (यदि लागू हो) की ।
- (3) बकाया लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स) के निम्नलिखित ब्यौरे:
- (क) ऑप्शन्स, यदि कोई हों, के ब्यौरे ।
- (ख) संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे ।
- (4) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा धारित निर्धारित प्रतिभूतियों के ब्यौरे, जिनमें ऐसी निर्धारित प्रतिभूतियों पर अवरुद्धता (लॉक-इन), उन्हें गिरवी रखे जाने और उनके ऋण-भार (विल्लंगम / इन्कम्प्रेन्स) के ब्यौरे शामिल हैं । यह जानकारी या तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के वेबसाइट का संदर्भ आदि देकर या फिर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में जरूरी ब्यौरे देकर दी जा सकती है ।
- (5) तीव्र-पथीय निर्गम (फास्ट ट्रेक इश्यू) के मामले में नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से और किसी अन्य मामले में, बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव-पत्र दाखिल

किए जाने की तारीख से ठीक पहले के एक वर्ष के दौरान संप्रवर्तक और संप्रवर्तक समूह द्वारा अर्जित की गई निर्धारित प्रतिभूतियों के ब्यौरे।

(6) निम्नलिखित के संबंध में क्या संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और संप्रवर्तक समूह निर्गम (इश्यू) में हिस्सा लेना चाहते हैं और यदि लेना चाहते हैं तो कितना, उसके ब्यौरे :

(1) उनकी अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेंट)।

(2) अपनी अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेंट) से ज्यादा अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्रिप्शन करने) के संबंध में उनका इरादा :

परंतु यह कि ऐसी भागीदारी से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्सीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] में निर्धारित की गई न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोलिंग) संबंधी अपेक्षा का उल्लंघन नहीं होगा।

(7) अधिकार रहित कीमत, जिसका उल्लेख भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सबस्टैंशियल एक्विज़िशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन्स, 2011] के विनियम 10 के उप-विनियम 4 के खंड (ख) के तहत किया गया है।

(8) शेयरधारिता स्वरूप (शेयरहोलिंग पैटर्न), उसी फॉर्मेट में जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में निर्धारित किया गया है तथा जैसा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है। यह जानकारी या तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के वेबसाइट का संदर्भ आदि देकर या फिर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में जरूरी ब्यौरे देकर दी जा सकती है।

(9) निर्गमकर्ता की शेयर पूँजी का एक प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे। यह जानकारी या तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के वेबसाइट का संदर्भ आदि देकर या फिर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में जरूरी ब्यौरे देकर दी जा सकती है।

### (VIII) निर्गम के विवरण

#### (क) निर्गम के उद्देश्य:

(1) निर्गम (इश्यू) के उद्देश्य, जिनके लिए पैसा जुटाया जा रहा है।

(2) यदि निर्गम का उद्देश्य उधार या किसी अन्य ऋण (डैट) की चुकौती करना है, तो निम्नलिखित प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स) किए जाएंगे:

(क) जिस उधार की चुकौती करनी हो, उसके ब्यौरे जैसे उधारदाता का नाम, अवधि, शर्तें आदि (संक्षेप में) और बकाया रकम;

(3) यदि एक उद्देश्य संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) या समनुषंगी (सब्सिडियरी) में निवेश या अर्जन (एक्विज़िशन) का है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाएंगे:

(क) निवेश किसमें किया गया है, अर्थात् इक्विटी में, ऋण में या किसी अन्य लिखत में;

(ख) यदि यह तय नहीं किया गया है कि निवेश कहाँ किया जाएगा, तो उस आशय का कथन;

(ग) यदि निवेश ऋण लिखतों में किया गया है, तो ब्याज दर, प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के स्वरूप, चुकौती की शर्तें आदि, सबऑर्डिनेशन आदि से संबंधित पूरे ब्यौरे;

- (घ) निवेश के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता को हो सकने वाला लाभ किस प्रकार का होगा
- (4) यदि निर्गम का एक उद्देश्य समनुषंगी (सब्सिडियरी) से भिन्न किसी एंटीटी को उधार देना है, तो उधार संबंधी करारों के ब्यौरे, जिनमें शामिल हैं - ब्याज की दर, क्या उधार जमानती है या गैर-जमानती, अवधि, प्रतिभूति का स्वरूप, चुकौती की शर्तें आदि, सबऑर्डिनेशन, आदि और निवेश के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता को हो सकने वाला लाभ किस प्रकार का होगा। यदि ऐसा उधार किन्हीं समूह कंपनियों को दिया जाना हो, तो उसके ब्यौरे।
- (5) यदि निर्गम का एक उद्देश्य दीर्घकालिक कार्यशील पूँजी (वर्किंग कैपिटल) के लिए निर्गम से आए पैसों का इस्तेमाल करना हो, तो एकल आधार पर निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाएंगे:
- (क) कितनी कार्यशील पूँजी चाहिए इसका अनुमान कैसे लगाया गया, और किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया।
- (ख) अतिरिक्त कार्यशील पूँजी जुटाने के कारण, और इन कारणों को पुख्ता करने के लिए सुसंगत तथ्य और आँकड़े।
- (ग) अनुमानित कार्यशील पूँजी के ब्यौरे, जिनमें शामिल हैं - यथास्थिति, परियोजना पूरी हो जाने या निर्गम के उद्देश्य पूरे हो जाने के बाद कार्यशील पूँजी का विस्तृत आकलन, यह अनुमान कि कितनी क्षमता का उपयोग किया जाएगा आदि, अनुमानित चालू आस्तियों (असेट्स) का कच्चे माल, तैयार वस्तुओं, चालू कार्य, विविध देनदारों, आदि के अनुसार अलग-अलग ब्यौरा। साथ ही यह जानकारी कि प्रत्येक चालू आस्ति किस आधार पर रखी जाती है, कुल चालू देयताएँ, शुद्ध चालू आस्तियाँ और शुद्ध चालू आस्तियों का वित्तपोषण किन स्रोतों से किया जाएगा जैसे बैंक से ऋण आदि लिया जाएगा (बैंक फाइनेंस), संस्थाओं आदि से ऋण आदि लिया जाएगा (इंस्टिट्यूशनल फाइनेंस), अपना पैसा (फंड्स) लगाया जाएगा, आदि।
- (घ) सारणी में कुल अनुमानित कार्यशील पूँजी के ब्यौरे, उसकी मार्जिन राशि और वह हिस्सा जिसका वित्तपोषण बैंक (बैंकों) द्वारा या अन्यथा किया जाएगा।
- (ङ) निर्गमकर्ता की मौजूदा कार्यशील पूँजी के ब्यौरे, और साथ ही कुल चालू आस्तियों का कच्चे माल, तैयार वस्तुओं, चालू कार्य, विविध देनदारों, आदि के तौर पर ब्यौरा, कुल चालू देयताएँ, शुद्ध चालू आस्तियाँ और शुद्ध चालू आस्तियों का वित्तपोषण किन स्रोतों से किया जाएगा जैसे बैंक से ऋण आदि लिया जाएगा (बैंक फाइनेंस), संस्थाओं आदि से ऋण आदि लिया जाएगा (इंस्टिट्यूशनल फाइनेंस), अपना पैसा (फंड्स) लगाया जाएगा, आदि।
- (च) जिस परियोजना के लिए निर्गम लाया गया है, यदि उस परियोजना के लिए कार्यशील पूँजी नहीं दर्शाई जाती है, तो इसके कारण।
- (6) यदि निर्गम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य परियोजना के लिए पैसे उपलब्ध करवाना है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे:
- (क) जिस परियोजना के लिए पैसा जुटाया जा रहा है, उसकी लागत के ब्यौरे।
- (ख) परियोजना का वित्तपोषण किन माध्यमों से किया जाएगा।
- (ग) परियोजना का स्थान।
- (घ) संयंत्र और मशीनरी, तकनीक, प्रक्रिया, आदि।

- (ङ) सहयोगियों द्वारा सहयोग, कार्य-निष्पादन की गारंटी (यदि कोई हो), या विपणन (मार्केटिंग) में सहायता ।
- (च) कच्चे माल के लिए बुनियादी सुविधाएँ और पानी, बिजली, आदि जैसी सुविधाएँ, आदि ।
- (7) यदि निर्गम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य किसी संयंत्र, मशीनरी, तकनीक, प्रक्रिया आदि की खरीद करना है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे:
- (क) ब्यौरे सारणी में दिए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं - निर्गमकर्ता द्वारा खरीदे जाने वाले उपकरण, उपकरण की लागत, आपूर्ति करने वालों का नाम, आदेश की तारीख और आपूर्ति की तारीख या अपेक्षित तारीख, आदि ।
- (ख) यदि उपकरण के लिए आदेश अभी दिया जाना है, तो उन कोटेशन की तारीखों का उल्लेख करें, जिनके आधार पर लागत के अनुमान दिए गए हों ।
- (ग) कितने प्रतिशत उपकरण के लिए आदेश अभी दिए जाने हैं और उनका मूल्य क्या है ।
- (घ) खरीदे गए या खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित पुराने (सेकण्ड हैंड) उपकरणों, यदि कोई हों, के ब्यौरे, जिनमें ये ब्यौरे भी दिए जाएँ कि मशीनें कितनी पुरानी हैं, अभी और कितने समय तक चलेंगी, आदि ।
- (8) यदि साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) में वारंट या अंशतः समादत्त (पेड) शेयर जारी (इश्यू) किए जाने का प्रस्ताव हो, तो वारंटों के संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) से प्राप्त होने वाले पैसे / अंशतः समादत्त (पेड) शेयरों की मांग की रकम (कॉल मनी) का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ।

**(ख) पैसों (निधियों/फंड्स) की जरूरत:**

- (1) जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक से अधिक कार्य या परियोजना (प्रोजेक्ट) [जैसे विविधीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तार, आदि] शुरू करना चाहता हो, वहाँ परियोजना की कुल लागत, यथास्थिति, क्रियाकलाप के अनुसार या परियोजना के अनुसार दी जाएगी ।
- (2) जहाँ निर्गमकर्ता चरणबद्ध तरीके से परियोजना पूरी कर रहा हो, वहाँ प्रत्येक चरण की लागत, जिसके अंतर्गत ऐसे चरण, यदि कोई हो, को भी शामिल किया जाएगा जो पहले ही पूरा किया जा चुका हो ।
- (3) निर्गम से आए पैसों के इस्तेमाल या परियोजना की लागत के संबंध में संप्रवर्तकों (प्रमोटर्स), निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, सहयोगी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा परिभाषित) के साथ किए गए या किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण लेनदेनों (ट्रांज़ैक्शन्स) के ब्यौरे । संबंधित दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाएगा ।
- (4) यदि निर्गम से आए पैसों में से कुछ पैसे का इस्तेमाल, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से,:

(क) किसी कारोबार की खरीद के लिए किया जाए; या

(ख) किसी कारोबार में हित की खरीद के लिए किया जाए और उस खरीद की वजह से, या उसके परिणामस्वरूप या उसके संबंध में की जाने वाली किसी बात की वजह से; निर्गमकर्ता ऐसे कारोबार के पचास प्रतिशत से अधिक की या तो पूँजी का या होने वाले लाभों और हानियों का या फिर दोनों का हकदार हो जाए;

तो निम्नलिखित के संबंध में लेखाकारों (अकाउंटेंट) [जिनके नाम प्रस्ताव-पत्र में दिए जाएंगे] द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी:

- (i) प्रस्ताव-पत्र जारी करने से ठीक पहले के पाँच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष हेतु कारोबार के लाभों या हानियों के संबंध में; और

- (ii) उस अंतिम तारीख तक की स्थिति के अनुसार कारोबार की आस्तियों (असेट्स) और देयताओं के संबंध में, जिस तारीख तक की स्थिति के अनुसार कारोबार के लेखे तैयार किए गए हों, किंतु वह तारीख प्रस्ताव-पत्र जारी किए जाने की तारीख से अधिक से अधिक छह महीने पहले तक की ही हो।

(5) यदि:

- (क) निर्गम से आए पैसों में से कुछ पैसों का इस्तेमाल, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से (चाहे किसी भी प्रकार से), निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा किसी दूसरी निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) में शेयरों के अर्जन (एक्विज़िशन) के लिए किया जाता हो; और

- (ख) उस अर्जन की वजह से या उसके परिणामस्वरूप या उसके संबंध में की जाने वाली किसी बात की वजह से, वह निगमित निकाय उस निर्गमकर्ता का समनुषंगी (सब्सिडियरी) बन जाए;

तो निम्नलिखित के संबंध में लेखाकारों (अकाउंटेंट) [जिनके नाम प्रस्ताव-पत्र में दिए जाएंगे] द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी:

- (i) प्रस्ताव-पत्र जारी करने से ठीक पहले के पाँच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष हेतु अन्य निगमित निकाय के कारबार के लाभों या हानियों के संबंध में; और

- (ii) उस अंतिम तारीख तक की स्थिति के अनुसार अन्य निगमित निकाय की आस्तियों (असेट्स) और देयताओं के संबंध में, जिस तारीख की स्थिति के अनुसार उसके लेखे तैयार किए गए हों।

- (ग) निर्गमकर्ता (इश्युअर) की परियोजना या उद्देश्यों के नीतिगत (स्ट्रैटेजिक) भागीदार।

- (घ) निर्गमकर्ता (इश्युअर) की परियोजना या उद्देश्यों के वित्तीय भागीदार।

**(ङ) पैसा कैसे जुटाया जाएगा (वित्तपोषण के माध्यम):**

- (1) निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा यह पुष्टि करते हुए वचन कि उसने बताए गए वित्तपोषण के माध्यमों के पचहत्तर प्रतिशत के पक्के इंतजाम ऐसे माध्यमों के जरिए कर लिए हैं, जिनकी पुष्टि की जा सकती हो, किंतु जिनमें प्रस्तावित निर्गम (इश्यू) के जरिए जुटाई जाने वाली रकम और मौजूदा आंतरिक एकूअल (जिनकी पहचान की जा सकती हो) शामिल नहीं है।

- (2) वित्तपोषण के बचे हुए हिस्से (जिसके लिए पक्के इंतजाम न किए गए हों) के ब्यौरे।

- (3) इस्तेमाल किए जाने वाले पैसों (फंड्स) के ब्यौरे और अतिरिक्त पैसे, यदि कोई हो, का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाएगा।

**(च) मूल्यांकन (यदि लागू हो):**

- (1) मूल्यांकन का दायरा और प्रयोजन, यदि कोई हो, मूल्यांकन की तारीख के साथ।

- (2) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की लागत और वित्तपोषण के माध्यम।

- (3) मूल्यांकन रिपोर्ट जारी होने की तारीख के बाद परियोजना की लागत और वित्तपोषण के माध्यमों में बदलाव, यदि कोई हो, किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

- (4) मूल्यांकन रिपोर्ट में जिन कमजोरियों और आशंकाओं का जिक्र किया गया तथा जो अभिमत दिए गए उनका उल्लेख जोखिम कारकों के तौर पर किया जाएगा।

(छ) परियोजना पूरी किए जाने की समय-सारणी: परियोजना पूरी किए जाने की समय-सारणी और अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी जाएगी, जिसमें ये ब्यौरे दिए जाएँगे - जमीन कब ली, सिविल कार्य कब शुरू किए, संयंत्र (प्लांट) तथा मशीनरी कब लगाई और जाँचने-परखने के लिए उत्पादन कब शुरू किया, वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरू किया, और यदि कोई देरी हुई, तो उसके कारण।

(ज) पैसों (फंड्स) का इस्तेमाल:

(1) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से कम से कम दो महीने बाद की तारीख तक, पैसों (फंड्स) के स्रोत और परियोजना के लिए इन पैसों के इस्तेमाल (जहाँ निर्गमकर्ता परियोजना के लिए पूँजी जुटा रहा हो) के ब्यौरे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए हों, और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम और प्रमाणपत्र की तारीख का भी उल्लेख किया जाए।

(2) जहाँ संप्रवर्तकों द्वारा अग्रिम रूप में लाई गई शेयर संबंधी आवेदन की रकम का इस्तेमाल परियोजना में किया जाता हो और उसे साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) में उनकी अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेन्ट) के प्रति समायोजित किया जा रहा हो, तो यह उल्लेख किया जाए कि संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) द्वारा लाए गए पैसों में से कितने पैसे का इस्तेमाल आदि किया गया।

(झ) जो पैसा पहले से लगाया गया है, वह कहाँ से आया : पैसा कहाँ से जुटाया और कहाँ से आया, जिसमें "त्रिज लोन" के ब्यौरे या फिर यदि पैसों का इंतजाम कहीं और से किया गया हो, तो उसके ब्यौरे शामिल हैं, जिसकी चुकौती निर्गम से आए पैसों से की जा सकेगी।

(ञ) बचे हुए पैसों के इस्तेमाल के ब्यौरे: उपरोक्त परियोजना पर किए जाने वाले व्यय के वर्ष के अनुसार ब्यौरे।

(ट) पैसों का अंतरिम इस्तेमाल: यह कथन कि निर्गम से आए कुल पैसों, जिनका इस्तेमाल (उल्लिखित उद्देश्यों के लिए) न हुआ हो, को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ही जमा कराया जाएगा।

(ठ) निर्गम के संबंध में होने वाले खर्चे: निर्गम के संबंध में होने वाले खर्चे (रकम के तौर पर, निर्गम के कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में और निर्गम के कुल आकार के प्रतिशत के रूप में), जो निम्नलिखित के संबंध में हो सकते हैं:

- (1) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) की फीस (हामीदारी संबंधी कमीशन सहित)
- (2) दलाली (ब्रोकेज), बिक्री संबंधी कमीशन और अपलोड फीस
- (3) निर्गम रजिस्ट्रार
- (4) कानूनी सलाहकार
- (5) विज्ञापन और मार्केटिंग संबंधी खर्चे
- (6) विनियामक (स्टॉक एक्सचेंजों सहित)
- (7) निर्गम से संबंधित स्टेशनरी का मुद्रण और वितरण
- (8) अन्य, यदि कोई हों (जिनका उल्लेख किया जाए)।

(ड) निर्गमकर्ता (इश्युअर) और उसके शेयरधारकों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के अनुसार जिन समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) की पहचान महत्वपूर्ण समनुषंगियों के रूप में की गई हो, उनके लिए कर संबंधी कोई विशेष लाभ।

- (ढ) निर्गम के प्रस्तावित उद्देश्यों के संबंध में उद्योग से संबंधित मुख्य-मुख्य कानूनी प्रावधान [यदि निर्गमकर्ता के मौजूदा कारोबार से भिन्न हो]।
- (ण) संप्रवर्तकों (प्रमोटर्स), संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) और निदेशकों का हित, जैसा परियोजना या निर्गम के उद्देश्यों के संबंध में लागू हो।

**(IX) कारोबार के ब्यौरे:** उद्योग और कंपनी के कामकाज तथा उसके मुख्य क्रियाकलापों का विवरण, जिनमें शामिल हैं - मुख्य रूप से किन-किन उत्पादों की बिक्री की जाती है और/या क्या-क्या सेवाएँ दी जाती हैं, निर्गमकर्ता के उत्पादों और/या सेवाओं के अंतिम उपयोगकर्ता (यूज़र) कौन हैं, संयंत्र, मशीनरी, तकनीक, प्रक्रिया, मुख्य रूप से निर्गमकर्ता किन बाजारों में सेवाएँ देता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, कारोबार संबंधी नीति (स्ट्रेटेजी), उत्पादन की क्षमता कितनी है और निर्गमकर्ता के पास उपलब्ध सुविधाओं का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है।

**(X) प्रबंध-मंडल (निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल) और संगठनात्मक ढाँचा**

(क) प्रबंधक, प्रबंध-निदेशक, और अन्य निदेशकों [जिनमें नामनिर्देशिनी (नाॉमिनी) निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं] के नाम, उनकी जन्म तिथि, आयु, निदेशक पहचान संख्या (डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर), उनके पते, उनका व्यवसाय और उनके मौजूदा कार्यकाल (पदावधि) के पूरा होने की तारीख, कब से निदेशक पद पर हैं और दूसरी किन-किन कंपनियों में निदेशक पद पर हैं।

(1) प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में, उन सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के निम्नानुसार ब्यौरे जिनमें वर्तमान में निदेशक हैं और पहले निदेशक रहे हैं, जिनके शेयरों में होने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को किन्हीं स्टॉक एक्सचेंजों में, उस व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान, निलंबित किया गया हो / किया गया था:

- कंपनी का नाम
- कहाँ सूचीबद्ध है [स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का नाम]
- स्टॉक एक्सचेंजों से निलंबन की तारीख
- यदि व्यापार (ट्रेडिंग) को तीन महीनों से अधिक के लिए निलंबित किया गया हो, तो निलंबन के कारण और निलंबन की अवधि
- यदि व्यापार (ट्रेडिंग) का निलंबन हटा दिया गया हो, तो निलंबन हटाए जाने की तारीख
- उपरोक्त कंपनी (कंपनियों) में निदेशक का कार्यकाल (संबंधित तारीखों सहित)। [उपरोक्त ब्यौरे पिछले पाँच वर्षों के लिए दिए जाएँगे। इन विनियमों के प्रावधानों के तहत तीव्र-पथीय निर्गम (फास्ट ट्रेक इश्यू) के संबंध में दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट्स) के मामले में, पाँच वर्ष की अवधि की शुरुआत प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख से मानी जाएगी।]

(2) प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में, उन सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के निम्नानुसार ब्यौरे जिनमें वर्तमान में निदेशक हैं और पहले निदेशक रहे हैं,, जिन्हें पिछले दस वर्षों में, उस व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किया गया हो / किया गया था:

- कंपनी का नाम
- कहाँ सूचीबद्ध है [स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का नाम]
- स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किए जाने की तारीख
- अनिवार्य या स्वैच्छिक असूचीबद्धता

- असूचीबद्धता के कारण
- यदि फिर से सूचीबद्ध किया गया हो, तो फिर से सूचीबद्ध किए जाने की तारीख [उन स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के नाम, जहाँ फिर से सूचीबद्ध किया गया हो]
- उपरोक्त कंपनी (कंपनियों) में निदेशक का कार्यकाल (संबंधित तारीखों सहित)

(ख) वरिष्ठ प्रबंध-मंडल और मुख्य प्रबंध-मंडल के व्यौरे

(ग) वर्तमान संगठनात्मक ढाँचा

**(XI) निर्गमकर्ता की वित्तीय जानकारी:**

प्रस्ताव-पत्र में एक ही मानक वित्तीय यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा।

**(क) निर्गमकर्ता के समेकित वित्तीय विवरण:**

लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण (जिसके साथ उससे पिछले पूरे वर्ष के विवरण भी दिए जाएंगे)। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए गए अंतिम सीमित समीक्षा (लिमिटेड रिव्यू) वित्तीय विवरण [जिसके साथ उससे पिछले वर्ष के विवरण भी दिए जाएंगे] (यह जानकारी निर्गम के खुलने की तारीख से छह महीनों से ज्यादा पुरानी न हो)।

निर्गमकर्ता स्वैच्छिक रूप से अतिरिक्त वित्तीय विवरण भी दे सकते हैं, जैसे तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (किंतु जो तीन वर्षों से ज्यादा पुराने न हों), और अतिरिक्त स्टब अवधि के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण

प्रस्ताव-पत्र में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:

- i. वित्तीय विवरणों के संबंध में कानूनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- ii. तुलन-पत्र
- iii. आय के विवरण
- iv. लेखों की अनुसूचियाँ
- v. स्टॉकधारकों की इक्विटी में हुए परिवर्तनों के विवरण
- vi. नकदी प्रवाहों के विवरण
- vii. लेखा नीतियों के विवरण
- viii. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ
- ix. लेखा अनुपात
  - क) आमदनी प्रति शेयर (बेसिक और डायल्यूटिड)
  - ख) शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर प्रतिफल
  - ग) प्रति शेयर शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू)
  - घ) ईबीआईटीडीए

**(ख) प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण** – निर्गमकर्ता उन मामलों में समेकित वित्तीय विवरणों में उन सभी महत्वपूर्ण समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) या कारोबारों के प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण (जिन्हें कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो) प्रस्तुत करेगा, जहाँ निर्गमकर्ता या उसकी समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) ने, उस



अंतिम अवधि के बाद (किंतु प्रस्ताव-पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से पहले) अर्जन (एक्विजिशन) किया हो या बिक्री (डाइवैस्टमेंट) [जिसमें डीम्ड डिस्पोज़ल शामिल है] की हो, जिसके लिए प्रस्ताव-पत्र में वित्तीय जानकारी प्रकट (डिस्क्लोज़) की गई हो। इस प्रयोजनार्थ, अर्जन/बिक्री को तब महत्वपूर्ण माना जाएगा जब जिस कारोबार या समनुषंगी (सब्सिडियरी) का अर्जन किया गया हो / की बिक्री की गई हो उसकी हिस्सेदारी निर्गमकर्ता के अंतिम वार्षिक समेकित वित्तीय विवरणों में व्यापारावर्त (टर्नओवर), शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) या कर पूर्व लाभ में कुल-मिलाकर 20% या उससे अधिक की हो जाए। प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण अंतिम पूरे वित्तीय वर्ष और स्टब अवधि (यदि कोई हो) के लिए तैयार किए जाएंगे। प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मार्गदर्शन टिप्पण (गाइडेंस नोट) के अनुसार तैयार किए जाएंगे और कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। निर्गमकर्ता कंपनी स्वैच्छिक रूप से ऐसे अर्जनों के प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकती है, जो उपरोक्तानुसार महत्वपूर्ण न भी हों। एक या एक से अधिक अर्जनों या बिक्री आदि के मामले में, समेकित प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे। जिन मामलों में ऐसे कारोबारों का अर्जन किया गया हो / की बिक्री आदि की गई हो, जो खुद से एक अलग एंटिटी न हों, और जहाँ सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरण (जनरल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट) उपलब्ध न हो, उन मामलों में, ऐसे कारोबारों के संबंध में समेकित / कार्ड-आउट वित्तीय विवरण [आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मार्गदर्शन टिप्पण (गाइडेंस नोट) के अनुसार] तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, ऐसे अर्जनों / बिक्री आदि के मामले में यह उल्लेख किया जाए कि कितनी रकम (कन्सिडरेशन) अदा की गई है / कितनी रकम (कन्सिडरेशन) प्राप्त हुई है और यह भी बताया जाए कि पैसा कहाँ से जुटाया गया (यह जानकारी निर्गमकर्ता कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करवाकर दी जाए)।

(ग) **लेखापरीक्षा संबंधी अभिमत.** यदि वित्तीय विवरणों के संबंध में अंतिम पूरे वर्ष की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट या अंतिम स्टब अवधि की सीमित समीक्षा (लिमिटेड रिव्यू) रिपोर्ट में बदलाव किया जाता है, तो निर्गमकर्ता अंतिम प्रस्ताव-पत्र जारी करने से पहले लेखापरीक्षा रिपोर्ट (राय में बदलाव करने के बाद) के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] की अपेक्षाओं का पालन करेगा, और साथ ही लेखापरीक्षा संबंधी अभिमतों के असर के संबंध में एक विवरण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में देगा। लेखापरीक्षकों की राय में हुए किसी बदलाव से होने वाले असर (जहाँ इसे आंका जा सकता हो), फिर भले ही उसे अंतिम पूरे वर्ष की लेखापरीक्षित रिपोर्ट में या फिर अंतिम स्टब अवधि की सीमित समीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया हो, को प्रस्ताव-पत्र में सभी वित्तीय अवधियों (फिर चाहे वह पूरे वर्ष की हो या फिर स्टब अवधि हो) [जिनमें पिछले वित्तीय वर्षों, यदि कोई हों, के आंकड़े भी शामिल हैं] के लिए जहाँ तक संभव हो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले लाइन आइटम में समायोजन के तौर पर दिखाया जाएगा। लेखापरीक्षा में हुए किसी भी प्रकार के बदलाव [फिर चाहे कोई अभिमत दिया गया हो, कोई दावात्याग (डिस्क्लेमर) दिया गया हो या फिर किसी मामले पर जोर दिया गया हो] के संबंध में भी प्रस्ताव-पत्र में उपयुक्त रूप से जानकारी दी जाएगी, और जिसे जोखिम कारक के रूप में दिखाया जाएगा।

(XII) इस संबंध में कथन कि निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के बीच परामर्श से कीमत तय की गई है।

(XIII) वित्तीय स्थिति और कामकाज के परिणाम की प्रबंधन संबंधी चर्चा एवं विश्लेषण (मैनेजमेंट डिसकशन एंड एनालिसिस)

(XIV) इरादतन चूककर्ताओं (जानबूझकर चूक करने वालों) से संबंधित प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स): यदि निर्गमकर्ता अथवा उसका कोई संप्रवर्तक (प्रमोटर) या निदेशक (डायरेक्टर) इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया गया हो, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगा:

(क) उस व्यक्ति का नाम, जिसे इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया हो;

- (ख) उस बैंक का नाम, जिसने उस व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया हो;
- (ग) जिस वर्ष उस व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया गया हो;
- (घ) उस समय बकाया रकम, जब उस व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया गया हो;
- (ङ) इरादतन चूककर्ताओं (जानबूझकर चूक करने वालों) की सूची से नाम हटाए जाने के लिए उस व्यक्ति द्वारा उठाए गए कदम, यदि कोई हों;
- (च) ऐसे अन्य प्रकटीकरण, जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा उचित समझे जाएँ, ताकि निवेशक सोच-समझकर निर्णय ले सकें;
- (छ) कोई अन्य प्रकटीकरण, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।

**(XV) चल रहे मुकदमे और चूकें :**

- (क) वे लंबित मामले, जिनका परिणाम प्रतिकूल होने से निर्गमकर्ता के कामकाज या उसकी वित्तीय स्थिति पर काफी ज्यादा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (ख) वे मामले, जो लंबित हैं:
  - (1) निर्गमकर्ता से संबंधित नैतिक अधमता या आपराधिक दायित्व के मुद्दे।
  - (2) निर्गमकर्ता द्वारा कानूनी प्रावधानों आदि के बड़े उल्लंघन
  - (3) आर्थिक अपराध, जिनके संबंध में निर्गमकर्ता के खिलाफ कार्यवाहियाँ शुरू की गईं।
- (ग) महत्ता का निर्धारण करने के लिए, ऊपरी सीमा निर्गमकर्ता द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के तहत दी गई अपेक्षाओं के अनुसार तय की जाएगी।
- (घ) ये प्रकटीकरण निर्गमकर्ता और निर्गमकर्ता की उन समनुषंगी कंपनियों के बारे में किए जाएँगे, जिनके वित्तीय विवरण प्रारूप प्रस्ताव-पत्र या प्रस्ताव-पत्र में या तो अलग-अलग या फिर समेकित रूप में शामिल किए जाते हैं।

**(XVI) सरकारी मंजूरियाँ या लाइसेंसिंग इंतजाम:** निर्गम के उद्देश्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लंबित विनियामक और सरकारी मंजूरियाँ।

**(XVII) महत्वपूर्ण घटनाएँ:** अंतिम तुलन-पत्र की तारीख के बाद हुई कोई महत्वपूर्ण घटना और निर्गमकर्ता के प्रदर्शन पर उसका असर तथा आगे चलकर पड़ने वाला असर।

**(XVIII) अन्य विनियामक और कानूनी प्रकटीकरण:**

- (क) निर्गम के लिए प्राधिकार और निर्गम के लिए पारित किए गए संकल्प के ब्यौरे।
- (ख) निर्गमकर्ता द्वारा यह कथन कि बोर्ड द्वारा पारित किए गए किसी आदेश या निदेश के तहत निर्गमकर्ता, संप्रवर्तकों, संप्रवर्तक समूह, निदेशकों को पूँजी बाजारों में पहुँच रखने या कामकाज करने से प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है अथवा प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या उनमें लेनदेन करने से रोका नहीं गया है।

- (ग) निर्गमकर्ता द्वारा यह कथन कि क्या निर्गमकर्ता का कोई निदेशक प्रतिभूति बाजार से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है, और यदि हाँ, तो बोर्ड द्वारा उपरोक्त एंटिटियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई (जो चल रही हो) के ब्यौरे।
- (घ) निर्गमकर्ता द्वारा यह कथन कि वह इस अनुसूची के खंड (1) में निर्धारित प्रावधानों का पालन कर रहा है।
- (ङ) तीव्र-पथीय निर्गम (फास्ट ट्रेक इश्यू) के लिए, पात्रता अपेक्षाओं का पालन किए जाने के ब्यौरे।
- (च) दावात्याग संबंधी खंड:

- (1) प्रस्ताव-पत्र में गाढ़े सुस्पष्ट अक्षरों में निम्नलिखित दावात्याग संबंधी खंड दिया जाएगा :

"यह साफ तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को प्रस्ताव-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, किसी भी प्रकार से यह नहीं समझा जाना चाहिए या इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इसके संबंध में कोई मंजूरी आदि दी गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड न तो किसी स्कीम या परियोजना, जिसके लिए निर्गम लाए जाने का प्रस्ताव है, की वित्तीय सुदृढ़ता की जिम्मेदारी लेता है और न ही इस बात की कोई जिम्मेदारी लेता है कि प्रस्ताव-पत्र में किए गए कथन या दी गई कोई राय सही है। अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों), ..... ने यह प्रमाणित किया है कि प्रस्ताव-पत्र में किए गए प्रकटीकरण सामान्य तौर पर पर्याप्त हैं और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के अनुरूप हैं। यह अपेक्षा इसलिए है ताकि निवेशक प्रस्तावित निर्गम में निवेश करते समय सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

यह भी स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि यद्यपि प्रस्ताव-पत्र में दी गई समस्त संबंधित जानकारी के सही होने, पर्याप्त होने और उसे प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से तो निर्गमकर्ता ही जिम्मेदार है, फिर भी अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) से यह उम्मीद है कि वह (वे) यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तत्परता बरते (बरतें) कि निर्गमकर्ता ने इस संबंध में और इस प्रयोजन हेतु अपनी जिम्मेदारी का पर्याप्त रूप से निर्वहन किया है, अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) ..... ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को तारीख ..... का पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, जो कि निम्नानुसार है :

(बोर्ड को प्रस्तुत किए गए पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जाए)

तथापि, प्रस्ताव-पत्र को दाखिल करने से निर्गमकर्ता को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी दायित्व से या प्रस्तावित निर्गम के प्रयोजनार्थ कानूनी या अन्य मंजूरियाँ आदि प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट नहीं मिल जाती। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास यह अधिकार रहेगा कि वह प्रस्ताव-पत्र में किन्हीं अनियमितताओं या खामियों आदि का मामला किसी भी समय अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के यहाँ उठा सकेगा।"

- (2) निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) की ओर से दावात्याग संबंधी कथन :

इस आशय का कथन कि निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक प्रस्ताव-पत्र या विज्ञापन अथवा निर्गमकर्ता द्वारा जारी की गई या उसके कहने पर जारी की गई किसी अन्य सामग्री में किए गए कथनों से भिन्न किसी भी कथन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं और यह कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करता है, तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा।

जो निवेशक निर्गम में निवेश करते हैं, उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उनका प्रतिनिधित्व निर्गमकर्ता तथा अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) और उनके संबंधित निदेशकों, अधिकारियों, एजेंटों, सहबद्ध व्यक्तियों (एफिलिएट्स) तथा प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है कि वे सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मंजूरीयों के तहत हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर अर्जित करने के लिए पात्र हैं, और उन्होंने इस निर्गम में अपनी योग्यता तथा निवेश की मात्रा के विषय में स्वतंत्र सलाह / मूल्यांकन पर भरोसा किया है।

(3) क्षेत्राधिकार के बारे में दावात्याग: एक संक्षिप्त पैरा जिसमें उस क्षेत्राधिकार का उल्लेख हो जिसके तहत कानून और नियमों तथा विनियमों के प्रावधान प्रस्ताव-पत्र के प्रति लागू हैं।

(4) स्टॉक एक्सचेंजों का दावात्याग संबंधी खंड।

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण का दावात्याग संबंधी खंड (यदि लागू हो)।

(छ) यह तथ्य कि बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल कर दिया गया है और साथ ही बोर्ड के उस कार्यालय का नाम जहाँ प्रस्ताव-पत्र दाखिल किया गया हो।

(ज) निवेशक की शिकायतों के समाधान के लिए निर्गमकर्ता द्वारा की गई कोई व्यवस्था आदि और निवेशक की विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निवारण करने के लिए इसके द्वारा आम तौर पर लिए जाने वाला समय।

#### (XIX) प्रस्ताव संबंधी जानकारी:

(1) भुगतान की शर्तें आदि और प्रतिभूतियाँ आबंटित करने तथा डीमैट खाते में जमा करवाने की प्रक्रिया और समय सूची।

(2) आवेदन कैसे करें, आवेदन फॉर्म तथा प्रस्ताव-पत्र कहाँ उपलब्ध हैं और भुगतान किस प्रकार करना है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड) द्वारा आवेदन :

1. "पारस्परिक निधियों द्वारा आवेदनों के लिए प्रक्रिया" तथा "एक से अधिक आवेदन" शीर्षों के तहत कथन - जिसमें यह उल्लेख होगा कि बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत भारत के म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) की प्रत्येक स्कीम के लिए अलग आवेदन किया जा सकता है और ऐसे आवेदनों के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि एक से अधिक आवेदन किए गए हैं।

2. कथन जिसमें यह उल्लेख होगा कि पारस्परिक निधि की आस्ति प्रबंध कंपनी या अभिरक्षक द्वारा किए गए आवेदन में उस संबंधित स्कीम के नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाएगा जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है।

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा आवेदन :

1. भारत के कम से कम एक ऐसे स्थान का नाम और पता जहाँ से व्यक्तिगत अनिवासी भारतीय आवेदक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (एएसबीए) के अंतर्गत निवेशकों द्वारा आवेदन: निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन की प्रक्रिया के ब्यौरे, जिनमें निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन को प्रस्तुत किए जाने संबंधी अनुदेशों का उल्लेख हो।

(घ) यह कथन कि जिन शेयरधारकों को आवेदन फॉर्म प्राप्त न हुआ हो, वे अपेक्षित आवेदन की रकम के साथ, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजों, अग्रणी प्रबंधकों के वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म में

आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑन-लाइन उपलब्ध आवेदन फॉर्म में दिए गए ब्यौरों को सादे कागज पर भरकर आवेदन कर सकते हैं।

(ड) वह फॉर्मेट जो शेयरधारकों को सादे कागज पर आवेदन करने में समर्थ बनाए जिसके अंतर्गत आवश्यक विवरणों का उल्लेख हो, जैसे कि नाम, पता, साधिकार निर्गम का अनुपात, निर्गम कीमत, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या, निक्षेपागार सहभागी का आई.डी., ग्राहक का आई.डी., उन इक्विटी शेयरों की संख्या जिसके लिए आवेदन किया गया हो, एएसबीए सुविधा का इस्तेमाल करते हुए स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक के पास कितनी रकम निरुद्ध (ब्लॉक) कराई जानी है। अपेक्षित ब्यौरे आदि देने के लिए रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजों, अग्रणी प्रबंधकों के वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है;

(च) यह कथन कि सादे कागज पर आवेदन करने वाले शेयरधारक अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते और किसी प्रयोजन, जिसमें त्याग शामिल है, के लिए आवेदन फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भले ही यह बाद में प्राप्त हुआ हो।

(3) फ्रैक्शनल हकदारी के संबंध में कार्यवाही: फ्रैक्शनल हकदारी के संबंध में कार्यवाही का तरीका, अर्थात् फ्रैक्शनल साधिकारों के मूल्य, यदि कोई हो, के समतुल्य का नकदी आदि में भुगतान।

(4) फर्जी आवेदन किए जाने का पता चलने पर दंड से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाए :

क) कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में उसकी प्रतिभूतियों के अर्जन के लिए या उनमें अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्रिप्शन करने) के लिए फर्जी नाम से आवेदन करता है या करवाता है; या

ख) कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में उसकी प्रतिभूतियाँ अर्जित (अक्रायर) करने के लिए या फिर उनमें अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्राइब करने) के लिए भिन्न-भिन्न नामों से या अपने नाम अथवा उपनाम का उपयोग करते हुए भिन्न-भिन्न नामों से एक से अधिक आवेदन करता है या आवेदन करवाता है; या

ग) कोई व्यक्ति जो अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी को उकसाता है कि वह ऐसे व्यक्ति, या फर्जी नाम वाले किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिभूतियाँ आबंटित कर दे, या प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसफर) को रजिस्ट्रीकृत कर दे :

परंतु यह कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में लगाई गई शास्ति का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

(5) यह कथन कि पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित प्रतिभूतियाँ डीमैट खाते में जमा करवा दी जाएँगी / एएसबीए को अनब्लॉक करवाए जाने हेतु अनुदेश दे दिए जाएँगे और एएसबीए को अनब्लॉक करवाए जाने हेतु अनुदेश दिए जाने में देरी होने पर निर्धारित दर से ब्याज अदा किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ धन-वापसी (रिफंड) की जानी हो, ऐसी धन-वापसी पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर कर दी जाएगी और देरी होने पर ब्याज अदा किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा के भीतर धन-वापसी (रिफंड) न किए जाने के मामले में, अनब्लॉक करवाए जाने हेतु अनुदेश देने / निर्धारित दर पर ब्याज के साथ धन-वापसी (रिफंड) करने के संबंध में निर्गमकर्ता और उसके निदेशकों (जो चूककर्ता अधिकारी हों) के दायित्व का भी उल्लेख किया जाएगा।

(6) धन-वापसी (रिफंड) का माध्यम:

क) वह माध्यम जिससे निर्गमकर्ता अति-अभिदान के मामले में या सूचीबद्ध न होने के मामले में या अन्यथा आवेदकों को धन-वापसी (रिफंड) करेगा।

- ख) यदि निर्गमकर्ता आवेदकों को धन-वापसी (रिफंड) करने के लिए एक से अधिक माध्यमों के उपयोग का प्रस्ताव करता है, तो ऐसे में यह प्रकट किया जाएगा कि किस मामले में धन-वापसी (रिफंड) का माध्यम क्या होगा।
- ग) धन-वापसी (रिफंड) के अनुमत माध्यम निम्नानुसार हैं :
- (i) एएसबीए की सुविधा का इस्तेमाल करके ब्लॉक की गई रकम को अनब्लॉक करना;
- (ii) बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए केंद्रों में से किसी केंद्र में रहने वाले आवेदकों के मामले में: आवेदकों के बैंक खातों में धन-वापसी की रकम इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से सीधे जमा करके, आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) या एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण), या एनएसीएच (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस), जो भी लागू हो, के जरिए [जो भी उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत हो];
- (iii) दूसरे आवेदकों के मामले में - जहाँ मूल्य रु.1500/- या उससे अधिक हो, वहाँ रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से धन-वापसी के आदेश प्रेषित करके, या दूसरे मामलों में डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग) के तहत, (डाक नियमों के अधीन); और
- (iv) बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए आवेदकों के किसी प्रवर्ग के मामले में - बोर्ड द्वारा अनुमत किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदकों को धन-वापसी की रकम जमा करके।

**(XX) निर्गम के संबंध में निर्गमकर्ता द्वारा वचन: निर्गमकर्ता वचन देगा कि :**

- (क) निर्गम के बारे में प्राप्त शिकायतों पर निर्गमकर्ता द्वारा शीघ्रतापूर्वक और संतोषप्रद रूप में कार्यवाही की जाएगी।
- (ख) जिन स्टॉक एक्सचेंजों में निर्धारित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध की जानी हैं, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता के लिए और व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर कदम उठाए जाएंगे।
- (ग) असफल आवेदकों को धन-वापसी (रिफंड) करने [प्रकट किए गए माध्यम (माध्यमों) से] के लिए जितना पैसा जरूरी हो, उसे निर्गमकर्ता द्वारा निर्गम रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (घ) जहाँ निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से धन-वापसी (रिफंड) की जाए, वहाँ निर्गम के बंद होने से 15 दिनों के भीतर आवेदक को उपयुक्त सूचना भेजी जाएगी, जिसके अंतर्गत उस बैंक के ब्यौरे दिए जाएंगे जहाँ पैसा जमा कराया जाएगा और साथ ही धन-वापसी (रिफंड) की रकम तथा उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कराए जाने की संभावित तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा।
- (ङ) जहाँ असफल बोली लगाने वालों के आवेदन की रकम या आनुपातिक आबंटन के मामले में आवेदन की रकम के कुछ हिस्से से ब्लॉक हटाना हो, वहाँ आवेदकों को उपयुक्त सूचना भेजी जाएगी।
- (च) निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदनों (एएसबीए) को एकत्र करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे।
- (छ) संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों (कन्वर्टिबल डैट इन्सट्रूमेंट्स) के मामले में, निर्गमकर्ता निम्नलिखित अतिरिक्त वचन देगा कि :
- (1) वह डिबेंचर न्यासी को संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के माध्यम से जुटाए गए पैसों के उपयोग के ब्यौरे (निर्गमकर्ता के कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित), प्रत्येक छमाही के अंत में, भेजेगा।
- (2) वह वार्षिक रिपोर्ट में डिबेंचर न्यासी का नाम और पता प्रकट करेगा।

- (3) वह संपरिवर्तनीय ऋण लिखत धारकों को वार्षिक आधार पर, डिबेंचर के निर्गम के संबंध में प्रस्ताव-पत्र में दी हुई शर्तों आदि का पालन करने के संबंध में पालन संबंधी प्रमाणपत्र (डिबेंचर न्यासियों द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित) प्रदान करेगा।
- (4) वह पुष्टीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि संपरिवर्तनीय ऋण लिखत धारकों के पक्ष में निर्गमकर्ता द्वारा सृजित प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को उपयुक्त रूप से बनाए रखा जा रहा है और जो चूक होने पर संपरिवर्तनीय ऋण लिखत धारकों के प्रति भुगतान संबंधी बाधयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- (5) वह तब तक साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी (एजेंसियों) को जरूरी जानकारी सही और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग देगा, जब तक लिखत (इन्स्ट्रूमेंट) के संबंध में ऋण (डेट) संबंधी बाधयताएँ पूरी नहीं हो जातीं।

(XXI) निर्गम से आए पैसों का उपयोग : किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या लोक वित्तीय संस्था द्वारा लाए गए निर्गम से भिन्न निर्गम के प्रस्ताव-पत्र में निर्गमकर्ता के निदेशक-मंडल का इस भाव का कथन शामिल होगा कि:

- (क) जनता को शेयर या निर्धारित प्रतिभूतियाँ जारी करके प्राप्त समस्त पैसे एक अलग बैंक खाते में अंतरित (ट्रांसफर) कर दिए जाएंगे।
- (ख) खंड (क) में उल्लिखित निर्गम से आए पैसों में से उपयोग में लाए गए सभी पैसों के ब्यौरे, निर्गमकर्ता के तुलन-पत्र में एक अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकट किए जाएँगे, उस प्रयोजन को सूचित करते हुए जिसके लिए उन पैसों का उपयोग किया गया था; और
- (ग) खंड (क) में उल्लिखित निर्धारित प्रतिभूतियों के निर्गम से आए पैसों में से उपयोग में न लाए गए पैसों के ब्यौरे, निर्गमकर्ता के तुलन-पत्र में एक अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकट किए जाएँगे, जिसमें यह उल्लेख होगा कि ऐसे उपयोग में न लाए गए पैसों का निवेश किस रूप में किया गया है।

(XXII) भारतीय प्रतिभूतियों के विदेशी स्वामित्व पर रोक, यदि कोई हो,:

- (क) अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश।
- (ख) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों द्वारा निवेश।
- (ग) अन्य अनिवासियों व्यक्तियों द्वारा निवेश।

(XXIII) कानूनी और अन्य जानकारी :

- (क) निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का आबंटन गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में किया जाएगा।
- (ख) महत्वपूर्ण कॉण्ट्रैक्ट और निरीक्षण का समय तथा स्थान जिसमें निर्गमकर्ता की अंतिम पाँच वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियाँ शामिल होंगी।

(XXIV) अन्य कोई महत्वपूर्ण प्रकटीकरण, जैसा आवश्यक समझा जाए।

(XXV) घोषणा :

“इस प्रस्ताव-पत्र में किया गया कोई कथन कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता। निर्गम से संबंधित सभी कानूनी अपेक्षाओं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सरकार और किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, अनुदेशों आदि का पूरी तरह से पालन किया गया है।”

प्रारूप प्रस्ताव-पत्र [तीव्र-पथीय निर्गमों (फास्ट ट्रेक इश्यू) से भिन्न निर्गमों के मामले में] और प्रस्ताव-पत्र की मंजूरी निर्गमकर्ता (इश्युअर) के निदेशक-मंडल द्वारा दी जाएगी और उस पर सभी निदेशकों (जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रबंधक शामिल हैं) और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्त संबंधी कार्य देखने वाले तथा ऐसा कार्य करने वाले मुख्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यह भी प्रमाणित करेंगे कि प्रस्ताव-पत्र में किए गए सभी प्रकटीकरण सत्य और सही हैं।

- (5) निर्गमकर्ता ठीक पहले वाले सार्वजनिक निर्गम या साधिकार निर्गम के प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति इन विनियमों में निर्धारित तरीके से जनता को उपलब्ध कराएगा और ऐसे दस्तावेज को निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर भी उपलब्ध कराएगा।”

ख. भाग-ख के पश्चात्, भाग-ख-1 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

### “भाग-ख-1 – प्रस्ताव-पत्र में प्रकटीकरण

#### [विनियम 70(2) देखें]

इस भाग में जिन प्रकटीकरणों का उल्लेख किया गया है, वे सभी प्रकटीकरण प्रारूप प्रस्ताव-पत्र और प्रस्ताव-पत्र में किए जाएंगे।

#### अनुदेश:

- (क) सभी जानकारी सुसंगत और अद्यतन होगी। सभी कथनों या दावों के स्रोत और आधार प्रकट किए जाएंगे। "मार्केट लीडर", "लीडिंग प्लेयर", आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल तभी किया जाएगा जब इनकी पुष्टि उपयुक्त स्रोत का हवाला देकर की जा सकती हो।
- (ख) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल करने से पहले प्रारूप प्रस्ताव-पत्र में मौजूद सभी रिक्त स्थानों में उपयुक्त आँकड़े भरे जाएंगे।
- (ग) आसान अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि विषय-वस्तु को आसानी से समझा जा सके। निर्गमकर्ता के कारोबार को समझाने के लिए यदि किन्हीं तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, तो आसान शब्दों में उनका अर्थ स्पष्ट किया जाएगा।
- (घ) जहाँ कहीं भी यह उल्लेख हो कि ब्यौरे दस्तावेज में कहीं और दिए गए हैं, वहाँ पैराग्राफ के शीर्षक और पृष्ठ संख्या दर्शाते हुए इस संबंध में पर्याप्त संदर्भ आदि (क्रॉस-रेफरेंस) दिए जाएंगे।
- (ङ) ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं किए जाएंगे, जिन्हें साबित न किया जा सके।
- (च) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रकटीकरणों की शैली एक जैसी ही रहे। यदि प्रथम पुरुष का इस्तेमाल किया जाता है, तो पूरे दस्तावेज में उसी का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे वाक्यों से बचा जाए जिनमें प्रथम और अन्य पुरुष दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
- (छ) आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए केवल एक ही मुद्रा का इस्तेमाल किया जाएगा।

- (1) **कवर पेज:** कवर पेज के कागज की मोटाई पर्याप्त (न्यूनतम सौ जीएसएम क्वालिटी वाला) होगी और यह सफेद रंग के होंगे जिन पर कोई आकृति आदि नहीं होगी (पैटर्न नहीं होगा)।

#### (क) सामने वाले कवर पेज:

- (1) सामने वाले कवर पेज का अंदरूनी हिस्सा खाली छोड़ा जाएगा।
- (2) सामने वाले कवर पेज के बाहरी हिस्से पर केवल निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे:



- क) प्रस्ताव-पत्र का प्रकार ("प्रारूप प्रस्ताव-पत्र" या "प्रस्ताव-पत्र") ।
- ख) प्रारूप प्रस्ताव-पत्र / प्रस्ताव-पत्र की तारीख ।
- ग) निर्गमकर्ता (इश्युअर) का नाम, उसका लोगो, उसका गठन (निगमन) किस तारीख को और कहाँ हुआ, कारपोरेट पहचान संख्या (कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर), उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारपोरेट कार्यालयों का पता, दूरभाष संख्या, वेबसाइट और ई-मेल (उल्लेख करें कि क्या निर्गमकर्ता के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते में या उसके नाम में कोई बदलाव हुआ है, प्रस्ताव दस्तावेज के उस पृष्ठ का उल्लेख करें जहाँ इस संबंध में ब्यौरे दिए हुए हों) ।
- घ) निर्गमकर्ता के संप्रवर्तक का (संप्रवर्तकों के) नाम ।
- ङ) इस संबंध में ब्यौरे कि क्या कंपनी या उसका कोई संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या निदेशक इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) है ।
- च) किस प्रकार की निर्धारित प्रतिभूतियों का प्रस्ताव लाया जा रहा है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी कीमत क्या है तथा निर्गम (इश्यू) का आकार क्या है (जो भी लागू हो) ।
- छ) "सामान्य जोखिम" के संबंध में निम्नलिखित खंड बॉक्स फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा:
- "इक्विटी और इक्विटी संबंधी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने में जोखिम होता है और निवेशकों को इस प्रस्ताव में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे ऐसे निवेश को खोने का जोखिम न उठा सकें। निवेशक इस प्रस्ताव (ऑफरिंग) में निवेश के संबंध में निर्णय लेने से पहले जोखिम कारकों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए, निवेशक निर्गमकर्ता तथा प्रस्ताव (इससे जुड़े जोखिमों आदि सहित) के संबंध में स्वयं द्वारा की गई जाँच-पड़ताल पर ही भरोसा करें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा न तो इन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सिफारिश की गई है, न तो इन्हें मंजूरी आदि दी गई है और न ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इस दस्तावेज के पूरी तरह सही होने या पर्याप्त होने की गारंटी देता है। निवेशकों का ध्यान विशेष रूप से खंड "सामान्य जोखिम" के तहत पृष्ठ संख्या पर दिए गए "जोखिम कारकों" के विवरण की ओर आकृष्ट किया जाता है।"
- ज) "निर्गमकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी" के संबंध में निम्नलिखित खंड बॉक्स फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा:
- "निर्गमकर्ता, सभी जरूरी जाँच करने के बाद, इस बात की जिम्मेदारी स्वीकारता है और यह पुष्टि करता है कि इस प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में निर्गमकर्ता और निर्गम से संबंधित वह समस्त जानकारी दी गई है, जो निर्गम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और यह कि प्रस्ताव-पत्र में दी हुई जानकारी समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं के लिहाज से सत्य एवं सही है और किसी भी महत्वपूर्ण पहलू के लिहाज से भ्रामक नहीं है, यह कि इसमें दी हुई राय आदि ईमानदारी से प्रस्तुत की गई है और यह कि ऐसा कोई भी अन्य तथ्य नहीं है, जिसे शामिल न करने से यह दस्तावेज पूरी तरह से या इसमें दी हुई कोई जानकारी या दी हुई कोई राय आदि किसी भी महत्वपूर्ण पहलू के लिहाज से भ्रामक बन जाए।"
- झ) उन सभी अग्रणी प्रबंधकों के नाम, लोगो और पते, उनके टाइटल के साथ, जिन्होंने पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) पर हस्ताक्षर किए हों और बोर्ड के पास प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल किया हो, और साथ ही उनकी दूरभाष संख्या, उनके वेबसाइट और उनकी ई-मेल आईडी। [जहाँ अग्रणी प्रबंधकों में से कोई अग्रणी प्रबंधक निर्गमकर्ता का सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) हो, वहाँ वह यह प्रकटीकरण करेगा कि वह निर्गमकर्ता का सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) है और यह कि उसकी भूमिका निर्गम की मार्केटिंग किए जाने तक ही सीमित है।]

- ज) निर्गम रजिस्ट्रार का नाम, लोगो और पता, और साथ ही उसकी दूरभाष संख्या, उसका वेबसाइट और उसकी ई-मेल आईडी।
- ट) निर्गम संबंधी समय-सारणी:
- (i) निर्गम खुलने की तारीख
- (ii) निर्गम बंद होने की तारीख
- ठ) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग), यदि लागू हो।
- ड) उस (उन) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का (के) नाम, जहाँ निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध हों, और उन्हें सूचीबद्ध कराने के संबंध में उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) से प्राप्त सैद्धांतिक मंजूरी के ब्यौरे।

(ख) पीछे वाले कवर पेज: पीछे वाले कवर पेज का अंदरूनी हिस्सा और पीछे वाले कवर पेज का बाहरी हिस्सा खाली छोड़ा जाएगा।

(2) विषय-सूची: विषय-सूची सामने वाले कवर पेज के अंदरूनी हिस्से के ठीक बाद दी जाएगी।

(3) परिभाषाएँ और संक्षेपाक्षर:

- (क) आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले या सामान्य शब्द आदि
- (ख) निर्गम से संबंधित शब्द आदि
- (ग) निर्गमकर्ता और उद्योग से संबंधित शब्द आदि
- (घ) संक्षेपाक्षर

(4) प्रस्ताव-पत्र का सारांश: इस खंड में निम्नलिखित जानकारी, जो भी लागू है, संक्षेप में दी जाएगी:

- (क) निर्गमकर्ता का मुख्य कारोबार और उद्योग क्षेत्र जिससे वह जुड़ा हो (प्रत्येक के बारे में अधिक से अधिक 100 शब्दों में);
- (ख) संप्रवर्तकों के नाम;
- (ग) निर्गम के उद्देश्य - सारणी में;
- (घ) पिछले 3 वर्षों के रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरणों और स्टव अवधि सीमित समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित ब्यौरे - सारणी में :
- क. शेयर पूँजी (शेयर कैपिटल);
- ख. शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ);
- ग. आय (रेविन्यू);
- घ. कर पश्चात् लाभ (प्रोफिट आफ्टर टैक्स);
- ङ. प्रति शेयर आमदनी;
- च. प्रति इक्विटी शेयर शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू); और
- छ. कुल उधार (तुलन-पत्र के अनुसार)।

- (ड) चल रहे मुकदमों का सारांश (सारणी में) और "चल रहे मुकदमों और महत्वपूर्ण घटनाओं" से संबंधित खंड का संदर्भ आदि (क्रॉस-रेफरेंस) ।
- (च) "जोखिम कारकों" से संबंधित खंड का संदर्भ आदि (क्रॉस-रेफरेंस) ।
- (छ) निर्गमकर्ता की आकस्मिक (कंटीजेंट) देयताओं (जैसा प्रस्ताव-पत्र में दिए गए वित्तीय विवरणों में बताया गया हो) का संदर्भ आदि (क्रॉस-रेफरेंस) ।
- (ज) संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) [जैसा प्रस्ताव-पत्र में दिए गए वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हों] का संदर्भ आदि (क्रॉस-रेफरेंस) ।
- (झ) पिछले एक वर्ष के दौरान नकदी से भिन्न प्रतिफल के लिए किया गया इक्विटी शेयरों का निर्गमन (इश्युएंस) ।
- (ञ) पिछले एक वर्ष में इक्विटी शेयरों का कोई विभाजन / समेकन ।

#### (5) जोखिम कारक :

- (क) जोखिम कारक साफ तौर पर पढ़े जा सकने वाले फॉण्ट में (जिसका आकार कम से कम दस पॉइंट का हो) मुद्रित किए जाएंगे ।
- (ख) जोखिम कारकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाएगा - वे कारक, जो परियोजना से खास तौर पर जुड़े हुए हों तथा निर्गमकर्ता के आंतरिक जोखिम हों और वे कारक जो बाहरी हों और निर्गमकर्ता के नियंत्रण से परे हों ।
- (ग) जोखिम कारक इस आधार पर तय किए जाएंगे कि उनका कितना ज्यादा असर पड़ सकता है । ऐसा करते समय, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

- (1) कुछ ऐसे जोखिम हो सकते हैं जो अपने-आप में उतना असर न डालते हों, किंतु मिलकर काफी असर डालते हों ।
- (2) कुछ ऐसे जोखिम हो सकते हैं जिनका असर तो काफी होता है, किंतु जिन्हें मापा न जा सकता हो ।
- (3) कुछ ऐसे जोखिम हो सकते हैं जिनका असर अभी न हो, किंतु आगे चलकर जिनका काफी असर हो सकता हो ।

(घ) प्रत्येक जोखिम कारक इस प्रकार रखा जाएगा:

- (1) निर्गमकर्ता के अनुसार क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं ।
- (2) जोखिम से बचने के लिए प्रस्ताव, यदि कोई हो ।

(ड) जोखिमों से बचने के लिए दिए जाने वाले प्रस्तावों में किसी मामले या मुकदमे आदि में पक्ष में आने वाले फैसले के बारे में कोई काल्पनिक कथन नहीं किया जाएगा और जो ऐसे किसी मामले के लिए नहीं दिए जाएँगे, जो किसी न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्यूनल) के समक्ष न्यायाधीन हो ।

(च) जोखिम कारकों को उनके असर के अनुसार घटते क्रम में प्रकट किया जाएगा । जहाँ कहीं भी जोखिमों से पड़ने वाले महत्वपूर्ण असर का उल्लेख किया जाता है, वहाँ यह भी प्रकट किया जाएगा कि कंपनी पर उसका कितना असर पड़ सकता है (जिसमें वित्तीय रूप से पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं) । यदि उसके असर को आंका न जा सके, तो इस तथ्य के बारे में अलग से कथन किया जाएगा कि उसके असर को आंका नहीं जा सकता ।

(छ) निम्नलिखित विषयों से संबंधित जोखिम कारकों, जहाँ कहीं लागू हों, को अवश्य प्रकट किया जाएगा :

- (1) महत्वपूर्ण कानूनी मंजूरियाँ आदि, जिन्हें निर्गमकर्ता द्वारा अभी प्राप्त किया जाना है ।
- (2) निर्गमकर्ता का कारोबार मुख्य रूप से किस समय होता है (सीज़नेलिटी) ।

- (3) जहाँ निर्गम का उद्देश्य अर्जनों का वित्तपोषण हो और अर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण न किया गया हो, तो वहाँ पैसों के अंतरिम उपयोग के ब्यौरे और अर्जनों को पूरा किए जाने की संभावित तारीख ।
- (4) निर्गम के उद्देश्यों के संबंध में संयंत्र और मशीनरी के लिए न दिए गए आदेशों से जुड़े जोखिम, यह बताते हुए कि कितने प्रतिशत संयंत्र और मशीनों के लिए आदेश अभी दिए जाने हैं और उनका मूल्य क्या है ।
- (5) निर्गमकर्ता या उसके संप्रवर्तकों के पास उस उद्योग क्षेत्र में ज्यादा अनुभव न होना, जिसके लिए निर्गम लाया जा रहा है ।
- (6) क्या निर्गमकर्ता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में नुकसान हुआ है ।
- (7) निर्गमकर्ता या उसके कारोबार के किसी खंड का ऐसे किसी एक ग्राहक या कुछेक ग्राहकों पर निर्भर होना, जिनमें से किसी एक या अधिक ग्राहक को खोने पर निर्गमकर्ता पर खासा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो ।
- (8) भारत या विदेश में किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पिछले दस वर्षों में निर्गमकर्ता या उसकी किसी समनुषंगी की किसी भी प्रतिभूति को सूचीबद्ध करने से इनकार किया गया है ।
- (9) निर्गमकर्ता या उसकी किसी समनुषंगी का भारत या विदेश में किसी स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्धता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहना और ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाई गई शास्ति (पेनल्टी), यदि कोई हो, जिसमें व्यापार का निलंबन शामिल है, के ब्यौरे ।
- (10) स्टॉक एक्सचेंजों में निर्गमकर्ता की किन्हीं निर्धारित प्रतिभूतियों में काफी कम व्यापार होना या छिटपुट व्यापार होना ।
- (11) बकाया ऋण लिखतों के मामले में, महत्वपूर्ण शर्तों आदि, जैसे निर्गम की शर्तों आदि के अनुसार पूर्ण प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के सृजन, का पालन किए जाने में कोई चूक करना, ब्याज की अदायगी में कोई चूक करना, मोचन में चूक करना, डिबेंचर मोचन आरक्षिति का सृजन न करना, दांडिक ब्याज की अदायगी (जहाँ कहीं भी लागू हो) में चूक करना, आस्ति कवर, ब्याज कवर, ऋण-चुकौती कवर उपलब्ध न होना या को न बनाए रखना, आदि ।
- (12) निर्गमकर्ता और उसकी समनुषंगियों द्वारा लिए गए गैर-जमानती ऋण, यदि कोई हों, जिन्हें किसी भी समय वापस मांगा जा सकता है ।
- (13) निर्गमकर्ता और उसकी समनुषंगियों द्वारा जमाराशियों की चुकौती में या उन पर मिलने वाले ब्याज के भुगतान में चूक करना, और यदि कोई देनदारी है, तो उसका रोलओवर ।
- (14) यदि निर्गमकर्ता के संप्रवर्तक या निदेशक ऐसे एक या अधिक उद्यमों में लगे हुए हैं, जो निर्गमकर्ता के क्रियाकलाप या कारोबार जैसे ही हैं, तो हित-विरोध की संभावना ।
- (15) सूचीबद्ध निर्गमकर्ता या सूचीबद्ध समनुषंगियों (सब्सिडियरी) द्वारा पिछले पाँच वर्षों में लाए गए किन्हीं निर्गमों (इश्यू) के संबंध में बताए गए उद्देश्यों की तुलना में प्रदर्शन में जो कमी रही उसके ब्यौरे, जैसा "अन्य विनियामक और कानूनी प्रकटीकरण" खंड में "उद्देश्यों की तुलना में कार्य-निष्पादन" शीर्षक के तहत प्रकट किया गया हो, कितनी-कितनी कमी रही या कितनी-कितनी देरी हुई ।
- (16) निर्गमकर्ता के संप्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के हित (किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति या सामान्य पारिश्रमिक या फायदों को छोड़कर) । निर्गम से आए पैसे का कोई हिस्सा, जिसके बारे में यह प्रस्ताव हो कि निर्गमकर्ता द्वारा उसे निर्गमकर्ता के संप्रवर्तक, निदेशकों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति को अदा किया जाएगा ।

- (17) पिछले 5 वर्षों में जिन एंटीटियों से निर्गमकर्ता ने भूमि अर्जित की हो या निर्गमकर्ता भूमि अर्जन करने का प्रस्ताव करता हो, उनका निर्गमकर्ता के संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ कोई संबंध, सुसंगत व्यौरों के साथ ।
- (18) जिस परियोजना के लिए निर्गम लाया जा रहा है, उस परियोजना के संबंध में प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों में से किसी एक पर अत्यधिक निर्भर होना ।
- (19) निर्गमकर्ता द्वारा गैर-जमानती ऋण लिखतों में किया गया कोई बड़ा निवेश।
- (20) निवेश के मूल्य में कमी के संबंध में कोई प्रावधान न होना ।
- (21) "चल रहे मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाएँ" से संबंधित खंड में प्रकट किए गए सभी चल रहे मुकदमों और अन्य मामलों का संक्षिप्त विवरण (सारणी में), साथ ही यदि आंका जा सके तो यह भी उल्लेख किया जाए कि उनमें कितनी रकम शामिल है । निर्गमकर्ता अलग से उन आपराधिक, विनियामक और कर संबंधी मामलों का भी उल्लेख करेगा जिसका निर्गमकर्ता पर खासा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।
- (22) जिस परियोजना के लिए निर्गम में पैसा जुटाया जा रहा है, उस परियोजना को पूरी किए जाने में होने वाली देरी, यदि कोई हो ।
- (23) यदि इन विनियमों के अनुसार अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी को नियुक्त करना जरूरी न हो, तो यह कथन कि निर्गम से आए पैसों का उपयोग (डिप्लॉयमेंट) पूरी तरह से निर्गमकर्ता के विवेकाधिकार पर किया जाएगा।
- (24) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में की जा रही गतिविधियों से हुए ऋणात्मक नकदी प्रवाह।
- (25) क्या निर्गम से आए पैसों से अर्जन किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि निर्गमकर्ता के नाम पर रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।
- (26) अल्पकालिक उधारों (फिर चाहे वे जमानती हों या गैर-जमानती) और दीर्घकालिक उधारों के लिए किसी शेयरधारक करार, संप्रवर्तक करार (प्रमोटर एग्रीमेंट) या किसी अन्य करार में इक्विटी शेयरधारकों के हितों से संबंधित कोई प्रतिबंधात्मक शर्तें आदि ।
- (27) निर्गमकर्ता और सूचीबद्ध समनुपंगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में निवेशकों की लंबित शिकायतों का होना ।
- (28) प्रतिभूत संप्रवर्तनीय ऋण लिखतें जारी करने के मामले में, आस्ति कवर (असेट कवर) पर सृजित किए गए दूसरा भार (सेकेंड चार्ज) या शेष भार (रेज़िडुअल चार्ज) या गौण बाध्यता (सबऑर्डिनेटिड ऑब्लिगेशन) से जुड़े जोखिम ।

#### (6) परिचय:

- (क) निर्गम संबंधी व्यौरे, संक्षेप में ।

#### (7) सामान्य जानकारी :

- (क) निर्गमकर्ता का नाम तथा उसके रजिस्ट्रीकृत और कारपोरेट कार्यालयों के पते, उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या, और उस कंपनी रजिस्ट्रार का पता, जिसके पास निर्गमकर्ता रजिस्ट्रीकृत है ।
- (ख) निर्गमकर्ता के निदेशक-मंडल के प्रत्येक सदस्य का नाम, आयु, पदनाम, पता और डीआईएन ।
- (ग) कंपनी सेक्रेटरी और कानूनी सलाहकार के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ और ई-मेल आईडी ।
- (घ) अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) का नाम, पता, उसकी दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी ।

- (ड) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों), निर्गम रजिस्ट्रारों, निर्गमन बैंकारों के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ, उनके संपर्क व्यक्ति, वेबसाइट के पते और उनकी ई-मेल आईडी; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वेबसाइट का यूआरएल जिसमें स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों, निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, आदि के ब्यौरे दिए हुए हैं।
- (च) निर्गमकर्ता के लेखापरीक्षकों के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ, उनकी समकक्ष समीक्षा संख्या (पीयर रिव्यू नंबर), उनके फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या और उनकी ई-मेल आईडी।
- (छ) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के बीच दायित्वों के परस्पर आबंटन के विवरण।
- (ज) संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों (कन्वर्टिबल डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) / ऋण लिखतों के निर्गम (इश्यू) के मामले में, साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के निम्नलिखित ब्यौरे:
- (क) उन सभी साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियों के नाम जिनसे संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के निर्गम के लिए क्रेडिट रेटिंग (जिनमें वे रेटिंग भी शामिल हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया) प्राप्त की गई है।
- (ख) संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के निर्गम के लिए प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग (जिनमें वे रेटिंग भी शामिल हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया) के ब्यौरे।
- (ग) प्रारूप प्रस्ताव-पत्र / प्रस्ताव-पत्र दाखिल करने से ठीक पहले के तीन वर्षों के दौरान निर्गमकर्ता द्वारा सूचीबद्ध ऋण लिखतों (डैट इन्स्ट्रूमेंट) के जरिए बाजार से पैसा जुटाते समय जो भी क्रेडिट रेटिंग ली गई उसके ब्यौरे।
- (झ) संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों / ऋण लिखतों के निर्गम के मामले में, डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) का नाम, पता, उसकी दूरभाष संख्या, उसके वेबसाइट का पता और उसकी ई-मेल आईडी।
- (ञ) यदि कोई अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी नियुक्त की गई हो, तो उसका नाम, पता, उसकी दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी, और यह प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) कि क्या ऐसी नियुक्ति इन विनियमों के अनुसार की गई है। यह तथ्य कि बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल कर दिया गया है और साथ ही बोर्ड के उस कार्यालय का नाम जहाँ प्रस्ताव-पत्र दाखिल किया गया हो।
- (ट) हामीदारी (अंडरराइटिंग) के ब्यौरे:
- (क) हामीदारों (अंडरराइटर्स) के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ तथा ई-मेल आईडी और उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी रकम की हामीदारी की गई।
- (ख) निर्गमकर्ता के निदेशक मंडल द्वारा यह घोषणा कि हामीदारों के पास उनकी अपनी-अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
- (ग) निर्गम की आंशिक हामीदारी के मामले में, कितनी रकम की हामीदारी की गई।
- (घ) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल किए गए प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में, हामीदारी की अंतिम व्यवस्था के ब्यौरे, जिसमें उन निर्धारित प्रतिभूतियों की वास्तविक संख्या का जिक्र किया जाए जिसके लिए हामीदारी की गई हो।
- (ठ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखापरीक्षकों को बदले जाने संबंधी ब्यौरे, जिनमें शामिल हैं - लेखापरीक्षकों के नाम, पते, उनकी ई-मेल आईडी, उनकी समकक्ष समीक्षा संख्या संख्या (पीयर रिव्यू नंबर) और उनके फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा उन्हें बदले जाने के कारण।

#### (8) पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर) :

- (क) पूँजी संरचना को निम्नलिखित क्रम में सारणी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा :

- (क) प्राधिकृत (अथॉराइज़्ड), निर्गमित (इश्यूड), अभिदत्त (सब्सक्राइड) और समादत्त (पेड अप) पूँजी [प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की संख्या, उनके विवरण और सकल अंकित मूल्य] ।
- (ख) समादत्त पूँजी:
- (i) निर्गम के बाद की ।
- (ii) संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) के बाद (यदि लागू हो) की ।
- (ग) निम्नलिखित के संबंध में संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और संप्रवर्तक समूह का इरादा क्या है और निर्गम (इश्यू) में उनकी हिस्सेदारी कितनी है:
- (i) उनकी अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेंट) ।
- (ii) अपनी अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेंट) से ज्यादा अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्रिप्शन करने) का उनका इरादा:
- परंतु यह कि ऐसी भागीदारी से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] में निर्धारित की गई न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) संबंधी अपेक्षा का उल्लंघन नहीं होगा।
- (घ) अधिकार रहित कीमत, जिसका उल्लेख भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़िशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन्स, 2011] के विनियम 10 के उप-विनियम 4 के खंड (ख) के तहत किया गया है ।
- (ङ) निर्गमकर्ता का शेयरधारिता स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न), उसी फॉर्मेट में जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में निर्धारित किया गया है तथा जैसा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है । यह जानकारी या तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के वेबसाइट का संदर्भ आदि देकर या फिर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में ब्यौरे देकर दी जा सकती है:
- (i) निर्गमकर्ता के ऐसे शेयरधारकों के ब्यौरे, जिन्होंने निर्गमकर्ता की समादत्त पूँजी (स्टॉक एक्सचेंजों को अंतिम बार किए गए प्रकटीकरण के अनुसार) का 1% या उससे अधिक धारण किया हुआ हो । संप्रवर्तकों और संप्रवर्तक समूह द्वारा अवरुद्ध (लॉक-इन), गिरवी पर रखे गए और ऋण-भार (विल्लंगम / इन्कम्ब्रेन्स) के तहत रखे गए शेयरों के ब्यौरे । यह जानकारी या तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के वेबसाइट का संदर्भ आदि देकर या फिर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में ब्यौरे देकर दी जा सकती है

## (9) निर्गम के विवरण:

### (क) निर्गम के उद्देश्य:

- (1) निर्गम के उद्देश्य ।
- (2) यदि निर्गम के उद्देश्यों में एक उद्देश्य उधार की चुकौती करना हो, तो :

(क) जिस उधार की चुकौती करनी हो, उसके ब्यौरे जैसे उधारदाता का नाम, शर्तें आदि (संक्षेप में) और बकाया रकम;

- (ख) कानूनी लेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिन प्रयोजनों से वह लिया गया था।
- (ग) यदि एक उद्देश्य संयुक्त उद्यम या समनुषंगी में निवेश करना या अर्जन करना हो, तो निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाएँ:
- (घ) निवेश के प्रकार के ब्यौरे, अर्थात् इक्विटी, ऋण या अन्य कोई लिखत (इन्सट्रूमेंट);
- (ङ) यदि यह तय नहीं किया गया है कि निवेश कहाँ (अर्थात् इक्विटी में, ऋण में या किसी अन्य लिखत में) किया जाएगा, तो उस आशय का कथन;
- (च) यदि निवेश ऋण लिखतों में किया गया है, तो ब्याज दर, प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के स्वरूप, चुकौती की शर्तों आदि, सबऑर्डिनेशन आदि से संबंधित पूरे ब्यौरे ;
- (छ) निवेश के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता को हो सकने वाला लाभ किस प्रकार का होगा
- (3) यदि निर्गम का एक उद्देश्य समनुषंगी (सब्सिडियरी) से भिन्न किसी एंटीटी को उधार देना है, तो उधार संबंधी करारों के ब्यौरे, जिनमें शामिल हैं - ब्याज की दर, क्या उधार जमानती है या गैर-जमानती, अवधि, प्रतिभूति का स्वरूप, चुकौती की शर्तें आदि, सबऑर्डिनेशन, आदि और निवेश के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता को हो सकने वाला लाभ किस प्रकार का होगा।
- (4) यदि निर्गम का एक उद्देश्य दीर्घकालिक कार्यशील पूँजी (वर्किंग कैपिटल) के लिए निर्गम से आए पैसों का इस्तेमाल करना हो, तो निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाएंगे:
- (क) कितनी कार्यशील पूँजी चाहिए इसका अनुमान कैसे लगाया गया, और किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया।
- (ख) अतिरिक्त कार्यशील पूँजी जुटाने के कारण, और इन कारणों को पुख्ता करने के लिए सुसंगत तथ्य और आँकड़े।
- (ग) अनुमानित कार्यशील पूँजी के ब्यौरे, जिनमें शामिल हैं - यथास्थिति, परियोजना पूरी हो जाने या निर्गम के उद्देश्य पूरे हो जाने के बाद कार्यशील पूँजी का विस्तृत आकलन, यह अनुमान कि कितनी क्षमता का उपयोग किया जाएगा आदि, अनुमानित चालू आस्तियों (असेट्स) का कच्चे माल, तैयार वस्तुओं, चालू कार्य, विविध देनदारों, आदि के अनुसार अलग-अलग ब्यौरा। साथ ही यह जानकारी कि प्रत्येक चालू आस्ति किस आधार पर रखी जाती है, कुल चालू देयताएँ, शुद्ध चालू आस्तियाँ और शुद्ध चालू आस्तियों का वित्तपोषण किन स्रोतों से किया जाएगा जैसे बैंक से ऋण आदि लिया जाएगा (बैंक फाइनेंस), संस्थाओं आदि से ऋण आदि लिया जाएगा (इंस्टिट्यूशनल फाइनेंस), अपना पैसा (फंड्स) लगाया जाएगा, आदि।
- (घ) सारणी में कुल अनुमानित कार्यशील पूँजी के ब्यौरे, उसकी मार्जिन राशि और वह हिस्सा जिसका वित्तपोषण बैंक (बैंकों) द्वारा या अन्यथा किया जाएगा।
- (ङ) निर्गमकर्ता की मौजूदा कार्यशील पूँजी के ब्यौरे, और साथ ही कुल चालू आस्तियों का कच्चे माल, तैयार वस्तुओं, चालू कार्य, विविध देनदारों, आदि के तौर पर ब्यौरा, कुल चालू देयताएँ, शुद्ध चालू आस्तियाँ और शुद्ध चालू आस्तियों का वित्तपोषण किन स्रोतों से किया जाएगा जैसे बैंक से ऋण आदि लिया जाएगा (बैंक फाइनेंस), संस्थाओं आदि से ऋण आदि लिया जाएगा (इंस्टिट्यूशनल फाइनेंस), अपना पैसा (फंड्स) लगाया जाएगा, आदि।
- (च) जिस परियोजना के लिए निर्गम लाया गया है, यदि उस परियोजना के लिए कार्यशील पूँजी नहीं दर्शाई जाती है, तो इसके कारण।



**(5) भूमि:**

- (क) उन एंटिटियों के नाम जिनसे भूमि का अर्जन किया गया / किए जाने का प्रस्ताव हो, साथ ही अर्जन की लागत, और निर्गमकर्ता के किसी संप्रवर्तक या निदेशक से ऐसी एंटिटियों का कोई संबंध (यदि कोई हो), उस मामले में जहाँ निर्गम से आए पैसों का उपयोग भूमि का अर्जन करने के लिए किया जाता है।
- (ख) इसके ब्यौरे कि क्या निर्गमकर्ता द्वारा अर्जित की गई भूमि सभी ऋण-भारों (विल्लंगम / इन्कम्ब्रेन्स) से मुक्त है और इसका हक (टाइटल) भार मुक्त (क्लीयर) है और क्या यह निर्गमकर्ता के नाम पर रजिस्ट्रीकृत है।
- (ग) इसके ब्यौरे कि क्या निर्गमकर्ता ने भूमि से संबंधित सभी मंजूरीयों के लिए आवेदन किया हुआ है / मंजूरीयाँ प्राप्त कर ली हैं। यदि निर्गमकर्ता द्वारा ऐसी कोई मंजूरी लेनी जरूरी न हो, तो वह इस बात की पुष्टि करेगा।
- (घ) इस खंड के तहत दिए गए आँकड़े "परियोजना की लागत" संबंधी खंड के तहत दिए गए आँकड़ों के अनुरूप होंगे।

**(6) परियोजना :**

यदि निर्गम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य किसी परियोजना (प्रोजेक्ट) में पैसा लगाना हो, तो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएँ :

(क) परियोजना का स्थान;

(ख) संयंत्र और मशीनरी, प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया आदि ;

- i) ब्यौरे सारणी में दिए जाएँ, जिनमें शामिल हैं - निर्गमकर्ता द्वारा खरीदे जाने के लिए अपेक्षित मशीनों के ब्यौरे, मशीनों की लागत, आपूर्तिकर्ता का नाम, आदेश दिए जाने की तारीख और आपूर्ति करने की तारीख या अपेक्षित तारीख, आदि।
- ii) यदि मशीनों की सुपर्दगी अभी की जानी हो, तो उन कोटेशन की तारीख का उल्लेख, जिनके आधार पर लागत अनुमानों का उल्लेख किया गया है।
- iii) कितने प्रतिशत संयंत्र और मशीनरी के लिए आदेश अभी दिए जाने हैं और उनका मूल्य क्या है।

(ग) खरीद ली गई या खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित पुरानी (सेकण्ड हैंड) मशीनों, यदि कोई हों, के ब्यौरे, जिनमें ये ब्यौरे भी दिए जाएँ कि मशीनें कितनी पुरानी हैं, अभी और कितने समय तक चलेंगी, आदि।

(घ) सहयोग, कार्य-निष्पादन संबंधी कोई गारंटी (यदि कोई हो) या सहयोगियों द्वारा मार्केटिंग में सहायता से संबंधित जानकारी। उन व्यक्तियों या एंटिटियों, जिनके साथ तकनीकी और वित्तीय करार किए गए हों, के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

- i) रजिस्ट्रीकरण का स्थान और गठन (निगमन) का वर्ष।
- ii) समादत्त शेयर पूँजी।
- iii) जिस अंतिम वित्तीय वर्ष में कामकाज किया हो, उस वित्तीय वर्ष का व्यापारावर्त (टर्नओवर)।
- iv) निर्गमकर्ता से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में सामान्य जानकारी।

(ङ) कच्चे माल के लिए बुनियादी सुविधाएँ और पानी, बिजली, आदि जैसी सुविधाएँ, आदि।

**(7) संपत्ति:**

यदि निर्गम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य किसी संपत्ति को खरीदना है, तो जहाँ इस संबंध में व्यवस्था की गई है, वहाँ निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएँगे:

- (क) विक्रेताओं का नाम, पता, विवरण और व्यवसाय;
- (ख) विक्रेता को नकदी, शेयरों या डिबेंचरों में किए गए भुगतान या किए जाने वाले भुगतान की रकम और, जहाँ एक से अधिक विक्रेता (अलग-अलग) हों, या निर्गमकर्ता उप क्रेता हो, तो वहाँ प्रत्येक विक्रेता को इस प्रकार अदा की गई या अदा की जानेवाली रकम, साख (गुडविल) के लिए अदा की गई या अदा की जाने वाली रकम, यदि कोई हो, को अलग-अलग दर्शाया जाएगा;
- (ग) निर्गमकर्ता द्वारा अर्जित की गई या अर्जित की जाने वाली ऐसी संपत्ति में हक या हित का स्वरूप;
- (घ) संपत्ति के संबंध में पिछले दो वर्षों के भीतर पूरे किए गए ऐसे प्रत्येक लेनदेन के संक्षिप्त ब्यौरे, जिसमें निर्गमकर्ता को संपत्ति के किसी विक्रेता या किसी व्यक्ति (जो निर्गमकर्ता का संप्रवर्तक, या निदेशक या प्रस्तावित निदेशक हो अथवा लेनदेन के समय निर्गमकर्ता का संप्रवर्तक, या निदेशक या प्रस्तावित निदेशक था) का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित था, लेनदेन की तारीख और ऐसे संप्रवर्तक, निदेशक या प्रस्तावित निदेशक का नाम बताया जाएगा और ऐसे लेनदेन के संबंध में ऐसे विक्रेता, संप्रवर्तक, निदेशक या प्रस्तावित निदेशक द्वारा या को अदा की जाने वाली राशि का उल्लेख किया जाएगा;
- (ङ) जिस संपत्ति पर उप-खंड (क) लागू हो, वह संपत्ति निर्गमकर्ता द्वारा खरीदी गई या अर्जित की गई या खरीदे जाने या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, जिसका भुगतान निर्गम से आए पैसों से पूरी तरह से या आंशिक रूप से किया जाना हो अथवा जिसकी खरीद या जिसका अर्जन, यथास्थिति, प्रारूप प्रस्ताव-पत्र या प्रस्ताव-पत्र की तारीख को पूरा न किया गया हो।

**(8) संयंत्र / उपकरण / तकनीक / प्रक्रिया :**

यदि निर्गम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य किसी संयंत्र, मशीनरी, तकनीक, प्रक्रिया आदि की खरीद करना है।

- (i) ब्यौरे सारणी में दिए जाएँगे, जिनमें शामिल हैं - निर्गमकर्ता द्वारा खरीदे जाने वाले उपकरण, उपकरण की लागत, आपूर्ति करने वालों का नाम, आदेश की तारीख और आपूर्ति की तारीख या अपेक्षित तारीख, आदि।
  - (ii) यदि उपकरण के लिए आदेश अभी दिया जाना है, तो उन कोटेशन की तारीखों का उल्लेख करें, जिनके आधार पर लागत के अनुमान दिए गए हों।
  - (iii) कितने प्रतिशत उपकरण के लिए आदेश अभी दिए जाने हैं और उनका मूल्य क्या है।
  - (iv) खरीदे गए या खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित पुराने (सेकण्ड हैंड) उपकरणों, यदि कोई हों, के ब्यौरे, जिनमें ये ब्यौरे भी दिए जाएँ कि मशीनें कितनी पुरानी हैं, अभी और कितने समय तक चलेंगी, आदि।
- (9)** प्रतिभूत संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के निर्गम के मामले में: उन आस्तियों के विवरण जिन पर जमानत (प्रतिभूति) का सृजन किया जाएगा / आस्ति कवर, यदि अपेक्षित हो, का सृजन किया जाएगा, जमानत (प्रतिभूति) कवर की गणना करने का आधार, मूल्यांकन पद्धतियाँ, ऐसा मूल्यांकन कब-कब किया जाएगा और भार (भारों) का क्रम (रैंकिंग)।
- (10)** यदि वारंट निर्गमित किए जाते हैं, तो उन उद्देश्यों के विवरण जिनके लिए वारंट के संपरिवर्तन से प्राप्त पैसों (निधियों) का इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है।

**(ख) पैसों (निधियों/फंड्स) की जरूरत :**

- (1) जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) एक से अधिक कार्य या परियोजना (प्रोजेक्ट) [जैसे विविधीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तार, आदि] शुरू करना चाहता हो, वहाँ परियोजना की कुल लागत, यथास्थिति, क्रियाकलाप के अनुसार या परियोजना के अनुसार दी जाएगी।
- (2) जहाँ निर्गमकर्ता चरणबद्ध तरीके से परियोजना पूरी कर रहा हो, वहाँ प्रत्येक चरण की लागत, जिसके अंतर्गत ऐसे चरण, यदि कोई हो, को भी शामिल किया जाएगा जो पहले ही पूरा किया जा चुका हो।
- (3) निर्गम से आए पैसों के इस्तेमाल या परियोजना की लागत के संबंध में संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स), निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, सहयोगी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा परिभाषित) के साथ किए गए या किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण लेनदेनों (ट्रांजैक्शन्स) के ब्यौरे। संबंधित दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाएगा।

**(ग) पैसा कैसे जुटाया जाएगा (वित्तपोषण के माध्यम):**

- (1) निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा यह पुष्टि करते हुए वचन कि उसने बताए गए वित्तपोषण के माध्यमों के पचहत्तर प्रतिशत के पक्के इंतजाम ऐसे माध्यमों के जरिए कर लिए हैं, जिनकी पुष्टि की जा सकती हो, किंतु जिनमें प्रस्तावित निर्गम (इश्यू) के जरिए जुटाई जाने वाली रकम और मौजूदा आंतरिक एक्जुअल (जिनकी पहचान की जा सकती हो) शामिल नहीं है।
- (2) वित्तपोषण के बचे हुए हिस्से (जिसके लिए पक्के इंतजाम न किए गए हों) के ब्यौरे।
- (3) जो पैसा टाइड अप है उसके ब्यौरे तथा अतिरिक्त पैसों, यदि कोई हों, का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा इसके ब्यौरे।

**(घ) मूल्यांकन (यदि लागू हो):**

- (1) मूल्यांकन का दायरा और प्रयोजन, यदि कोई हो, मूल्यांकन की तारीख के साथ।
- (2) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की लागत और वित्तपोषण के जरिए।
- (3) मूल्यांकन रिपोर्ट जारी होने की तारीख के बाद परियोजना की लागत और वित्तपोषण के जरियों में बदलाव, यदि कोई हो, किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।
- (4) मूल्यांकन रिपोर्ट में जिन कमजोरियों और आशंकाओं का जिक्र किया गया तथा जो अभिमत दिए गए उनका उल्लेख जोखिम कारकों के तौर पर किया जाएगा।

**(ङ) परियोजना पूरी किए जाने की समय-सारणी:** परियोजना पूरी किए जाने की समय-सारणी और अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी जाएगी, जिसमें ये ब्यौरे दिए जाएँगे - जमीन कब ली, सिविल कार्य कब शुरू किए, संयंत्र (प्लांट) तथा मशीनरी कब लगाई और जाँचने-परखने के लिए उत्पादन कब शुरू किया, वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरू किया, और यदि कोई देरी हुई, तो उसके कारण।

**(च) पैसों (फंड्स) का इस्तेमाल:**

- (1) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से कम से कम दो महीने बाद की तारीख तक, पैसों (फंड्स) के स्रोत और परियोजना के लिए इन पैसों के इस्तेमाल (जहाँ निर्गमकर्ता परियोजना के लिए पूँजी जुटा रहा हो) के ब्यौरे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए हों, और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम और प्रमाणपत्र की तारीख का भी उल्लेख किया जाए।

- (2) जहाँ संप्रवर्तकों द्वारा अग्रिम रूप में लाई गई शेयर संबंधी आवेदन की रकम का इस्तेमाल परियोजना में किया जाता हो और उसे साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) में उनकी अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेन्ट) के प्रति समायोजित किया जा रहा हो, तो यह उल्लेख किया जाए कि संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) द्वारा लाए गए पैसों में से कितने पैसे का इस्तेमाल आदि किया गया।
- (छ) जो पैसा पहले से लगाया गया है, वह कहाँ से आया : पैसा कहाँ से जुटाया और कहाँ से आया, जिसमें "ब्रिज लोन" के ब्यौरे या फिर यदि पैसों का इंतजाम कहीं और से किया गया हो, तो उसके ब्यौरे शामिल हैं, जिसकी चुकौती निर्गम से आए पैसों से की जा सकेगी।
- (ज) बचे हुए पैसों के इस्तेमाल के ब्यौरे: उपरोक्त परियोजना पर किए जाने वाले व्यय के वर्ष के अनुसार ब्यौरे।
- (झ) पैसों का अंतरिम इस्तेमाल: यह कथन कि निर्गम से आए कुल पैसों, जिनका इस्तेमाल (उल्लिखित उद्देश्यों के लिए) न हुआ हो, को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ही जमा कराया जाएगा।
- (ञ) निर्गम के संबंध में होने वाले खर्चे: निर्गम के संबंध में होने वाले खर्चे (रकम के तौर पर, निर्गम के कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में और निर्गम के कुल आकार के प्रतिशत के रूप में), जो निम्नलिखित के संबंध में हो सकते हैं:
- (1) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) की फीस (हामीदारी संबंधी कमीशन सहित)
  - (2) दलाली (ब्रोकेज), बिक्री संबंधी कमीशन और अपलोड फीस
  - (3) निर्गम रजिस्ट्रार
  - (4) कानूनी सलाहकार
  - (5) विज्ञापन और विपणन (मार्केटिंग) संबंधी खर्चे
  - (6) विनियामक (स्टॉक एक्सचेंजों सहित)
  - (7) निर्गम से संबंधित स्टेशनरी का मुद्रण और वितरण
  - (8) अन्य, यदि कोई हों (जिनका उल्लेख किया जाए)।
- (ट) संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) और निदेशकों का हित, जैसा परियोजना या निर्गम के उद्देश्यों के संबंध में लागू हो।
- (10) कर संबंधी लाभ: निर्गमकर्ता (इश्युअर) और उसके शेयरधारकों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के अनुसार जिन समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) की पहचान महत्वपूर्ण समनुषंगियों के रूप में की गई हो, उनके लिए कर संबंधी कोई विशेष लाभ (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी कानूनों के तहत)।
- (11) निर्गमकर्ता के बारे में :
- (क) उद्योग – एक नज़र में
  - (ख) कारोबार – एक नज़र में
    - (1) निर्गमकर्ता के कारोबार के ब्यौरे:
      - (क) निर्गमकर्ता का मुख्य कारोबार;
      - (ख) संयंत्र, मशीन, तकनीक, प्रक्रिया, आदि ;

(ग) सहयोगियों द्वारा सहयोग, कार्य-निष्पादन की गारंटी (यदि कोई हो), या विपणन (मार्केटिंग) में सहायता, कच्चे माल के लिए बुनियादी सुविधाएँ और पानी, बिजली, आदि जैसी सुविधाएँ, आदि, निर्गमकर्ता के उत्पाद या उसकी सेवाएँ:

(i) किस प्रकार के उत्पाद बनाए/बेचे जाते हैं / किस प्रकार की सेवाएँ दी जाती हैं, और इनके अंतिम उपयोगकर्ता (यूज़र) कौन हैं।

(ii) उत्पादों और सेवाओं विपणन कैसे किया जाता है (की मार्केटिंग कैसे की जाती है)।

(2) **कारोबार संबंधी नीति (स्ट्रेटेजी):** निर्गमकर्ता की कारोबार संबंधी नीति (स्ट्रेटेजी) का विवरण, जो निर्गमकर्ता के वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में किए गए किसी अनुमान पर आधारित न हो।

(3) **क्षमता कितनी है एवं कितनी क्षमता का उपयोग किया जाता है:** एक सारणी दी जाएगी जिसमें प्रत्येक उत्पाद के लिए उपलब्ध मौजूदा क्षमता की जानकारी, और साथ ही यह जानकारी कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे उत्पादों के लिए कितनी क्षमता का उपयोग किया गया।

(4) **बौद्धिक संपदा के अधिकार:**

(क) यदि निर्गमकर्ता बौद्धिक संपदा (जैसे ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, आदि) के कुछ अधिकारों का हकदार है, तो क्या निर्गमकर्ता के पास वे कानूनी तौर पर हैं और क्या इस संबंध में सारी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं।

(ख) यदि निर्गमकर्ता के नाम पर बौद्धिक संपदा के कोई महत्वपूर्ण अधिकार रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, तो उस एंटीटी का नाम जिसके नाम पर ये रजिस्ट्रीकृत हैं।

(ग) यदि बौद्धिक संपदा के अधिकार उस एंटीटी के नाम पर रजिस्ट्रीकृत हैं, किंतु जो संप्रवर्तक लेना चाहते हों, तो निर्गमकर्ता द्वारा बौद्धिक संपदा के अधिकारों के इस्तेमाल के संबंध में किए गए करार की मुख्य-मुख्य बातें।

(5) **संपत्ति:** उसकी महत्वपूर्ण संपत्तियों के ब्यौरे।

(ग) **प्रबंध-मंडल:**

(क) **निदेशक मंडल:**

(i) प्रबंधक, प्रबंध-निदेशक, और अन्य निदेशकों [जिनमें नामनिर्देशिनी (नामिनी) निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं] का नाम, उनकी जन्म तिथि, आयु, निदेशक पहचान संख्या (डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर), उनके पते, उनका व्यवसाय और उनके मौजूदा कार्यकाल (पदावधि) के पूरा होने की तारीख, कब से निदेशक पद पर हैं और दूसरी किन-किन कंपनियों में निदेशक पद पर हैं।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में, उन सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के निम्नानुसार ब्यौरे जिनमें वर्तमान में निदेशक हैं और पहले निदेशक रहे हैं, जिनके शेयरों में होने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को, पिछले पाँच वर्षों में, किन्हीं, उस व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान, स्टॉक एक्सचेंजों से निलंबित किया गया हो / किया गया था:

- कंपनी का नाम
- कहाँ सूचीबद्ध है [स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का नाम]
- स्टॉक एक्सचेंजों से निलंबन की तारीख

- यदि व्यापार (ट्रेडिंग) तीन महीनों से अधिक के लिए निलंबित किया गया हो, तो निलंबन के कारण और निलंबन की अवधि
- यदि व्यापार (ट्रेडिंग) का निलंबन हटा दिया गया हो, तो निलंबन हटाए जाने की तारीख
- उपरोक्त कंपनी (कंपनियों) में निदेशक का कार्यकाल (संबंधित तारीखों सहित)।

[उपरोक्त ब्यौरे पिछले पाँच वर्षों के लिए दिए जाएँगे। इन विनियमों के प्रावधानों के तहत तीव्र-पथीय निर्गमों (फास्ट ट्रेक इश्यू) के संबंध में दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट्स) के मामले में, पाँच वर्ष की अवधि की शुरुआत प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख से मानी जाएगी।]

(iii) प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में, उन सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के निम्नानुसार ब्यौरे जिनमें वर्तमान में निदेशक हैं और पहले निदेशक रहे हैं, जिन्हें पिछले दस वर्षों में, उस व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किया गया हो / किया गया था:

- कंपनी का नाम
- कहाँ सूचीबद्ध है [स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का नाम]
- स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किए जाने की तारीख
- अनिवार्य या स्वैच्छिक असूचीबद्धता
- असूचीबद्धता के कारण
- यदि फिर से सूचीबद्ध किया गया हो, तो फिर से सूचीबद्ध किए जाने की तारीख [उन स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के नाम, जहाँ फिर से सूचीबद्ध किया गया हो]
- उपरोक्त कंपनी (कंपनियों) में निदेशक का कार्यकाल (संबंधित तारीखों सहित)

[उपरोक्त ब्यौरे पिछले पाँच वर्षों के लिए दिए जाएँगे। इन विनियमों के प्रावधानों के तहत तीव्र-पथीय निर्गमों (फास्ट ट्रेक इश्यू) के संबंध में दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट्स) के मामले में, पाँच वर्ष की अवधि की शुरुआत प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख से मानी जाएगी।]

(ख) प्रबंध-मंडल का संगठनात्मक ढाँचा।

(ग) कंपनी संचालन (शासन):

- (i) यह कथन कि निर्गमकर्ता ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में किए गए प्रावधानों के अनुसार इसके निदेशक मंडल की संरचना, समितियों [जैसे कि लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति, आदि] के गठन से संबंधित कंपनी संचालन (शासन) संबंधी अपेक्षाओं का पालन कर लिया है।
- (ii) निर्गमकर्ता की लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति (यदि लागू हो) से संबंधित ब्यौरे, जिसमें समिति के सदस्यों के नाम और उन विचारार्थ विषयों का भी उल्लेख हो जिनके अनुसार समितियाँ कार्य करती हों।

**(घ) प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति:**

- (i) प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के ब्यौरे, जिसमें नाम, कार्यग्रहण करने की तारीख, योग्यता (अर्हता), कार्यकाल और कार्यकाल समाप्त होने की तारीख और सेवा संबंधी कॉन्ट्रैक्ट के ब्यौरे, जिनमें सेवा से हटाए जाने पर मिलने वाले लाभ / सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ, यदि कोई हो, शामिल हैं, इससे पहले जहाँ कार्यरत थे उससे संबंधित ब्यौरे, आदि।
- (ii) कारोबार का पिछला अनुभव, और निर्गमकर्ता का क्या कार्य देखते हैं और किन क्षेत्रों में अनुभव है। प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों में से यदि किसी के बीच कोई पारिवारिक संबंध हो, तो उसके ब्यौरे।
- (iii) प्रत्येक प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति की हैसियत, जैसे कि वह स्थायी कर्मचारी है या कोई अन्य कर्मचारी है।

**(12) संप्रवर्तक / मुख्य शेयरधारक:** संप्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण, जिसमें उनके नाम, कारोबार में अनुभव, अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद के ब्यौरे शामिल होंगे। कारपोरेट संप्रवर्तकों के मामले में ब्यौरे, जैसे उनका नाम, गठन (निगमन / इनकॉर्पोरेशन) की तारीख, वित्तीय ब्यौरे (संक्षेप में) और यदि ऐसा संप्रवर्तक सूचीबद्ध एंटीटी है तो उसका बाजार पूँजीकरण शामिल हैं। आनुकल्पिक निवेश निधि या जोखिम पूँजी निधि के संप्रवर्तक होने के मामले में, एंटीटी का नाम, निगमन की तारीख, निधि प्रबंधक का नाम और निधि की सामान्य ब्यौरे देने होंगे।

**(13) लाभांश नीति:** लाभांश नीति और लाभांश के भुगतान का माध्यम, पिछले तीन वित्तीय वर्षों और स्टब अवधि (जो भी लागू हो) में, और अंतिम लेखापरीक्षित अवधि तथा प्रारूप प्रस्ताव-पत्र / प्रस्ताव-पत्र दाखिल किए जाने की तारीख के बीच की अवधि में दिया गया लाभांश।

**(14) वित्तीय विवरण:**

**(क) निर्गमकर्ता के रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरण:** लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित एवं रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरण। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए गए अंतिम सीमित समीक्षा (लिमिटेड रिव्यू) वित्तीय विवरण [जिसके साथ उससे पिछले वर्ष के विवरण भी दिए जाएंगे] (यह जानकारी निर्गम के खुलने की तारीख से छह महीनों से ज्यादा पुरानी न हो)।

प्रस्ताव-पत्र में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:

- (i) वित्तीय विवरणों के संबंध में कानूनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- (ii) तुलन-पत्र
- (iii) आय के विवरण
- (iv) लेखों की अनुसूचियाँ
- (v) स्टॉकधारकों की इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण
- (vi) नकदी प्रवाहों के विवरण
- (vii) लेखा नीतियों के विवरण
- (viii) वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ
- (ix) समेकित एंटीटियों के संबद्ध पक्षकारों और सभी संबद्ध पक्षकार संब्यवहारों (रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स) की सूची (चाहे समेकन के दौरान उन्हें हटा दिया गया हो या न हटाया गया हो), जिसके संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के तहत प्रकटीकरण अपेक्षित हो और / या जो कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 188(2) के तहत आते हों, का प्रकटीकरण रीस्टेटेड वित्तीय जानकारी में उसी तरह किया जाना चाहिए जैसे उनका प्रकटीकरण समेकित एंटीटियों के लिए अलग से प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरण में किया गया हो।

**(ख) अन्य वित्तीय जानकारी**

- (i) निम्नलिखित जानकारी आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले *मार्गदर्शन टिप्पण (गाइडेंस नोट)* के अनुसार तैयार की जाएगी और अन्य वित्तीय जानकारी में उनका प्रकटीकरण किया जाएगा
- आमदनी प्रति शेयर (मूल और घटाकर निकाली गई)
  - शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर प्रतिफल
  - शुद्ध आस्ति मूल्य प्रति शेयर
  - ईबीआईटीडीए
- (ii) यदि पैसों का इस्तेमाल पूरी तरह से या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण कारोबारों या एंटीटियों के अर्जन के लिए किया जाना हो, तो कारोबार या समनुषंगी (जिसका अर्जन किया जाना हो) के लिए लागू होने वाले ढाँचे के अनुसार तैयार किए गए सबसे अंत के तीन वित्तीय वर्षों और स्टब अवधि (यदि उपलब्ध हो) के तुलन पत्रों, लाभ और हानि, नकदी प्रवाह के लेखापरीक्षित विवरण प्रारूप प्रस्ताव-पत्र / प्रस्ताव-पत्र में शामिल किए जाएंगे। इस प्रयोजनार्थ, प्रस्तावित अर्जन (जिसमें वे सभी कारोबार या समनुषंगियाँ शामिल हैं, जिनका अर्जन किया जाना हो) को तब महत्वपूर्ण माना जाएगा जब उसकी हिस्सेदारी निर्गमकर्ता के अंतिम नकदी प्रवाह विवरण में व्यापारावर्त (टर्नओवर), या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) या कर पूर्व लाभ में कुल-मिलाकर 20% या उससे अधिक की हो जाए। निर्गमकर्ता स्वैच्छिक रूप से निर्गम से आए पैसों से किए गए ऐसे अर्जनों के वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकता है, जो उपरोक्तानुसार महत्वपूर्ण न भी हों। जिन मामलों में ऐसे कारोबारों का अर्जन किया गया हो / बिक्री की गई हो, जिनके संबंध में सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरण (जनरल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट) उपलब्ध न हो, उन मामलों में, ऐसे कारोबारों/एंटीटी के संबंध में समेकित / काबर्ड-आउट वित्तीय विवरण [आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मार्गदर्शन टिप्पण (गाइडेंस नोट) के अनुसार] तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, समेकित / काबर्ड-आउट वित्तीय विवरण लागू ढाँचे के अनुसार विक्रेता के लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।
- (iii) **प्रोफार्मा वित्तीय विवरण** – निर्गमकर्ता उन मामलों में समेकित वित्तीय विवरणों में उन सभी महत्वपूर्ण समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) या कारोबारों के प्रोफार्मा वित्तीय विवरण (जिन्हें कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो) प्रस्तुत करेगा, जहाँ निर्गमकर्ता या उसकी समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) ने, उस अंतिम अवधि के बाद (किंतु प्रस्ताव-पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से पहले) अर्जन (एक्विज़िशन) किया हो या बिक्री (डाइवैस्टमेंट) [जिसमें डीमड डिस्पोज़ल शामिल है] की हो, जिसके लिए प्रस्ताव-पत्र में वित्तीय जानकारी प्रकट (डिस्कलोज़) की गई हो। इस प्रयोजनार्थ, अर्जन/बिक्री को तब महत्वपूर्ण माना जाएगा जब जिस कारोबार या समनुषंगी (सब्सिडियरी) का अर्जन किया गया हो / की बिक्री की गई हो उसकी हिस्सेदारी निर्गमकर्ता के अंतिम वार्षिक समेकित वित्तीय विवरणों में व्यापारावर्त (टर्नओवर), शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) या कर पूर्व लाभ में कुल-मिलाकर 20% या उससे अधिक की हो जाए। प्रोफार्मा वित्तीय विवरण अंतिम पूरे वित्तीय वर्ष और स्टब अवधि (यदि कोई हो) के लिए तैयार किए जाएंगे। प्रोफार्मा वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मार्गदर्शन टिप्पण (गाइडेंस नोट) के अनुसार तैयार किए जाएंगे और कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। निर्गमकर्ता कंपनी स्वैच्छिक रूप से ऐसे अर्जनों के प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकती है, जो उपरोक्तानुसार महत्वपूर्ण न भी हों। एक या एक से अधिक अर्जनों या बिक्री आदि के मामले में, समेकित प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे। जिन मामलों में ऐसे कारोबारों का अर्जन किया गया हो / की बिक्री आदि की गई हो, जो खुद से एक अलग एंटीटी न हों, और जहाँ सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरण (जनरल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट) उपलब्ध न हो, उन मामलों में, ऐसे कारोबारों के संबंध में समेकित / काबर्ड-आउट वित्तीय विवरण [आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मार्गदर्शन टिप्पण (गाइडेंस नोट) के अनुसार] तैयार किए जाएंगे। इसके



अलावा, ऐसे अर्जनों / बिक्री आदि के मामले में यह उल्लेख किया जाए कि कितनी रकम (कन्सिडरेशन) अदा की गई है / कितनी रकम (कन्सिडरेशन) प्राप्त हुई है और यह भी बताया जाए कि पैसा कहाँ से जुटाया गया (यह जानकारी निर्गमकर्ता कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करवाकर दी जाए)।

(iv) **लेखापरीक्षा संबंधी अभिमत.** यदि वित्तीय विवरणों के संबंध में अंतिम पूरे वर्ष की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट या अंतिम स्टब अवधि की सीमित समीक्षा (लिमिटेड रिव्यू) रिपोर्ट में बदलाव किया जाता है, तो निर्गमकर्ता अंतिम प्रस्ताव-पत्र जारी करने से पहले लेखापरीक्षा रिपोर्ट (राय में बदलाव करने के बाद) के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] की अपेक्षाओं का पालन करेगा, और साथ ही लेखापरीक्षा संबंधी अभिमतों के असर के संबंध में एक विवरण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में देगा। लेखापरीक्षकों की राय में हुए किसी बदलाव से होने वाले असर (जहाँ इसे आंका जा सकता हो), फिर भले ही उसे अंतिम पूरे वर्ष की लेखापरीक्षित रिपोर्ट में या फिर अंतिम स्टब अवधि की सीमित समीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया हो, को प्रस्ताव-पत्र में सभी वित्तीय अवधियों (फिर चाहे वह पूरे वर्ष की हो या फिर स्टब अवधि हो) [जिनमें पिछले वित्तीय वर्षों, यदि कोई हों, के आंकड़े भी शामिल हैं] के लिए जहाँ तक संभव हो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले लाइन आइटम में समायोजन के तौर पर दिखाया जाएगा। लेखापरीक्षा में हुए किसी भी प्रकार के बदलाव [फिर चाहे कोई अभिमत दिया गया हो, कोई दावात्याग (डिस्क्लेमर) दिया गया हो या फिर किसी मामले पर जोर दिया गया हो] के संबंध में भी प्रस्ताव-पत्र में उपयुक्त रूप से जानकारी दी जाएगी, और जिसे जोखिम कारक के रूप में दिखाया जाएगा।

(ग) **वित्तीय स्थिति और कामकाज के परिणाम की प्रबंधन संबंधी चर्चा एवं विश्लेषण (मैनेजमेंट डिसकशन एंड एनालिसिस), जैसे नकदी प्रवाह विवरण में दर्शाए जाते हैं वैसे ही अन्य वित्तीय जानकारी में भी दिए जाएँगे।**

(i) अंतिम वित्तीय वर्ष के बाद या स्टब अवधि (जब लागू हो) के बाद हुई महत्वपूर्ण घटनाएँ: निदेशकों द्वारा यह कथन कि क्या उनकी राय में प्रस्ताव-पत्र में प्रकट किए गए अंतिम वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद से ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है जो निम्नलिखित को महत्वपूर्ण रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है या अगले बारह महीनों में प्रभावित कर सकती है :

क. निर्गमकर्ता का व्यापार (ट्रेडिंग) और होने वाले लाभ को; या

ख. उसकी आस्तियों के मूल्य को; या

ग. अपनी देनदारियों को चुकाने की उसकी क्षमता को।

(ii) वे कारक जो कामकाज के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।

(iii) कामकाज के परिणामों के संबंध में चर्चा: इस जानकारी में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होगा:

क. पिछले तीन पूरे वित्तीय वर्षों और स्टब अवधि (यदि कोई हो) के पिछले वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसमें आय और व्यय की महत्वपूर्ण मदें शामिल हैं।

ख. पिछले तीन वर्षों और और स्टब अवधि (यदि कोई हो) के लिए आय और व्यय की प्रमुख मदों का सारांश।

ग. मुख्य उत्पाद / मुख्य क्रियाकलापों से हुई आय और की वजह से हुई बिक्री।

घ. यदि, अन्य आय कुल आय के 10% से अधिक हो, तो उसका विवरण, और आय के स्वरूप अर्थात् आवर्ती (रिकरिंग) या अनावर्ती (नॉन-रिकरिंग), का उल्लेख किया जाएगा।

ङ. यदि आय का बड़ा हिस्सा एक ग्राहक / आपूर्तिकर्ता या कुछेक प्रमुख ग्राहकों / आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है, तो संबंधित आँकड़ों के साथ इस तथ्य का प्रकटीकरण। इसी प्रकार, यदि

निर्गमकर्ता के कारोबार में किसी विदेशी ग्राहक / आपूर्तिकर्ता का बड़ा हिस्सा हो, तो इस तथ्य का तथा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण कारोबार पर होने वाले इसके प्रभाव का प्रकटीकरण।

- च. यदि निर्गमकर्ता ने विक्रयों और आमदनियों को दर्ज करने के लिए लागू लेखा मानकों से भिन्न लेखा मानक अपनाए हैं, तो इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाए और उसे प्रकट किया जाए।
- छ. अंतरिम अवधि और पिछले वर्षों में किस प्रकार की विविध आय हुई और किस प्रकार के विविध व्यय किए गए।

(iv) लाभ और हानि विवरण के प्रमुख शीर्षकों के संबंध में अंतिम तीन वर्षों और स्टब अवधि (यदि कोई हो) की तुलना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आय और व्यय की महत्वपूर्ण मदों में हुए परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा, और जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क. असामान्य या कभी-कभार होने वाली घटनाएँ या होने वाले लेनदेन (ट्रांजेक्शन), जिनमें कारोबारी गतिविधियों के कारण असामान्य रुख, आय की असामान्य मदें, लेखा नीतियों में परिवर्तन और विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए व्यय कम करना, आदि;
- ख. महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों की जानकारी जिनका चल रहे कामकाज से होने वाली आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो या पड़ने की संभावना हो;
- ग. उन रुखों और अनिश्चितताओं की जानकारी, जिनका बिक्री पर, आमदनी पर या चल रहे कामकाज से होने वाली आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो या पड़ने की संभावना हो;
- घ. यदि यह पता हो कि आगे चलकर मजदूरी या माल की लागत या कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से खासा बदलाव आएगा, तो ऐसे में यह बताएँ कि खर्चों और आमदनी में क्या बदलाव आएगा;
- ङ. बढ़े हुए विक्रय की मात्रा, नए उत्पादों या सेवाओं को लाने या बढ़ी हुई विक्रय कीमतों के कारण किस हद तक शुद्ध बिक्री या आमदनी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है;
- च. प्रत्येक प्रमुख उद्योग खंड का कुल व्यापारावर्त (टर्नओवर), जो निर्गमकर्ता के कामकाज से संबंधित हो;
- छ. सार्वजनिक रूप से घोषित किन्हीं नए उत्पादों या कारोबार खंड की स्थिति, यदि लागू हो;
- ज. यदि कारोबार किसी विशेष समय में ही किया जाता है, तो उसके ब्यौरे;
- झ. यदि किसी एक या कुछेक आपूर्तिकर्ताओं या ग्राहकों पर ज्यादा निर्भर हैं, तो उसके ब्यौरे;
- ञ. प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति।

(v) पिछले तीन वर्षों की रीस्टेटेड वित्तीय जानकारी और स्टब अवधि (यदि कोई हो) की सीमित समीक्षा वित्तीय सूचना के आधार पर प्रबंधन संबंधी चर्चा एवं विश्लेषण (मैनेजमेंट डिसकशन एंड एनालिसिस)।

#### (घ) पूँजीकरण विवरण (कैपिटलाइजेशन स्टेटमेंट)

- (i) पूँजीकरण विवरण जिसमें कुल उधार, कुल इक्विटी, और निर्गम लाए जाने से पहले एवं निर्गम लाए जाने के पश्चात् का उधार / इक्विटी के अनुपात का उल्लेख किया जाएगा। इस विवरण को अंतिम वित्तीय वर्ष के या स्टब अवधि (जब लागू हो) की समाप्ति पर तैयार किए गए रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(ii) जिस तारीख को वित्तीय जानकारी प्रस्ताव-पत्र में प्रकट की गई हो, उस तारीख से शेयर पूँजी में हुए किसी परिवर्तन के मामले में टिप्पणी की जाएगी (जिसमें यह भी उल्लेख किया जाएगा कि किस प्रकार का परिवर्तन हुआ)।

(iii) उदाहरण के रूप में पूँजीकरण विवरण का फॉर्मेट नीचे दिया गया है:

विवरण	निर्गम से पहले	प्रस्तावित निर्गम के लिए समायोजित
(xxx में)		
कुल उधार		
चालू उधार *		
गैर-चालू उधार [वर्तमान परिपक्वता (मैच्यूरिटी) सहित]*		
कुल इक्विटी		
इक्विटी शेयर पूँजी*		
अन्य इक्विटी*		
कुल पूँजी		
अनुपात: गैर-चालू उधार / कुल इक्विटी		

\*इन शब्दों के अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की अनुसूची-III के अनुसार होंगे।

**(15) विधिक तथा अन्य जानकारी:**

**(क) चल रहे मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाएं:**

(1) चल रहे मुकदमे जिनमें निर्गमकर्ता / उसके निदेशक / संप्रवर्तक / समनुषंगियाँ (सब्सिडियरी) शामिल हों :

(i) सभी आपराधिक कार्यवाहियाँ;

(ii) विनियामक प्राधिकरणों और कानूनी प्राधिकरणों द्वारा की गई सभी कार्रवाइयाँ;

(iii) अंतिम पाँच वित्तीय वर्षों में संप्रवर्तकों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा की गई कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई (शास्ति सहित) के ब्यौरे, साथ ही चल रही कार्रवाई के ब्यौरे;

(iv) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित दावे (समेकित रूप में), मामलों की संख्या और कुल रकम के ब्यौरे देते हुए;

(v) चल रहे अन्य मुकदमे - निर्गमकर्ता के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित और प्रस्ताव-पत्र में प्रकट की गई महत्ता की नीति (पॉलिसी फॉर मटीरियलिटी) के अनुसार और / या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के तहत बनाई गई महत्ता की नीति (पॉलिसी फॉर मटीरियलिटी) के अनुसार।

(2) यदि प्रारूप प्रस्ताव-पत्र दाखिल करने के बाद उपरोक्तानुसार किसी मुकदमे, महत्वपूर्ण घटनाओं, लेनदारों के प्रति बकाया रकम आदि के मामले सामने आते हैं, तो यह तथ्य प्रस्ताव-पत्र में उपयुक्त रूप में शामिल किया जाएगा। यदि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो प्रस्ताव-पत्र में इस संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। अंतिम तुलन-पत्र की तारीख के बाद से हुई महत्वपूर्ण घटनाएँ।

(3) साधिकार निर्गम के मामले में इरादतन चूककर्ताओं (जानबूझकर चूक करने वालों) से संबंधित प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र्स): यदि निर्गमकर्ता को अथवा उसके किसी संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या निदेशक (डायरेक्टर) को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया गया हो, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगा:

- (क) उस व्यक्ति का नाम, जिसे इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया हो;
- (ख) उस बैंक का नाम, जिसने उस व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया हो;
- (ग) किस वर्ष के दौरान उस व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया गया;
- (घ) उस समय बकाया रकम, जब उस व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित किया गया हो;
- (ङ) इरादतन चूककर्ताओं (जानबूझकर चूक करने वालों) की सूची से नाम हटाए जाने के लिए उस व्यक्ति द्वारा उठाए गए कदम, यदि कोई हों;
- (च) ऐसे अन्य प्रकटीकरण, जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा उचित समझे जाएँ, ताकि निवेशक सोच-समझकर निर्णय ले सकें;
- (छ) कोई अन्य प्रकटीकरण, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हों।

(16) सरकारी मंजूरियाँ : निर्गम के उद्देश्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लंबित सरकारी एवं विनियामक मंजूरियाँ।

(17) अन्य विनियामक और कानूनी प्रकटीकरण :

- (क) निर्गम के लिए प्राधिकार और निर्गम के लिए पारित संकल्प (संकल्पों) के व्यौरे।
- (ख) निर्गमकर्ता द्वारा यह कथन कि निर्गमकर्ता, संप्रवर्तकों, संप्रवर्तक समूह, निदेशकों, संप्रवर्तक या निर्गमकर्ता (यदि लागू हो) के निदेशकों या नियंत्रण में आने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) को बोर्ड या किसी अन्य देश के प्रतिभूति बाजार विनियामक या किसी अन्य प्राधिकरण / न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या निदेश के तहत पूँजी बाजार में पहुँच रखने से प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है या प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या उनमें लेनदेन करने से विवर्जित नहीं किया गया है।
- (ग) यह पुष्टि कि निर्गमकर्ता, उसके संप्रवर्तकों, संप्रवर्तक समूह ने कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 का पालन किया है।
- (घ) यह पुष्टि कि क्या निर्गमकर्ता के निदेशकों में से कोई निदेशक किसी भी प्रकार से प्रतिभूति बाजार से जुड़ा हुआ है, और यदि जुड़ा हुआ हो, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कोई कार्रवाई, जो अभी भी चल रही हो।
- (ङ) तीव्र-पथीय निर्गम (फास्ट ट्रेक इश्यू) लाने के लिए पात्रता अपेक्षाओं का पालन किए जाने के व्यौरे, यदि लागू हो

(च) दावात्याग संबंधी खंड :

(1) प्रस्ताव-पत्र में गाढ़े सुस्पष्ट अक्षरों में निम्नलिखित दावात्याग संबंधी खंड दिया जाएगा :

"यह साफ तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को प्रस्ताव-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, किसी भी प्रकार से यह नहीं समझा जाना चाहिए या इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा इसके संबंध में कोई मंजूरी आदि दी गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) न तो किसी स्कीम या परियोजना, जिसके लिए निर्गम लागू होने का प्रस्ताव है, की वित्तीय सुदृढ़ता की जिम्मेदारी लेता है और न ही इस बात की कोई जिम्मेदारी लेता है कि प्रस्ताव-पत्र में किए गए कथन या दी गई कोई राय सही है। अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) ने यह प्रमाणित किया है कि प्रस्ताव-पत्र में किए गए प्रकटीकरण सामान्य तौर पर पर्याप्त हैं और विनियमों के अनुरूप हैं। यह अपेक्षा इसलिए है ताकि निवेशक प्रस्तावित निर्गम में निवेश करते समय सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

यह भी स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि यद्यपि प्रस्ताव-पत्र में दी गई समस्त संबंधित जानकारी के सही होने, पर्याप्त होने और उसे प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से तो निर्गमकर्ता ही जिम्मेदार है, फिर भी अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) से यह उम्मीद है कि वह (वे) यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तत्परता बरते (बरतें) कि निर्गमकर्ता ने इस संबंध में और इस प्रयोजन हेतु अपनी जिम्मेदारी का पर्याप्त रूप से निर्वहन किया है, अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) ..... ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को तारीख ..... का पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, जो कि निम्नानुसार है :

*(बोर्ड को प्रस्तुत किए गए पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जाए)*

तथापि, प्रस्ताव-पत्र को दाखिल करने से निर्गमकर्ता को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी दायित्व से या प्रस्तावित निर्गम के प्रयोजनार्थ कानूनी या अन्य मंजूरियाँ आदि प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट नहीं मिल जाती। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास यह अधिकार रहेगा कि वह प्रस्ताव-पत्र में किन्हीं अनियमितताओं या खामियों आदि का मामला किसी भी समय अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के यहाँ उठा सकेगा।"

(2) निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) की ओर से दावात्याग संबंधी कथन : इस आशय का कथन कि निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक प्रस्ताव-पत्र या विज्ञापन अथवा निर्गमकर्ता द्वारा जारी की गई या उसके कहने पर जारी की गई किसी अन्य सामग्री में किए गए कथनों से भिन्न किसी भी कथन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं और यह कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करता है, तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा।

(3) क्षेत्राधिकार के संबंध में दावात्याग : एक संक्षिप्त पैरा जिसमें उस क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया जाएगा जिसके कानूनी प्रावधान और नियमों तथा विनियमों के प्रावधान प्रस्ताव-पत्र के संबंध में लागू हैं।

(4) स्टॉक एक्सचेंजों का दावात्याग संबंधी खंड।

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण का दावात्याग संबंधी खंड (यदि लागू हो)।

(छ) सूचीबद्धता (लिस्टिंग): नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज और अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के नाम जिनके पास मौजूदा निर्गम में प्रस्तावित निर्धारित प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया गया है।

(ज) निदेशकों, लेखापरीक्षकों, सॉलिसिटर्स या वकीलों, अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों), निर्गम रजिस्ट्रार, निर्गमन बैंककारों और विशेषज्ञों की सहमति।

(झ) विशेषज्ञ से प्राप्त राय, यदि कोई हो।

(ज) उद्देश्य और प्रदर्शन :

i. निर्गमकर्ता:

- (क) पिछले पाँच वर्षों (जिसमें यह निर्गम लाए जाने का वर्ष भी शामिल है) के दौरान लाए गए सभी सार्वजनिक / साधिकार निर्गमों की सूची।
- (ख) ऐसे सार्वजनिक / साधिकार निर्गमों से संबंधित उद्देश्यों को पूरा न किए जाने के ब्यौरे (यह बताते हुए कि कितनी कमी रह गई और कितनी-कितनी देरी हुई)।

(ट) यदि निर्गमकर्ता सूचीबद्ध है, तो उसके इक्विटी शेयरों के स्टॉक बाजार संबंधी आँकड़े:

निम्नलिखित विवरण :

- (1) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयरों की उच्चतम, निम्नतम और औसत कीमतें;
- (2) बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव-पत्र दाखिल करने की तारीख से पहले के छह महीनों की मासिक उच्चतम और निम्नतम कीमतें, जिन्हें नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल करने के समय तक अद्यतन किया जाएगा;
- (3) ऊपर (क) एवं (ख) की उपरोक्त अवधि के दौरान उन दिनों व्यापारित (ट्रेडेड) शेयरों की संख्या जब संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में उच्च और निम्न कीमतें दर्ज की गईं और पिछले छह महीनों के दौरान व्यापार के दिनों की कुल संख्या और उस अवधि के दौरान व्यापारित इक्विटी शेयरों की औसत मात्रा और यदि इक्विटी शेयरों में सक्रिय रूप से व्यापार (ट्रेडिंग) न हुआ हो, तो इस संबंध में कथन;
- (4) स्टॉक बाजार संबंधी उपरोक्त आँकड़ों को उन अवधियों के लिए अलग से दर्शाया जाएगा, जब पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर) में परिवर्तन हुआ हो, और ऐसी अवधि की शुरुआत संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पूँजी संरचना में परिवर्तन स्वीकारने की तारीख से होगी (उदाहरण के लिए जब शेयर अधिकार-रहित या बोनस-रहित हो गए);
- (5) जिस तारीख को निदेशक मंडल ने निर्गम को मंजूरी देने वाले संकल्प को पारित किया, उस तारीख के तुरंत बाद इक्विटी शेयरों की बाजार कीमत;
- (6) जिस तारीख को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल किया गया, उस तारीख से पहले के छह महीनों के दौरान प्रत्येक महीने में व्यापारित प्रतिभूतियों की मात्रा; और
- (7) संबंधित अवधियों के दौरान निर्गमकर्ता के व्यापारित शेयरों की मात्रा, और शेयरों की उच्चतम, निम्नतम और औसत कीमतें।

**स्पष्टीकरण:** यदि निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयर एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों, तो प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के मामले में उपरोक्त जानकारी अलग-अलग दी जाएगी। ऊपर क्रम सं. (1) में दी गई औसत बाजार कीमतों की गणना स्टॉक एक्सचेंज की बंद भाव (कीमत) के आधार पर की जाएगी।

- (ठ) यह तथ्य कि बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल कर दिया गया है और साथ ही बोर्ड के उस कार्यालय का नाम जहाँ प्रस्ताव-पत्र दाखिल किया गया हो।
- (ड) निवेशक की शिकायतों के समाधान के लिए निर्गमकर्ता द्वारा की गई कोई व्यवस्था आदि और निवेशक की विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निवारण करने के लिए इसके द्वारा आम तौर पर लिए जाने वाला समय।

**(18) प्रस्ताव संबंधी जानकारी :**

- (1) भुगतान की शर्तें आदि और प्रतिभूतियाँ आबंटित करने तथा डीमैट खाते में जमा करवाने की प्रक्रिया और समय सूची।
- (2) आवेदन कैसे करें, आवेदन फॉर्म तथा प्रस्ताव-पत्र कहाँ उपलब्ध हैं और भुगतान किस प्रकार करना है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) म्यूचुअल फंडों (पारस्परिक निधियों) द्वारा आवेदन:

1. "म्यूचुअल फंडों (पारस्परिक निधियों) द्वारा आवेदनों के लिए प्रक्रिया" तथा "एक से अधिक आवेदन" शीर्षों के तहत कथन - जिसमें यह उल्लेख होगा कि बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत भारत के म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) की प्रत्येक स्कीम के लिए अलग आवेदन किया जा सकता है और ऐसे आवेदनों के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि एक से अधिक आवेदन किए गए हैं।
2. कथन जिसमें यह उल्लेख होगा कि पारस्परिक निधि की आस्ति प्रबंध कंपनी या अभिरक्षक द्वारा किए गए आवेदन में उस संबंधित स्कीम के नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाएगा जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है।

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा आवेदन:

1. भारत में कम से कम एक ऐसे स्थान का नाम और पता जहाँ से व्यक्तिगत अनिवासी भारतीय आवेदक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (एएसबीए) के अंतर्गत निवेशकों द्वारा आवेदन : निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन की प्रक्रिया के ब्यौरे, जिनमें निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन प्रस्तुत किए जाने संबंधी अनुदेशों का उल्लेख हो।

(घ) यह कथन कि जिन शेयरधारकों को आवेदन फॉर्म प्राप्त न हुआ हो, वे अपेक्षित आवेदन की रकम के साथ, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजों, अग्रणी प्रबंधकों के वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑन-लाइन उपलब्ध आवेदन फॉर्म में दिए गए ब्यौरों को सादे कागज पर भरकर आवेदन कर सकते हैं।

(ङ) वह फॉर्मेट जो शेयरधारकों को सादे कागज पर आवेदन करने में समर्थ बनाए जिसके अंतर्गत आवश्यक विवरणों का उल्लेख हो, जैसे कि नाम, पता, साधिकार निर्गम का अनुपात, निर्गम कीमत, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या, निक्षेपागार सहभागी की आई.डी., ग्राहक की आई.डी., उन इक्विटी शेयरों की संख्या जिसके लिए आवेदन किया गया हो, एएसबीए सुविधा का इस्तेमाल करते हुए स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक के पास कितनी रकम ब्लॉक कराई जानी है। अपेक्षित ब्यौरे आदि देने के लिए रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजों, अग्रणी प्रबंधकों के वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।

(च) यह कथन कि सादे कागज पर आवेदन करने वाले शेयरधारक अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते और वे किसी प्रयोजन, जिसमें त्याग शामिल है, के लिए आवेदन फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भले ही आवेदन फॉर्म बाद में प्राप्त हो गया हो।

- (3) फ्रैक्शनल हकदारी के संबंध में कार्यवाही: फ्रैक्शनल हकदारी के संबंध में कार्यवाही करने का तरीका, अर्थात् फ्रैक्शनल साधिकारों (राइट्स) के मूल्य, यदि कोई हो, के बराबर की रकम का नकद रूप में भुगतान करना।

(4) फर्जी आवेदन किए जाने का पता चलने पर दंड से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाए:

- क) कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में उसकी प्रतिभूतियों के अर्जन के लिए या उनमें अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्रिप्शन करने) के लिए फर्जी नाम से आवेदन करता है या करवाता है; या
- ख) कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में उसकी प्रतिभूतियाँ अर्जित (अक्वायर) करने के लिए या फिर उनमें अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्राइब करने) के लिए भिन्न-भिन्न नामों से या अपने नाम अथवा उपनाम का उपयोग करते हुए भिन्न-भिन्न नामों से एक से अधिक आवेदन करता है या आवेदन करवाता है; या
- ग) कोई व्यक्ति जो अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी को उकसाता है कि वह ऐसे व्यक्ति, या फर्जी नाम वाले किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिभूतियाँ आबंटित कर दे, या प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसफर) को रजिस्ट्रीकृत कर दे:

परंतु यह कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में लगाई गई शास्ति का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

(5) यह कथन कि पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित प्रतिभूतियाँ डीमैट खाते में जमा करवा दी जाएँगी / एसबीए को अनब्लॉक करवाए जाने हेतु अनुदेश दे दिए जाएँगे और एसबीए को अनब्लॉक करवाए जाने हेतु अनुदेश दिए जाने में देरी होने पर निर्धारित दर से ब्याज अदा किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ धन-वापसी (रिफंड) की जानी हो, ऐसी धन-वापसी पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर कर दी जाएगी और देरी होने पर ब्याज अदा किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा के भीतर धन-वापसी (रिफंड) न किए जाने के मामले में, अनब्लॉक करवाए जाने हेतु अनुदेश देने / निर्धारित दर पर ब्याज के साथ धन-वापसी (रिफंड) करने के संबंध में निर्गमकर्ता और उसके निदेशकों (जो चूककर्ता अधिकारी हों) के दायित्व का भी उल्लेख किया जाएगा।

(6) धन-वापसी (रिफंड) के माध्यम:

- क) वह माध्यम जिससे निर्गमकर्ता अति-अभिदान (ओवरसब्सक्रिप्शन) के मामले में या सूचीबद्ध न होने के मामले में या अन्यथा आवेदकों को धन-वापसी करेगा।
- ख) यदि निर्गमकर्ता आवेदकों को धन-वापसी (रिफंड) करने के लिए एक से अधिक माध्यमों के उपयोग का प्रस्ताव करता है, तो ऐसे में यह प्रकट किया जाएगा कि किस मामले में धन-वापसी (रिफंड) का माध्यम क्या होगा।
- ग) धन-वापसी (रिफंड) के अनुमत माध्यम निम्नानुसार हैं:
  - (i) एसबीए सुविधा का उपयोग करके ब्लॉक की गई रकम को अनब्लॉक करना
  - (ii) बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए केंद्रों में से किसी केंद्र में रहने वाले आवेदकों के मामले में: आवेदकों के बैंक खातों में धन-वापसी की रकम इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से सीधे जमा करके, आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) या एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण), या एनएसीएच (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस), जो भी लागू हो, के जरिए [जो भी उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत हो];
  - (iii) दूसरे आवेदकों के मामले में - जहाँ मूल्य रु.1500/- या उससे अधिक हो, वहाँ रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से धन-वापसी के आदेश प्रेषित करके, या दूसरे मामलों में डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग) के तहत, (डाक नियमों के अधीन); और
  - (iv) बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदकों के किसी भी प्रवर्ग के मामले में - बोर्ड द्वारा अनुमत किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदकों को धन-वापसी की रकम जमा करके।



**(19) निर्गमकर्ता द्वारा वचन:**

- क) निर्गमकर्ता द्वारा निम्नलिखित वचन दिए जाएँगे:
- (i) निर्गम के बारे में प्राप्त शिकायतों पर निर्गमकर्ता द्वारा जल्द से जल्द और संतोषप्रद रूप में कार्रवाई की जाएगी ;
  - (ii) जिन स्टॉक एक्सचेंजों में निर्धारित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध की जानी हैं, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता के लिए और व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु, आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर कदम उठाए जाएँगे;
  - (iii) असफल आवेदकों को धन-वापसी (रिफंड) करने [प्रकट किए गए माध्यम (माध्यमों) से] के लिए जितना पैसा जरूरी हो, उसे निर्गमकर्ता द्वारा निर्गम रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराया जाएगा;
  - (iv) यह कि विनियम 56 के अनुसार किए गए प्रकटीकरणों के अलावा, जब तक इस प्रस्ताव-पत्र के माध्यम से प्रस्तावित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध नहीं हो जातीं या सूचीबद्ध न हो पाने, कम अभिदान होने (कम पैसा लगाए जाने), आदि के कारण आवेदन का पैसा लौटा नहीं दिया जाता, तब तक प्रतिभूतियों का कोई अगला निर्गम नहीं लाया जाएगा;
  - (v) जहाँ निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से धन-वापसी की जाए, वहाँ निर्गम के बंद होने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को उपयुक्त सूचना भेजी जाएगी, जिसके अंतर्गत उस बैंक के ब्यौरे दिए जाएँगे, जहाँ पैसा जमा कराया जाएगा और साथ ही धन-वापसी (रिफंड) की रकम तथा उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कराए जाने की संभावित तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा ।
  - (vi) जहाँ असफल बोली लगाने वालों के आवेदन की रकम या आनुपातिक आबंटन के मामले में आवेदन की रकम के कुछ हिस्से से ब्लॉक हटाना हो, वहाँ आवेदकों को उपयुक्त सूचना भेजी जाएगी ।
  - (vii) निरुद्ध रकम से समर्थित सभी आवेदनों (एएसबीए) को एकत्र करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएँगे ।
  - (viii) संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों (कन्वर्टिबल डैट इन्सट्रुमेंट्स) के मामले में, निर्गमकर्ता निम्नलिखित अतिरिक्त वचन देगा कि:
    - (क) निर्गमकर्ता डिबेंचर न्यासियों को संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों के माध्यम से जुटाए गए पैसे के इस्तेमाल के ब्यौरे (निर्गमकर्ता के कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित) प्रत्येक छमाही के अंत में भेजेगा ।
    - (ख) निर्गमकर्ता वार्षिक रिपोर्ट में डिबेंचर न्यासी का नाम और पता देगा।
    - (ग) निर्गमकर्ता संपरिवर्तनीय ऋण लिखत के धारकों को प्रस्ताव-पत्र में दी हुई शर्तों आदि के पालन के संबंध में वार्षिक आधार पर पालन संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जो डिबेंचर न्यासी द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित किया हुआ होगा ।
    - (घ) निर्गमकर्ता पुष्टि संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि संपरिवर्तनीय ऋण लिखत के धारकों के पक्ष में निर्गमकर्ता द्वारा दी गई जमानत को उपयुक्त रूप से रखा जा रहा है और जो, चूक होने पर, संपरिवर्तनीय ऋण लिखत के धारकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त है ।

(ड) वह तब तक साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी (एजेंसियों) को जरूरी जानकारी सही और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग देगा, जब तक लिखत (इन्स्ट्रूमेंट) के संबंध में ऋण (डैट) संबंधी बाध्याताएँ पूरी नहीं हो जातीं।

(20) **निर्गम से आए पैसों का इस्तेमाल :** किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या लोक वित्तीय संस्था द्वारा लाए गए निर्गम से भिन्न निर्गम के प्रस्ताव-पत्र में निर्गमकर्ता के निदेशक मंडल का यह कथन शामिल होगा कि:

(क) जनता को शेयरों या निर्धारित प्रतिभूतियाँ जारी करके प्राप्त समस्त पैसे एक अलग बैंक खाते में अंतरित (ट्रांसफर) कर दिए जाएंगे।

(ख) खंड (क) में उल्लिखित निर्गम से आए पैसों में से उपयोग में लाए गए सभी पैसों के ब्यौरे, निर्गमकर्ता के तुलन-पत्र में एक अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकट किए जाएँगे, उस प्रयोजन को सूचित करते हुए जिसके लिए उन पैसों का उपयोग किया गया था; और

(ग) खंड (क) में उल्लिखित निर्धारित प्रतिभूतियों के निर्गम से आए पैसों में से उपयोग में न लाए गए पैसों के ब्यौरे, निर्गमकर्ता के तुलन-पत्र में एक अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकट किए जाएँगे, जिसमें यह उल्लेख होगा कि ऐसे उपयोग में न लाए गए पैसों का निवेश किस रूप में किया गया है।

(21) **भारतीय प्रतिभूतियों के विदेशी स्वामित्व पर रोक, यदि कोई हो:**

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश।

(ख) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों द्वारा निवेश।

(ग) अन्य अनिवासी व्यक्तियों द्वारा निवेश।

(22) **कानूनी और अन्य जानकारी:**

(क) निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का आबंटन गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में किया जाएगा।

(ख) महत्वपूर्ण संविदाएँ और निरीक्षण का समय तथा स्थान जिसमें निर्गमकर्ता की अंतिम पाँच वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियाँ शामिल होंगी।

(23) **अन्य कोई महत्वपूर्ण प्रकटीकरण, जो जरूरी समझे जाएं।**

(24) **अन्य सूचनाएँ :**

प्रारूप प्रस्ताव-पत्र [तीव्र-पथीय निर्गमों (फास्ट ट्रेक इश्यू) से भिन्न निर्गमों के मामले में] और प्रस्ताव-पत्र की मंजूरी निर्गमकर्ता (इश्युअर) के निदेशक-मंडल द्वारा दी जाएगी और उस पर सभी निदेशकों (जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रबंधक शामिल हैं) और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्त संबंधी कार्य देखने वाले तथा ऐसा कार्य करने वाले मुख्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यह भी प्रमाणित करेंगे कि प्रस्ताव-पत्र में किए गए सभी प्रकटीकरण सत्य और सही हैं।

निर्गमकर्ता ठीक पहले वाले सार्वजनिक निर्गम या साधिकार निर्गम के प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति इन विनियमों में निर्धारित तरीके से जनता को उपलब्ध कराएगा और ऐसे दस्तावेज को निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर भी उपलब्ध कराएगा।

**निर्गमकर्ता द्वारा घोषणा :** हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी संबंधित प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों / विनियमों या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों / विनियमों का पालन किया गया है और प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस (रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस) में किया

गया कोई भी कथन, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा उसके तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों या विनियमों, के विपरीत नहीं है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि सभी कथन सत्य और सही हैं।”

ग. भाग ड में, शीर्षक के संदर्भ में, शब्दों, अंकों और चिह्नों “, 71(2)(घ)” का लोप हो जाएगा।

घ. भाग च, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

**“भाग च - संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र में प्रकटीकरण**

**[विनियम 71(2)(घ) और 75 देखें]**

संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र में ऐसी जानकारी दी जाएगी जो निवेशकों के लिए सोच-समझकर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण और उपयुक्त हो। यह भाग च साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) लाने वाले निर्गमकर्ताओं पर लागू होगा, और जो प्रस्ताव-पत्र में इस अनुसूची के भाग-ख या भाग-ख-1 के तहत दिए हुए प्रकटीकरण करेंगे।

**सामान्य अनुदेश:**

- (I) संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र, आवेदन फॉर्म के साथ, ए-4 आकार के कागज की पुस्तिका के रूप में मुद्रित किया जाएगा।
- (II) संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र ऐसे आकार के फॉण्ट में मुद्रित किया जाएगा, जो टाइम्स न्यू रोमन के आकार 11 (या उसके बराबर) से छोटा नहीं दिखेगा और पंक्तियों के बीच का अंतर 1.0 होगा।
- (III) आवेदन फॉर्म इस प्रकार बना होगा कि आवेदन फॉर्म को फाड़ने पर, संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र का कोई भी भाग विकृत न हो जाए।

**केवल कंपनी के पात्र इक्विटी शेयरधारकों हेतु**

यह संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र है, जिसमें तारीख XXX (“प्रस्ताव-पत्र”) के प्रस्ताव-पत्र की मुख्य-मुख्य बातें हैं, जो रजिस्ट्रार, हमारी कंपनी, अग्रणी प्रबंधकों और उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर दिया हुआ है, जहाँ हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) और बीएसई के साथ मिलकर “स्टॉक एक्सचेंज”)। आप कृपया प्रस्ताव-पत्र में दिए हुए पूरे ब्यौरे पढ़ें। जिन बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों आदि को यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है उनका अर्थ प्रस्ताव-पत्र में दिया गया है।

**संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र में xxx पृष्ठ है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपको सभी पृष्ठ प्राप्त हो गए हैं।**

हमारी कंपनी ने पात्र इक्विटी शेयरधारकों के लिए संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र और आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रार की वेबसाइट xxx पर और कंपनी की वेबसाइट xxx पर उपलब्ध कराया है। आप संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी”), स्टॉक एक्सचेंजों और अग्रणी प्रबंधकों के वेबसाइटों अर्थात् क्रमशः xxx से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

लोगो और कंपनी का नाम

रजिस्ट्रीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय का पता, दूरभाष संख्या

संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम, ईमेल

कंपनी का वेबसाइट

निर्गमकर्ता कंपनी का सीआईएन संख्या

कंपनी का (के) संप्रवर्तक			
निर्गम के ब्यौरे दिए जाएंगे, जिसमें साधिकार प्रस्ताव का अनुपात भी शामिल है			
सूचीबद्धता और स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक मंजूरी के ब्यौरे			
निर्गम के लिए पात्रता : यह बताएँ कि क्या कंपनी अनुसूची-VI के भाग ख या भाग-ख-1 और फास्ट ट्रेक के तहत साधिकार निर्गम के लिए पात्र है			
न्यूनतम अभिदान : यदि लागू हो तो कृपया उसके ब्यौरे प्रदान करें ।			
<b>अनुमानित समय-सारणी</b>			
निर्गम के खुलने की तारीख		आबंटन / धन-वापसी शुरू किए जाने की तारीख (अनुमानित तारीख)	निर्गम के खुलने की तारीख
बाजार में हकदारी त्यागने (मार्केट रिनन्सीएशन) की अंतिम तारीख		आबंटितियों (अलॉटीज़) के डीमैट खाते में इक्विटी शेयर जमा किए जाने की तारीख (अनुमानित तारीख)	
निर्गम के बंद होने की तारीख		स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता / व्यापार (ट्रेडिंग) शुरू होने की तारीख (अनुमानित तारीख)	
आबंटन के आधार को अंतिम रूप कब दिया जाएगा (अनुमानित तारीख)		आबंटितियों (अलॉटीज़) के डीमैट खाते में इक्विटी शेयर जमा किए जाने की तारीख (अनुमानित तारीख)	
बाजार में हकदारी त्यागने (मार्केट रिनन्सीएशन) की अंतिम तारीख			

**सामान्य जोखिम**

"इक्विटी और इक्विटी संबंधी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने में जोखिम होता है और निवेशकों को इस प्रस्ताव में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे ऐसे निवेश से संबंधित जोखिम उठा न सकें। निवेशक इस प्रस्ताव (ऑफरिंग) में निवेश के संबंध में निर्णय लेने से पहले जोखिम कारकों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए, निवेशक निर्गमकर्ता तथा प्रस्ताव

(इससे जुड़े जोखिमों आदि सहित) के संबंध में स्वयं द्वारा की गई जाँच-पड़ताल पर ही भरोसा करें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा न तो इन प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) की सिफारिश की गई है, न तो इन्हें मंजूरी आदि दी गई है और न ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इस दस्तावेज़ के पूरी तरह सही होने या पर्याप्त होने की गारंटी देता है। निर्गम में निवेश करने से पहले निवेशकों का ध्यान विशेष रूप से प्रस्ताव पत्र के पृष्ठ संख्या xxx पर दिए हुए खंड "जोखिम कारकों" और संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र की पृष्ठ संख्या xxx पर दिए हुए "आंतरिक जोखिम कारकों" की तरफ आकृष्ट किया जाता है।"			
अग्रणी प्रबंधकों का नाम और उनके संपर्क संबंधी ब्यौरे			
रजिस्ट्रार एवं संपर्क संबंधी ब्यौरे			
कानूनी लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) का नाम			
स्व-प्रमाणित सिडिकेट बैंक का नाम	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट के ब्यौरे जहाँ जरूरी ब्यौरे दिए गए हों		
निर्गमन बैंककार			

#### निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाएगी

1. कारोबार का सारांश
2. निर्गम के उद्देश्यों का सारांश और पैसा कहाँ से जुटाया जाएगा
3. अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एंजेसी का नाम
4. इक्विटी शेयरधारिता स्वरूप : प्रस्ताव-पत्र में दिया हुआ शेयरधारिता स्वरूप (संक्षिप्त रूप में) सारणी में दिया जाएगा, जिसमें प्रवर्गों [जैसे संप्रवर्तक (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप), सार्वजनिक (पब्लिक), गैर संप्रवर्तक-गैर सार्वजनिक (नॉन प्रोमोटर-नॉन पब्लिक)], और धारित शेयरों की संख्या और धारिता (होल्डिंग) के प्रतिशत के ब्यौरे शामिल किए जाएंगे।
5. निर्गमकर्ता का निदेशक मंडल : नाम, पदनाम और बोर्ड के सदस्यों के अन्य निदेशक पद
6. निर्गमकर्ता या इसके किन्हीं ऐसे संप्रवर्तकों या निदेशकों के ब्यौरे जो इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाले) हों
7. वित्तीय विवरण का सारांश: पिछले पूरे वर्ष की लेखापरीक्षित और अंतिम स्टब अवधि (जिसकी सीमित समीक्षा की गई हो) के आँकड़े, जैसा भाग-ख के तहत बनाए गए प्रस्ताव-पत्र में प्रकट किया गया हो। जिन कंपनियों ने भाग ख-1 के अनुसार वित्तीय जानकारी प्रकट की हो, उनके लिए प्रस्ताव-पत्र में शामिल की गई अवधियों के वित्तीय सारांश

ब्यौरे	अंतिम स्टब अवधि	अंतिम पूरे वर्ष की अवधि
कामकाज से कुल आय (शुद्ध)		
कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) एवं असाधारण मर्दे		

कर पश्चात् लाभ / (हानि) एवं असाधारण मर्दे		
इक्विटी शेयर पूँजी		
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष		
शुद्ध मालियत (नेटवर्थ)		
आमदनी प्रति शेयर (मूल)		
आमदनी प्रति शेयर (घटाई हुई)		
शुद्ध आस्ति मूल्य प्रति शेयर		
शुद्ध मालियत पर प्रतिफल (रिटर्न)		

टिप्पणी : उपरोक्त विवरण सांकेतिक है और जिसमें उपयुक्त रूप से बदलाव किया जा सकता है। शुद्ध-मालियत पर प्रतिफल (रिटर्न) को छोड़कर अन्य अनुपातों को वार्षिक आधार पर नहीं निकाला जा सकता।

8. आंतरिक जोखिम कारक : (कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 सबसे ज्यादा जोखिम वाले आंतरिक जोखिम कारकों का उल्लेख किया जाएगा। अधिकतम 500 शब्दों में)
9. चल रहे मुकदमों का सारणी में सारांश, जैसा प्रस्ताव-पत्र में प्रकट किया गया हो।
10. निर्गम की शर्तें आदि: संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र में निर्गम के विवरण भी होने चाहिए, जिसमें आवेदन करने और त्यागने की प्रक्रिया शामिल है (जैसा साधिकार निर्गम के मामले में लागू है) और निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए:
  - (क) आवेदन से संबंधित प्रावधान, जिनका उल्लेख विनियम 78 के उप-विनियम (1), (2) एवं (3) में दिया गया है;
  - (ख) अधिकारों संबंधी हकदारी का अनुपात;
  - (ग) फ्रैक्शनल हकदारी;
  - (घ) त्याग;
  - (ङ) अतिरिक्त इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन;
  - (च) संप्रवर्तकों का अपनी अधिकारों संबंधी हकदारी (राइट्स एन्टाइट्लमेंट) में अभिदान करने (पैसा लगाने / सब्सक्रिप्शन करने) का इरादा
  - (छ) यह कथन कि ठीक पहले के सार्वजनिक या साधिकार निर्गम के प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति उसी प्रकार उपलब्ध है जैसा विनियमों में उल्लेख किया गया है और साथ ही वह निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी उपलब्ध है।
11. अग्रणी प्रबंधकों एवं निर्गमकर्ता के अनुसार अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना।
12. घोषणा: जैसी प्रस्ताव-पत्र में की गई हो (तारीख एवं स्थान के साथ)।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा./258/2020-21]

**पाद टिप्पणः**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
  2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -
    - (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
    - (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा
    - (ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा
    - (घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/29, द्वारा
    - (ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा
    - (च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/42, द्वारा
    - (छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/47, द्वारा
    - (ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01, द्वारा
    - (झ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/011, द्वारा
    - (ञ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
    - (ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा
    - (ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18, द्वारा
    - (ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21, द्वारा
- संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 28th September , 2020

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2020**

**SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.**— In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -
  - I. In regulation 3,
    - a. in sub-regulation (b), the words ‘ten crores’ shall be substituted with the words ‘fifty crores’
    - b. in the first proviso, the words ‘ten crores’ shall be substituted with the words ‘fifty crores’;
  - II. In regulation 60, the words ‘ten crores’ shall be substituted with the words ‘fifty crores’;
  - III. In regulation 61, in the explanation, the words “promoters or directors of the issuer” shall be substituted with the words “persons or entities mentioned therein”;
  - IV. In regulation 62, in sub-regulation (1), in clause (c), following explanation shall be inserted, namely, -

“Explanation - For the purpose of this regulation ‘finance for the specific project’ shall mean finance of capital expenditures only.”;
  - V. In Chapter III, in Part IV, in the title the words “APPOINTMENT OF LEAD MANAGERS, OTHER INTERMEDIARIES AND COMPLIANCE OFFICER” shall be substituted with the words “APPOINTMENT OF LEAD MANAGERS AND OTHER INTERMEDIARIES”;
  - VI. In regulation 69, sub-regulation (8) shall be omitted;
  - VII. In regulation 70, sub-regulation (2), the words “Part A or Part B” shall be substituted with the words “Part B or Part B-1”;
  - VIII. In regulation 71, sub-regulation (1), in the proviso, the word “shall file” shall be substituted with “file”;
  - IX. In regulation 71, sub-regulation (2), clause (d) the words “Part E” shall be substituted with the words “Part F”;
  - X. In regulation 74, sub-regulation (2), following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that for the purposes of offering such rights entitlements, the issuer company shall not be required to credit rights entitlements.”;
  - XI. In regulation 78, sub-regulation (1), following proviso shall be inserted, namely,

“Provided that SCSBs shall accept such application forms only if all details required for making the application as per these regulations are specified in the plain paper application.”;
  - XII. In regulation 82, sub-regulation (2), between the word “issue” and the word “, excluding” the words “actually raised” shall be inserted;
  - XIII. In regulation 84, sub-regulation (1),



- a. clause (c) shall be substituted with the following, namely: -

“(c) a statement that if the shareholders entitled to receive the rights entitlements have neither received the original application forms nor are in a position to obtain the form; they may make an application through the form available on the website of Registrar, stock exchanges or lead managers or in writing on a plain paper to subscribe to the Rights Issue along with a format specifying therein the necessary particulars such as name, address, ratio of rights issue, issue price, number of equity shares held, ledger folio numbers, depository participant ID, client ID, number of equity shares entitled and applied for, additional shares if any, and the amount to be blocked with SCSB along with the application”;

- b. clause (d) shall be omitted;

- XIV. In regulation 86, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that minimum subscription criteria shall not be applicable to an issuer if:

- (a) the object of the issue involves financing other than financing of capital expenditure for a project; and  
(b) the promoters and the promoter group of the issuer undertake to subscribe fully to their portion of rights entitlement and do not renounce their rights except to the extent of renunciation within the promoter group.”;

- XV. In regulation 90, in sub-regulation (1), the words “, except as provided in regulation 74(1) and (2)” shall be inserted after the word “offer”;

- XVI. In regulation 93, in sub-regulation (4), the words “collecting bank branches and/ or” and the words “despatch of security certificates or” shall be omitted;

- XVII. In regulation 99,

- a. clause (h) shall be substituted with the following, namely: -

“(h) that no show-cause notices, excluding proceedings for imposition of penalty, have been issued by the Board and pending against the issuer or its promoters or whole-time directors as on the reference date.;

In cases where against the issuer or its promoters or whole-time directors,

- i) show-cause notice(s) has been issued by the Board in a proceeding for imposition of penalty; or  
ii) prosecution proceedings have been initiated by the Board;  
necessary disclosures in respect of such action(s) along-with its potential adverse impact on the issuer shall be made in the letter of offer.”;

- b. clause (m) shall be substituted with the following, namely: -

“(m) for audit qualifications, if any, in respect of any of the financial years for which accounts are disclosed in the letter of offer, the issuer shall provide the restated financial statements adjusting for the impact of the audit qualifications.

Further, that for the qualifications wherein impact on the financials cannot be ascertained the same shall be disclosed appropriately in the letter of offer.;

- XVIII. In Schedule VI,

- a. Part B, shall be substituted with the following, namely, -

**“Part B - Disclosures in a letter of offer [See regulation 70(2)]**

- (1) An issuer, satisfying the following conditions, shall make the disclosures as specified in clause (4) of this Part, in the draft letter of offer/letter of offer:
- (a) The periodic reports, statements and information are being filed in compliance with the listing

- agreement or the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as applicable for the last one year immediately preceding the date of filing the letter of offer with the designated stock exchange in case of a fast track issue and in any other case, the date of filing the draft letter of offer with the Board;
- (b) the reports, statements and information referred to in sub-clause (a) above are available on the website of any stock exchange;
- (c) the issuer has investor grievance-handling mechanism which includes meeting of the Stakeholders' Relationship Committee at frequent intervals, appropriate delegation of power by the board of directors of the issuer as regards share transfer and clearly laid down systems and procedures for timely and satisfactory redressal of investor grievances.
- (2) If the issuer does not satisfy the conditions specified in clause (1), it shall make disclosures in the letter of offer as specified in Part B-1 of this Schedule.
- (3) Following issuers shall mandatorily make disclosures in the draft letter of offer/letter of offer as specified in Part B-1 of this Schedule:
- (a) an issuer whose management has undergone any change pursuant to acquisition of control in accordance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 or the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as applicable and is making a rights issue of specified securities for the first time subsequent to such change and a period of three full years has not elapsed since such a change;
- (b) an issuer whose specified securities have been listed consequent to the relaxation granted by the Board under sub-rule (7) of rule 19 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 for listing of its specified securities pursuant to a scheme sanctioned by a High Court under sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 or approved by a tribunal under sections 230-234 of the Companies Act, 2013, as applicable, and is making a rights issue of specified securities for the first time subsequent to such listing and a period of three full years has not elapsed since such listing.
- (4) An issuer proposing a rights issue shall make the following disclosures, as far as possible, in the letter of offer in the order in which the disclosures are specified in this clause:
- (I) **Cover Pages:** The cover page paper shall be of adequate thickness (minimum hundred GSM quality).
- (A) **Front Cover Pages:**
- i. Front inside cover page shall be kept blank.
  - ii. Front outside cover page shall contain only the following details:
    - (a) Type of letter of offer ("Draft Letter of Offer" or "Letter of Offer").
    - (b) Date of the draft letter of offer / letter of offer.
    - (c) Name of the issuer, its logo, date and place of its incorporation, corporate identity number, telephone number, address of its registered and corporate offices, website address and e-mail address (mention if where there has been any change in the address of the registered office or the name of the issuer, reference to the page of the offer document where details thereof are given).
    - (d) Nature, number and price of specified securities offered and issue size, as may be applicable.
    - (e) Name of the promoter.
    - (f) Details of the issuer or any of its promoters or directors being a wilful defaulter.
    - (g) The following clause on "General Risk" shall be incorporated in a box format:
 

"Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk with such investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors shall rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved.

The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' given on page number ..... under the section 'General Risks'."

- (h) The following clause on 'Issuer's Absolute Responsibility' shall be incorporated in a box format:

"The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this letter of offer contains all information with regard to the issuer and the issue, which is material in the context of the issue, and that the information contained in the letter of offer is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect."

- (i) Names, logos and addresses of all the lead manager(s) with their titles who have signed the due diligence certificate and filed the letter of offer with the Board, along with their telephone numbers, website addresses and e-mail addresses. (Where any of the lead manager(s) is an associate of the issuer, it shall disclose itself as an associate of the issuer and that its role is limited to marketing of the issue.)
- (j) Name, logo and address of the registrar to the issue, along with its telephone number, website address and e-mail address.
- (k) Issue schedule:
- Date of opening of the issue
  - Date of closing of the issue
- (l) Name(s) of the stock exchanges where the specified securities are listed and the details of their in-principle approval for listing obtained from these stock exchange(s).

**(II) Back cover pages:**

The back inside cover page and back outside cover page shall be kept blank.

**(III) Table of contents:** The table of contents shall appear immediately after the front inside cover page.

**(IV) Definitions and abbreviations:**

- (A) Conventional or general terms  
 (B) Issue related terms  
 (C) Issuer and industry related terms  
 (D) Abbreviations

**(V) Letter of offer summary:** This section shall contain summary of the following information, as applicable:

- (A) Primary business of the Issuer in not more than 50 words;  
 (B) Objects of the issue in a tabular format;  
 (C) Intention and extent of participation by promoter/promoter group with respect to:  
 a. their rights entitlement  
 b. their intention to subscribe over and above their right entitlement  
 (D) Summary table of outstanding litigations and a cross-reference to the section titled '*Outstanding Litigations and Defaults*';  
 (E) Cross-reference to the section titled '*Risk Factors*'.  
 (F) Cross-reference to contingent liabilities of the issuer as disclosed in audited financial

statements.

(G) Cross-reference to related part transactions (RPT) as disclosed in audited financial statements.

(H) Any issuances of equity shares made in the last one year for consideration other than cash.

**(VI) Risk factors:**

(A) Risk factors shall be printed in clear readable font (preferably of minimum point ten size).

(B) Risk factors shall be in relation to the following:

- (1) issue and objects of the issue;
- (2) issuer and its ongoing business activities;
- (3) summary of outstanding litigations as disclosed in the section on litigation in a tabular format along with amount involved, wherever quantifiable. Issuer shall also separately highlight any criminal and regulatory matters which may have any material adverse effect on the issuer.

(C) Risk factors shall be determined on the basis of their materiality. In doing so, the following shall be considered:

- (1) Some risks may not be material individually but may be found material collectively.
- (2) Some risks may have an impact which is qualitative though not quantitative.
- (3) Some risks may not be material at present but may have a material impact in the future.

(D) Each risk factor shall appear in the following manner:

- (1) Risk as envisaged by the issuer.
- (2) Proposals, if any, to address the risk.

(E) Proposals to address the risks shall not contain any speculative statement on the positive outcome to any matter or litigation, etc.

(F) Proposals to address the risks shall not be given for any matter that is sub-judice before any court or tribunal.

(G) Risk factors shall be disclosed in the descending order of materiality. Wherever risks about material impact are stated, likely or potential implications, including any financial implication, on the Company for the same shall be disclosed.

**(VII) Introduction:**

(A) **Summary:**

- (1) Issue details in brief.

(B) **General Information:**

- (1) Name, addresses of the registered and corporate offices, corporate identity number and the registration number of the issuer, along with the address of the Registrar of Companies where the issuer is registered.
- (2) Names, addresses, telephone numbers and e-mail addresses of the Company Secretary and compliance officer of the issuer.
- (3) Name, address, telephone number and e-mail address of the Statutory Auditor(s) of the issuer.
- (4) Names, addresses, telephone numbers, contact person, website addresses and e-mail addresses of the bankers to the issue, self-certified syndicate bankers and legal advisors to the issue; URL of SEBI website listing out the details of self-certified syndicate banks, registrar to issue and share transfer agents, depository participants, etc.
- (5) Statement of inter-se allocation of responsibilities among lead manager(s),

- (6) Following details of credit rating in case of an issue of convertible debt instrument:
    - (a) The names of all the credit rating agencies from which credit rating including unaccepted rating has been obtained for the issue of convertible debt instruments.
    - (b) Details of all credit ratings, including unaccepted ratings, obtained for the issue of convertible debt instruments.
    - (c) All credit ratings obtained during the preceding three years for any of the issuer's listed convertible debt instruments at the time of accessing the market through a convertible debt instrument.
  - (7) Name, address, telephone number, website address and e-mail address of the debenture trustee in case of an issue of convertible debt instruments.
  - (8) Name, address, telephone number and e-mail address of the monitoring agency, if appointed, and disclosure as to whether such appointment is pursuant to these regulations.
  - (9) Details of underwriting:
    - (a) Names, address, telephone numbers, and e-mail address of the underwriters and the amount underwritten by each of them.
    - (b) Declaration by the board of directors of the issuer that the underwriters have sufficient resources to discharge their respective obligations.
    - (c) In case of partial underwriting of the issue, the extent of such underwriting.
    - (d) Details of the final underwriting arrangement, indicating actual number of specified securities underwritten, in the letter of offer filed with the designated stock exchange.
  - (10) The fact of filing the letter of offer with the Board and the stock exchange(s) and the office of the Board where the letter of offer has been filed.
- (C) **Capital Structure:** The capital structure in the following manner in a tabular form:
- (1) Authorised, issued and subscribed capital, after suitable incorporation of the outstanding convertible securities (number of securities, description and aggregate nominal value).
  - (2) Paid-up capital.
    - (a) After the issue.
    - (b) After conversion of convertible instruments (if applicable).
  - (3) The following details of outstanding instruments:
    - (a) Details of options, if any.
    - (b) Details of convertible securities, if any
  - (4) Details of specified securities held by the promoter and promoter group including the details of lock-in, pledge of and encumbrance on such specified securities. This information can be either incorporated by reference with specific website details of stock exchange(s) or by providing required details in the letter of offer.
  - (5) Details of specified securities acquired by the promoter and promoter group in the last one year immediately preceding the date of filing of the letter of offer with the designated stock exchange in case of a fast track issue and in any other case, the date of filing of the draft letter of offer with the Board.
  - (6) Intention and extent of participation by the promoter and promoter group in the issue with respect to:
    - (1) their rights entitlement.

(2) their intention to subscribe over and above their rights entitlement.

**Provided that** such participation shall not result in a breach of the minimum public shareholding requirement stipulated in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

- (7) Ex-rights price as referred under clause of (b) of sub-regulation 4 of regulation 10 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011.
- (8) Shareholding pattern as in the format prescribed in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as submitted to the stock exchanges. This information can be either incorporated by reference with specific website details of stock exchange(s) or by providing required details in the letter of offer.
- (9) Details of the shareholders holding more than one per cent. of the share capital of the issuer. This information can be either incorporated by reference with specific website details of stock exchange(s) or by providing required details in the letter of offer.

**(VIII) Particulars of the Issue**

**(A) Objects of the Issue:**

- (1) Objects of the issue for which funds are being raised
- (2) If the objects of the issue is repayment of loan or any other debt, then the following disclosures shall be made:
  - (a) details of loan proposed to be repaid such as name of the lender, tenure, brief terms and conditions and amount outstanding;
- (3) If one of the objects is investment in a joint venture or subsidiary or an acquisition, the following additional disclosures shall be made:
  - (a) details of the form of investment, i.e., equity, debt or any other instrument;
  - (b) if the form of investment has not been decided, a statement to that effect;
  - (c) if the investment is in debt instruments, complete details regarding the rate of interest, nature of security, terms of repayment, subordination, etc.;
  - (d) nature of benefit expected to accrue to the issuer as a result of the investment
- (4) If one of the objects of the issue is to grant a loan to an entity other than a subsidiary, details of the loan agreements including the rate of interest, whether secured or unsecured, duration, nature of security, terms of repayment, subordination, etc. and the nature of benefit expected to accrue to the issuer as a result of the investment. If such a loan is to be granted to any of the group companies, details of the same.
- (5) If one of the objects of the issue is utilisation of the issue proceeds for long term working capital, the following additional disclosures on a standalone basis:
  - (a) Basis of estimation of working capital requirement, along with relevant assumptions.
  - (b) Reasons for raising additional working capital, substantiating the same with relevant facts and figures.
  - (c) Details of the projected working capital requirement including detailed assessment of working capital after implementation of the project or achievement of objects of the issue, as the case may be, capacity utilisation assumptions, break-up of expected current assets into raw materials, finished goods, work in progress, sundry debtors etc., along with the assumption about the holding norms for each type of current

- asset, total current liabilities, net current assets and envisaged sources of finance for net current assets, i.e., bank finance, institutional finance, own funds, etc.
- (d) Total envisaged working capital requirement in a tabular form, the margin money thereof and the portion to be financed by any bank(s) or otherwise.
- (e) Details of the existing working capital available with the issuer, along with a break-up of total current assets into raw materials, finished goods, work in progress, sundry debtors, etc., total current liabilities, net current assets and sources of finance for net current assets, i.e., bank finance, institutional finance, own funds, etc.
- (f) If no working capital is shown as a part of the project for which the issue is being made, the reasons for the same.
- (6) If an object of the issue is to fund a project, the following details shall be given:
- (a) break-up of the cost of the project for which the money is being raised;
- (b) means of financing for the project.
- (c) location of the project
- (d) plant and machinery, technology, process, etc.
- (e) collaboration, performance guarantee if any, or assistance in marketing by the collaborators.
- (f) infrastructure facilities for raw materials and utilities like water, electricity, etc.
- (7) If one of the objects of the issue is to purchase any plant, machinery, technology, process, etc., the following details shall be given:
- (a) Details shall be given in a tabular form, which shall include the details of the equipment required to be bought by the issuer, cost of the equipment, name of the suppliers, date of placement of order and the date or expected date of supply, etc.
- (b) In case the order for the equipment is yet to be placed, the date of quotations relied upon for the cost estimates given shall also be mentioned.
- (c) The percentage and value terms of the equipment for which orders are yet to be placed shall be stated.
- (d) The details of the second hand equipment bought or proposed to be bought, if any, including the age of the machines, balance estimated life, etc. shall also be given.
- (8) If warrants or partly paid shares are proposed to be issued in a rights issue, disclosure of the objects towards which the funds from conversions of warrants/call money for partly paid shares is proposed to be used.

**(B) Requirement of Funds:**

- (1) Where the issuer proposes to undertake more than one activity or project, such as diversification, modernisation, expansion, etc., the total project cost activity-wise or project wise, as the case may be.
- (2) Where the issuer is implementing the project in a phased manner, the cost of each phase including the phase, if any, which has already been implemented.
- (3) Details of all material existing or anticipated transactions in relation to the utilisation of the issue proceeds or project cost with promoters, directors, key managerial personnel, associate companies (as defined under the Companies Act, 2013). The relevant documents shall be included in the list of material documents for inspection.
- (4) If any part of the proceeds of the issue is to be applied directly or indirectly:
- (A) in the purchase of any business; or

- (B) in the purchase of an interest in any business and by reason of that purchase, or anything to be done in consequence thereof, or in connection therewith; the issuer will become entitled to an interest in respect to either the capital or profits and losses or both, in such business exceeding fifty per cent. thereof;

a report made by accountants (who shall be named in the letter of offer) upon:

- (i) the profits or losses of the business of each of the five financial years immediately preceding the issue of the letter of offer; and
- (ii) the assets and liabilities of the business at the last date to which the accounts of the business were made, being a date not more than six months before the date of the issue of the letter of offer.

(5) If:

- (A) any part of the proceeds of the issue is to be applied directly or indirectly in any manner resulting in the acquisition by the issuer of shares in any other body corporate; and

- (B) by reason of that acquisition or anything to be done in consequence thereof or in connection therewith, that body corporate will become a subsidiary of the issuer;

a report made by accountants (who shall be named in the letter of offer) upon:

- (i) the profits or losses of the other body corporate for each of the five financial years immediately preceding the issue of the Letter of Offer; and
- (ii) the assets and liabilities of the other body corporate at the last date to which its accounts were made.

(C) Strategic partners to the project or objects of the issue.

(D) Financial partners to the project or objects of the issue.

**(E) Funding plan (Means of Finance):**

- (1) An undertaking by the issuer confirming that firm arrangements of finance through verifiable means towards seventy-five per cent. of the stated means of finance, excluding the amount to be raised through the proposed issue and existing identifiable internal accruals, have been made.
- (2) Balance portion of the means of finance for which no firm arrangement has been made without specification.
- (3) Details of funds tied up and the avenues for deployment of excess proceeds, if any.

**(F) Appraisal (if applicable):**

- (1) Scope and purpose of the appraisal, if any, along with the date of appraisal.
- (2) Cost of the project and means of finance as per the appraisal report.
- (3) Explanation of revision, if any, in the project cost and the means of finance after the date of issue of the appraisal report.
- (4) Weaknesses, qualifications and threats given in the appraisal report, by way of risk factors.

**(G) Schedule of implementation:** The schedule of implementation of the project and the progress made so far, giving details of land acquisition, civil works, installation of plant and machinery, trial production, date of commercial production and reasons for delay, if any.



**(H) Deployment of funds:**

- (1) Details of the sources of funds and the deployment of these funds on the project (where the issuer is raising capital for a project), up to a date not earlier than two months from the date of filing the letter of offer with the designated stock exchange, as certified by a Chartered Accountant, along with the name of the chartered accountant and the date of the certificate.
- (2) Where share application money brought in advance by the promoters is deployed in the project and the same is being adjusted towards their rights entitlement in the rights issue, the extent of deployment and utilisation of the funds brought in by the promoters.

(I) **Sources of financing of funds already deployed:** Means and source of financing, including details of "bridge loan" or other financial arrangement, which may be repaid from the proceeds of the issue.

(J) **Details of balance fund deployment:** Year wise break-up of the expenditure proposed to be incurred on the said project.

(K) **Interim use of funds:** A statement that net issue proceeds pending utilization (for the stated objects) shall be deposited only in the scheduled commercial banks.

(L) **Expenses of the issue:** Expenses of the issue (in terms of amount, as a percentage of total issue expenses and as a percentage of total issue size) under the following heads:

- (1) Lead manager(s) fees including underwriting commission
- (2) Brokerage, selling commission and upload fees
- (3) Registrars to the issue
- (4) Legal Advisors
- (5) Advertising and marketing expenses
- (6) Regulators including stock exchanges
- (7) Printing and distribution of issue stationary
- (8) Others, if any (to be specified).

(M) Any special tax benefits for the issuer and its shareholders and its material subsidiaries identified in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(N) Key Industry Regulations for the proposed objects of the issue (if different from existing business of the issuer).

(O) Interest of promoters, promoter group and directors, as applicable to the project or objects of the issue.

**(IX) Details of Business:** Description of the industry and nature of the company's operations and its principal activities, including the main categories of products sold and/or services performed, end-users of the issuer's products and/or services, plant, machinery, technology, process, principal markets in which the issuer competes, approach to marketing, business strategy and productive capacity and extent of utilization of the issuer's facilities.

**(X) Management (Board of Directors and Senior Management) and Organisational Structure:**

(A) Name, date of birth, age, Director Identification Number, address, occupation and date of expiration of the current term of office of manager, managing director and other directors (including nominee directors and whole-time directors), period of directorships and directorships in other companies.

(1) For each person, details of current and past directorship(s) for a period of five years in listed companies whose shares have been/were suspended from being traded on any of the stock exchanges, during his/her tenure, as follows:

- Name of the Company:
- Listed on [give name of the stock exchange(s)]

- Date of suspension on the stock exchanges:
  - If trading suspended for more than three months, reasons for suspension and period of suspension:
  - If the suspension of trading revoked, the date of revocation of suspension:
    - Term (along with relevant dates) of the director in the above company(ies). (The above details shall be given for the preceding five years. In case of offer documents for fast track issues filed under the provisions of these regulations, the period of five years shall be reckoned on the date of filing of the letter of offer.)
- (2) For each person, details of current and past directorship(s) in listed companies who have been/were delisted from the stock exchange(s) during his/her tenure in the past ten years, as follows:
- Name of the Company
  - Listed on [give name of the stock exchange(s)]
  - Date of delisting on the stock exchange(s)
  - Compulsory or voluntary delisting
  - Reasons for delisting
  - If relisted, date of relisting on [give name of the stock exchange(s)]
  - Term (along with relevant dates) of the director in the above company(ies).

(B) Details of senior management and key management.

(C) Current organisational structure.

**(XI) Financial Information of the issuer:**

One standard financial unit shall be used in the Letter of Offer.

**(A) Consolidated financial statements of the issuer:**

The audited consolidated financial statements prepared in accordance with applicable accounting standards for the last financial year (with the comparative prior full year period). In addition, latest limited review financial statements disclosed to the stock exchange with the comparative prior year period (this information should not be earlier than six months prior to the date of the opening of the issue).

Issuers may voluntarily include additional financial statements, including three years of audited financial statements (but not more than three years), additional stub periods and audited standalone financial statements.

The following shall be included in the letter of offer:

- i. Report of statutory auditors on the financial statements.
- ii. Balance sheets
- iii. Statements of income
- iv. Schedules to accounts
- v. Statements of changes in stockholders' equity
- vi. Statements of cash flows
- vii. Statement of accounting policies
- viii. Notes to financial statements
- ix. Accounting Ratios
  - a) Earnings per share (Basic and Diluted)
  - b) Return on net worth

- c) Net Asset Value per Share
  - d) EBITDA
- (B) **Proforma financial statements** – The Issuer shall provide pro forma financial statements, as certified by the statutory auditor, of all the subsidiaries or businesses material to the consolidated financial statements where the issuer or its subsidiaries have made an acquisition or divestment including deemed disposal after the latest period for which financial information is disclosed in the letter of offer but before the date of filing of the letter of offer. For this purpose, the acquisition/divestment would be considered as material if acquired/ divested business or subsidiary in aggregate contributes 20% or more to turnover, net worth or profit before tax in the latest annual consolidated financial statements of the issuer. The pro forma financial statements shall be prepared for the last completed financial year and the stub period (if any). The pro forma financial statements shall be prepared in accordance with the Guidance Note issued by the ICAI from time to time and certified by the statutory auditor. The issuer company may voluntarily choose to provide pro forma financial statements of acquisitions even when they are below the above materiality threshold. In case of one or more acquisitions or divestments, one combined set of pro forma financial statements should be presented. Where the businesses acquired/ divested does not represent a separate entity, general purpose financial statement may not be available for such business. In such cases, combined/ carved-out financial statements for such businesses shall be prepared in accordance with the Guidance Note issued by the ICAI from time to time. Further, in case of non-material acquisitions/divestments, disclosures in relation to the fact of the acquisition/divestment, consideration paid/received and mode of financing shall be certified by the statutory auditor of the issuer company.
- (C) **Audit Qualification.** If the auditors' report for the latest full year or limited review report for the latest stub period on the financial statements is modified, the issuer shall comply with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in relation to audit report with modified opinion prior to issuing the final letter of offer, including issuing a Statement on Impact of Audit Qualifications in the format specified by the Board from time to time. The impact of any modification of auditors' opinion (where quantifiable), whether such modification is included in the audited report for the latest full year or limited review report for the latest stub period, shall be shown as adjustments in the line items specified by the Board from time to time to the extent possible for all the financial periods (full-year or stub) presented in the letter of offer, including any comparative prior year periods. Any type of audit modification (qualification, disclaimer or emphasis of matter) shall also be disclosed appropriately in the letter of offer, including as risk factor.
- (XII) A statement to the effect that the price has been arrived at in consultation between the issuer and the lead manager(s).
- (XIII) **Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations.**
- (XIV) **Disclosures pertaining to wilful defaulters:** If the issuer or any of its promoter or director has been declared as a wilful defaulter, it shall make the following disclosures with respect to each such person separately:
- (a) Name of the person declared as a wilful defaulter;
  - (b) Name of the bank declaring the person as a wilful defaulter;
  - (c) Year in which the person was declared as a wilful defaulter;
  - (d) Outstanding amount when the person was declared as a wilful defaulter;
  - (e) Steps taken, if any, by the person for removal of its name from the list of wilful defaulters;
  - (f) Other disclosures, as deemed fit by the issuer, in order to enable investors to take an informed decision;
  - (g) Any other disclosure as specified by the Board.

**(XV) Outstanding Litigations and Defaults:**

- (A) Pending matters which, if they result in an adverse outcome, would materially and adversely affect the operations or the financial position of the issuer.
- (B) Matters which are pending:
  - (1) Issues of moral turpitude or criminal liability on the part of the issuer,
  - (2) Material violations of the statutory regulations by the issuer.
  - (3) Economic offences where proceedings have been initiated against the issuer.
- (C) For the purpose of determining materiality, the threshold shall be determined by the issuer as per requirements under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (D) These disclosures shall be made in respect of the issuer and the subsidiary companies of the issuer whose financial statements are included in the draft letter of offer or letter of offer, either separately or in a consolidated form.

**(XVI) Government Approvals or Licensing Arrangements:** All material pending government and regulatory approvals pertaining to the objects of the issue.

**(XVII) Material Developments:** Any material development after the date of the latest balance sheet and its impact on the performance and prospects of the issuer.

**(XVIII) Other Regulatory and Statutory Disclosures:**

- (A) Authority for the issue and details of the resolution passed for the issue.
- (B) A statement by the issuer that the issuer, promoters, promoter group, directors have not been or are not prohibited from accessing or operating in the capital markets or restrained from buying, selling or dealing in securities under any order or direction passed by the Board.
- (C) A statement by the issuer if any of the directors of the issuer are associated with the securities market in any manner, and if yes, details of any outstanding action initiated by the Board against the said entities with the relevant details.
- (D) A statement by the issuer that it is in compliance with the provisions specified in Clause (1) of this Schedule.
- (E) For a fast track issue, details of compliance with the eligibility requirements.
- (F) Disclaimer clauses:
  - (1) The letter of offer shall contain the following disclaimer clause in bold capital letters:

"It is to be distinctly understood that submission of Letter of Offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. SEBI does not take any responsibility either for the financial soundness of any scheme or the project for which the issue is proposed to be made or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the Letter of Offer. Lead manager(s), ..... has certified that the disclosures made in the Letter of Offer are generally adequate and are in conformity with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 in force for the time being. This requirement is to facilitate investors to take an informed decision for making investment in the proposed issue.

It should also be clearly understood that while the issuer is primarily responsible for the correctness, adequacy and disclosure of all relevant information in the letter of offer, the lead manager(s) is expected to exercise due diligence to ensure that the issuer discharges its responsibility adequately in this behalf and towards this purpose, the lead manager(s)

..... has furnished to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) a due diligence certificate dated .....which reads as follows:

*(due diligence certificate submitted to the Board to be reproduced here)*

The filing of the letter of offer does not, however, absolve the issuer from any liabilities under the Companies Act, 2013 or from the requirement of obtaining such statutory or other clearances as may be required for the purpose of the proposed issue. SEBI further reserves the right to take up, at any point of time, with the lead manager(s) any irregularities or lapses in letter of offer."

(2) Disclaimer statement from the issuer and lead manager(s):

A statement to the effect that the issuer and the lead manager(s) accept no responsibility for statements made otherwise than in the Letter of Offer or in the advertisement or any other material issued by or at the instance of the issuer and that anyone placing reliance on any other source of information would be doing so at their own risk.

Investors who invest in the issue will be deemed to have been represented by the issuer and lead manager(s) and their respective directors, officers, agents, affiliates and representatives that they are eligible under all applicable laws, rules, regulations, guidelines and approvals to acquire equity shares of our company, and are relying on independent advice / evaluation as to their ability and quantum of investment in this issue.

(3) Disclaimer in respect of jurisdiction: A brief paragraph mentioning the jurisdiction under which the provisions of law and the rules and regulations are applicable to the letter of offer.

(4) Disclaimer clause of the stock exchanges.

(5) Disclaimer clause of the Reserve Bank of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India and of any other regulatory authority (if applicable).

(G) The fact of filing the letter of offer with the Board and the stock exchange(s) and the office of the Board where the letter of offer has been filed.

(H) Arrangements or any mechanism evolved by the issuer for redressal of investor grievances and the time normally taken by it for disposal of various types of investor grievances.

**(XIX) Offering Information:**

(1) Terms of payments and procedure and time schedule for allotment and demat credit of securities.

(2) How to apply, availability of application forms and letter of offer and mode of payment, including the following:

(a) Applications by mutual funds:

1. A statement under the heads "Procedure for applications by mutual funds" and "Multiple Applications" to indicate that a separate application can be made in respect of each scheme of an Indian mutual fund registered with the Board and that such applications shall not be treated as multiple applications.

2. A statement that the application made by an asset management company or by custodian of a mutual fund shall clearly indicate the name of the concerned scheme for which the application is being made.

(b) Applications by non-resident Indians:

1. the name and address of at least one place in India from where individual non-resident Indian applicants can obtain the application forms.

(c) Application by ASBA investors: Details of Application Supported by Blocked Amount process including specific instructions for submitting Application Supported by Blocked Amount.

(d) A statement that the shareholders who have not received the application

form can apply, along with the requisite application money, by making an application that is available on the website of registrar, stock exchanges, lead managers or on a plain paper with same details as per application form available online.

- (e) The format to enable shareholders to make an application on a plain paper specifying therein necessary particulars such as name, address, ratio of rights issue, issue price, number of equity shares held, depository participant ID, client ID, number of equity shares applied for, amount to be blocked with SCSB for using ASBA facility. Application form available online on the website of registrar, stock exchanges, lead managers may be used for providing requisite details;
  - (f) A statement that shareholders making an application on a plain paper cannot renounce their rights and shall not utilise the application form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.
- (3) Dealing with Fractional Entitlement: Manner of dealing with fractional entitlement viz. payment of the equivalent of the value, if any, of the fractional rights in cash etc.
- (4) Provisions of the Companies Act, 2013, as relating to punishment for fictitious applications, including the disclosures that any person who:
- a) makes or abets making of an application in a fictitious name to a company for acquiring, or subscribing for, its securities; or
  - b) makes or abets making of multiple applications to a company in different names or in different combinations of his/her name or surname for acquiring or subscribing for its securities; or
  - c) otherwise induces directly or indirectly a company to allot, or register any transfer of, securities to such person, or to any other person in a fictitious name.

Provided that any penalty imposed pursuant to Companies Act, 2013 shall also be disclosed.

- (5) A statement that credit of specified securities to the demat account/ issuing instructions for un- blocking of ASBA shall be done within a period of fifteen days and interest shall be payable in case of delay in <sup>99</sup> issuing instructions for un- blocking of ASBA at the prescribed rate. In cases where refunds are applicable, such refunds shall be made within a period of fifteen days and interest shall be payable in case of delay. Liability of issuer and its directors (who are officers in default) to issue instructions for unblocking/ make refunds along with specified rate of interest shall also be mentioned, in case refunds not made within the specified timeline.
- (6) Mode of making refunds:
- a) The mode in which the issuer shall make refunds to applicants in case of an oversubscription or failure to list or otherwise.
  - b) If the issuer proposes to use more than one mode of making refunds to applicants, the respective cases where each such mode will be adopted shall be disclosed.
  - c) The permissible modes of making refunds are as follows:
    - (i) Unblocking amounts blocked using ASBA facility;
    - (ii) In case of applicants residing in any of the centres specified by the Board: by crediting of refunds to the bank accounts of applicants through electronic transfer of funds by using Direct Credit, RTGS (Real Time Gross Settlement) or NEFT (National Electronic Funds Transfer) or NACH (National Automated Clearing House), as applicable, as is for the time being permitted by the Reserve Bank of India;
    - (iii) In case of other applicants: by despatch of refund orders by registered post, where the value is `1500/- or more, or under certificate of posting

in other cases, (subject however to postal rules); and

- (iv) In case of any category of applicants specified by the Board: crediting of refunds to the applicants in any electronic manner permissible by the Board.

**(XX) Undertakings by the issuer in connection with the issue:** The issuer shall undertake that:

- (a) complaints received in respect of the issue shall be attended to by the issuer expeditiously and satisfactorily.
- (b) steps for completion of the necessary formalities for listing and commencement of trading at all stock exchanges where the specified securities are to be listed are taken within the time limit specified by the Board.
- (c) funds required for making refunds to unsuccessful applicants as per the mode(s) disclosed shall be made available to the Registrar to the issue by the issuer.
- (d) where refunds are made through electronic transfer of funds, a suitable communication shall be sent to the applicant within 15 days of closure of the issue giving details of the bank where refunds shall be credited along with amount and expected date of electronic credit of refund.
- (e) where release of block on the application amount for unsuccessful bidders or part of the application amount in case of proportionate allotment, a suitable communication shall be sent to the applicants.
- (f) adequate arrangements shall be made to collect all ASBA applications
- (g) in case of convertible debt instruments, the issuer shall additionally undertake that:
  - (1) it shall forward the details of utilisation of the funds raised through the convertible debt instruments, duly certified by the statutory auditors of the issuer, to the debenture trustee at the end of each half-year.
  - (2) it shall disclose the name and address of the debenture trustee in the annual report.
  - (3) it shall provide a compliance certificate to the convertible debt instrument holders on a yearly basis in respect of compliance with the terms and conditions of issue of debentures as contained in the Letter of Offer, duly certified by the debenture trustee.
  - (4) it shall furnish a confirmation certificate that the security created by the issuer in favour of the convertible debt instrument holders is properly maintained and is adequate to meet the payment obligations towards the convertible debt instrument holders in the event of a default.
  - (5) it shall extend necessary cooperation to the credit rating agency(ies) in providing the requisite information in a true and adequate manner till the debt obligations in respect of the instrument are outstanding.

**(XXI) Utilisation of Issue Proceeds:** The letter of offer, other than for an issue made by a scheduled commercial bank or a public financial institution, shall contain a statement of the board of directors of the issuer to the effect that:

- (A) all monies received out of issue of shares or specified securities to the public shall be transferred to a separate bank account.
- (B) details of all monies utilised out of the issue referred to in clause (A) shall be disclosed under an appropriate separate head in the balance sheet of the issuer indicating the purpose for which such monies had been utilised; and
- (C) details of all unutilised monies out of the issue of specified securities referred to in clause (A) shall be disclosed under an appropriate separate head in the balance sheet of the issuer indicating the form in which such unutilised monies have been invested.

**(XXII) Restrictions on foreign ownership of Indian securities, if any:**

- (A) Investment by NRIs.
- (B) Investment by foreign portfolio investors and foreign venture capital investors.
- (C) Investment by other non-residents.

**(XXIII) Statutory and other information:**

- (A) Allotment of specified securities shall be in the dematerialised form.
- (B) Material contracts and time and place of inspection which shall include copies of the Annual Reports of the issuer for the last five years.

**(XXIV) Any other material disclosures, as deemed necessary.****(XXV) Declaration:**

“No statement made in this letter of offer contravenes any of the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder. All the legal requirements connected with the issue as also the guidelines, instructions, etc., issued by SEBI, Government and any other competent authority in this behalf, have been duly complied with.”

The draft letter of offer (in case of issues other than fast track issues) and the letter of offer shall be approved by the Board of Directors of the issuer and shall be signed by all directors including the Managing Director within the meaning of the Companies Act, 2013 or Manager within the meaning of the Companies Act, 2013 and the Chief Financial Officer or any other person heading the finance function and discharging that function. The signatories shall further certify that all disclosures made in the letter of offer are true and correct.

- (5) An issuer shall make a copy of the offer document of the immediately preceding public issue or rights issue available to the public in the manner specified in these regulations and shall also make such document available as a material document for inspection.”

- b. After Part B, Part B-1 shall be inserted, namely,

**“Part B-1 – Disclosures in letter of offer  
[See regulation 70(2)]**

All disclosures specified under this Part shall be made in the draft letter of offer and the letter of offer.

**Instructions:**

- (a) All information shall be relevant and updated. The source and basis of all statements and claims shall be disclosed. Terms such as “market leader”, “leading player”, etc. shall be used only if these can be substantiated by citing a proper source.
- (b) All blank spaces in the draft letter of offer shall be filled up with appropriate data before filing the letter of offer with the designated stock exchanges.
- (c) Simple English shall be used to enable easy understanding of the contents. Technical terms, if any, used in explaining the business of the issuer shall be clarified in simple terms.
- (d) Wherever it is mentioned that details are given elsewhere in the document, the same shall be adequately cross-referenced by indicating the paragraph heading and page number.
- (e) There shall be no forward-looking statements that cannot be substantiated.
- (f) Consistency shall be ensured in the style of disclosures. If first person is used, the same may be used throughout. Sentences that contain a combination of first and third persons may be avoided.
- (g) For currency of presentation, only one standard financial unit shall be used.

- (1) **Cover pages:** The cover pages shall be of adequate thickness (minimum hundred GSM quality) and shall be white in colour with no patterns.

**(A) Front cover pages:**

- (1) Front inside cover page shall be kept blank.
- (2) Front outside cover page shall contain only the following issue details:
  - a) The type of letter of offer (“Draft Letter of Offer” or “Letter of Offer”).
  - b) Date of the draft letter of offer / letter of offer.



- c) Name of the issuer, its logo, date and place of its incorporation, corporate identity number, address of its registered and corporate offices, telephone number, website address and e-mail address (where there has been any change in the address of the registered office or the name of the issuer, reference to the page of the letter of offer where details thereof are given).
- d) Names of the promoter(s) of the issuer.
- e) Details of the company or any of its promoters or directors being a wilful defaulter.
- f) Nature, number and price of specified securities offered and issue size, as may be applicable.
- g) The following clause on 'General Risk' shall be incorporated in a box format:

"Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' given on page number under the section 'General Risks'."

- h) The following clause on 'Issuer's Absolute Responsibility' shall be incorporated in a box format:

"The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this letter of offer contains all information with regard to the issuer and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the letter of offer is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect."

- i) Names, logos and addresses of all the lead manager(s) with their titles who have signed the due diligence certificate and filed the letter of offer with the Board, along with their telephone numbers, website addresses and e-mail addresses. (Where any of the lead manager(s) is an associate of the issuer, it shall disclose itself as an associate of the issuer and that its role is limited to marketing of the issue.)
- j) Name, logo and address of the registrar to the issue, along with its telephone number, website address and e-mail address.
- k) Issue schedule:
  - (i) Date of opening of the issue
  - (ii) Date of closing of the issue
- l) Credit rating, if applicable.
- m) Name(s) of the stock exchanges where the specified securities are listed and the details of their in-principle approval for listing obtained from these stock exchange(s).

(B) **Back cover pages:** The back inside cover page and back outside cover page shall be kept blank.

(2) **Table of Contents:** The table of contents shall appear immediately after the front inside cover page.

(3) **Definitions and abbreviations:**

- (A) Conventional or general terms
- (B) Issue related terms
- (C) Issuer and industry related terms
- (D) Abbreviations

(4) **Letter of offer summary:** This section shall contain summary of the following information, as applicable:

- (A) Primary business of the Issuer and the industry in which it operates, in not more than 100 words each;
- (B) Names of the promoters;

- (C) Objects of the issue in a tabular format;
  - (D) Following details as per the restated consolidated financial statements for past 3 years and limited review stub period in tabular format:
    - a. Share capital;
    - b. Net Worth;
    - c. Revenue;
    - d. Profit after tax;
    - e. Earnings per share;
    - f. Net Asset Value per equity share; and
    - g. Total borrowings (as per balance sheet).
  - (E) Summary table of outstanding litigations and a cross-reference to the section titled '*Outstanding Litigations and Material Developments*'.
  - (F) Cross-reference to the section titled '*Risk Factors*'.
  - (G) Cross-reference to the contingent liabilities of the issuer as disclosed in the financial statements included in the letter of offer.
  - (H) Cross-reference to related party transactions as disclosed in the financial statements included in the letter of offer.
  - (I) Any issuances of equity shares made in the last one year for consideration other than cash.
  - (J) Any split/consolidation of equity shares in the last one year.
- (5) Risk factors:**
- (A) Risk factors shall be printed in a clear readable font (preferably of minimum point ten size).
  - (B) Risk factors shall be classified as those which are specific to the project and internal to the issuer and those which are external and beyond the control of the issuer.
  - (C) Risk factors shall be determined on the basis of their materiality. In doing so, the following shall be considered:
    - (1) Some risks may not be material individually but may be material when considered collectively.
    - (2) Some risks may have an impact which is qualitative though not quantitative.
    - (3) Some risks may not be material at present but may have a material impact in the future.
  - (D) Each risk factor shall appear in the following manner:
    - (1) The risk as envisaged by the issuer.
    - (2) Proposals, if any, to address the risk.
  - (E) Proposals to address the risks shall not contain any speculative statement on the positive outcome of any matter or litigation, etc. and shall not be given for any matter that is sub-judice before any court/tribunal.
  - (F) Risk factors shall be disclosed in the descending order of materiality. Wherever risks about material impact are stated, likely or potential implications, including financial implication, wherever quantifiable shall be disclosed. If it cannot be quantified, a distinct statement about the fact that the implications cannot be quantified shall be made.
  - (G) Risk factors covering the following subjects, shall necessarily be disclosed wherever applicable:
    - (1) Material statutory clearances and approval that are yet to be received by the issuer.
    - (2) Seasonality of the business of the issuer.
    - (3) Where an object of the issue is to finance acquisitions and the acquisition targets have not been identified, details of interim use of funds and the probable date of completing the acquisitions.
    - (4) Risk associated with orders not having been placed for plant and machinery in relation to the objects of the issue, indicating the percentage and value terms of the plant and machinery for which orders are yet to be placed.

- (5) Lack of significant experience of the issuer or its promoters in the industry segment for which the issue is being made.
- (6) If the issuer has incurred losses in the last three financial years.
- (7) Dependence of the issuer or any of its business segments upon a single customer or a few customers, the loss of any one or more may have a material adverse effect on the issuer.
- (8) Refusal of listing of any securities of the issuer or any of its subsidiaries during last ten years by any of the stock exchanges in India or abroad.
- (9) Failure of the issuer or any of its subsidiary to meet the listing requirements of any stock exchange in India or abroad and the details of penalty, if any, including suspension of trading, imposed by such stock exchanges.
- (10) Limited or sporadic trading of any specified securities of the issuer on the stock exchanges.
- (11) In case of outstanding debt instruments, any default in compliance with the material covenants such as creation of full security as per terms of issue, default in payment of interest, default in redemption, non-creation of debenture redemption reserve, default in payment of penal interest wherever applicable, non-availability or non-maintenance of asset cover, interest cover, debt-service cover, etc.
- (12) Unsecured loans, if any, taken by the issuer and its subsidiaries that can be recalled at any time.
- (13) Default in repayment of deposits or payment of interest thereon by the issuer and subsidiaries, and the roll-over of liability, if any.
- (14) Potential conflict of interest of the promoters or directors of the issuer if involved with one or more ventures which are in the same line of activity or business as that of the issuer.
- (15) Shortfall in performance vis-à-vis the objects stated in any of the issues made by the listed issuer or listed subsidiaries in the last five years, as disclosed under the heading "Performance vis-à-vis Objects" in the section "Other Regulatory and Statutory Disclosures", quantifying such shortfalls or delays.
- (16) Interests of the promoters, directors or key management personnel of the issuer, other than reimbursement of expenses incurred or normal remuneration or benefits. Any portion of the issue proceeds that is proposed to be paid by the issuer to the promoter, directors or key managerial personnel of the issuer.
- (17) Relationship of the promoter or directors of the issuer with the entities from whom the issuer has acquired or proposes to acquire land in the last 5 years, along with the relevant details.
- (18) Excessive dependence on any key managerial personnel for the project for which the issue is being made.
- (19) Any material investment in debt instruments by the issuer which are unsecured.
- (20) Non-provision for decline in the value of investments.
- (21) Summary of all outstanding litigations and other matters disclosed in the section titled '*Outstanding Litigations and Material Developments*' in a tabular format along with amount involved, where quantifiable. Issuer shall also separately highlight any criminal, regulatory or taxation matters which may have any material adverse effect on the issuer.
- (22) The delay, if any, in the schedule of the implementation of the project for which the funds are being raised in the issue.
- (23) If monitoring agency is not required to be appointed as per these Regulations, the statement that deployment of the issue proceeds is entirely at the discretion of the issuer.
- (24) Negative cash flow from operating activities in the last three financial years.
- (25) If the land proposed to be acquired from proceeds of the issue is not registered in the name of the issuer.
- (26) Any restrictive covenants as regards the interests of the equity shareholders in any shareholders' agreement, promoters' agreement or any other agreement for short term (secured and unsecured) and long term borrowings.
- (27) Existence of a large number of pending investor grievances against the issuer and listed subsidiaries.

(28) In case of issue of secured convertible debt instruments, risks associated with second or residual charge or subordinated obligation created on the asset cover.

**(6) Introduction:**

(A) Issue details in brief.

**(7) General information:**

(A) Name and address of the registered and corporate offices, the registration number of the issuer, and the address of the Registrar of Companies where the issuer is registered.

(B) Name, Age, designation, address and DIN of each member of the Board of directors of the issuer.

(C) Names, addresses, telephone numbers and e-mail addresses of the Company Secretary, and legal advisor.

(D) Name, address, telephone number and e-mail address of the compliance officer.

(E) Names, addresses, telephone numbers, contact person, website addresses and e-mail addresses of the lead manager(s), registrars to the issue, bankers to the issue; URL of SEBI website listing out the details of self-certified syndicate banks, registrar to the issue and share transfer agents, etc.

(F) Names, addresses, telephone numbers peer review number, firm registration number and e-mail addresses of the auditors of the issuer.

(G) Statement of inter-se allocation of responsibilities among lead manager(s).

(H) Following details of credit rating in case of an issue of convertible debt instruments/debt instruments:

(a) The names of all the credit rating agencies from which credit rating including unaccepted rating has been obtained for the issue of convertible debt instruments.

(b) Details of all credit ratings, including unaccepted ratings, obtained for the issue of convertible debt instruments.

(c) All credit ratings obtained during the preceding three years prior to the filing the draft letter of offer /letter of offer for any of the issuer's listed debt instruments at the time of accessing the market.

(I) Name, address, telephone number, website address and e-mail address of the debenture trustee, in case of issue of convertible debt instruments/debt instruments.

(J) Name, address, telephone number and e-mail address of the monitoring agency, if appointed, and disclosure as to whether such appointment is pursuant to these regulations. The fact of filing the letter of offer with the Board and the stock exchange(s) and the office of the Board where the letter of offer has been filed.

(K) Details of underwriting:

(a) Names, addresses, telephone numbers, and e-mail addresses of the underwriters and the amount underwritten by each of them.

(b) Declaration by the board of directors of the issuer that the underwriters have sufficient resources to discharge their respective obligations.

(c) In case of partial underwriting of the issue, the extent of such underwriting.

(d) Details of the final underwriting arrangement, indicating actual number of specified securities underwritten, in the letter of offer filed with the designated stock exchange.

(L) Changes in the auditors during the last three years along with name, address, email address, peer review number and firm registration number of auditors and reasons thereof.

**(8) Capital structure:**

(A) The capital structure in the following order in a tabular form:

(a) Authorised, issued, subscribed and paid-up capital (number of securities, description and aggregate nominal value).

(b) Paid-up capital:

(i) After the issue.

(ii) After conversion of convertible instruments (if applicable).

- (c) Intention and extent of participation by the promoter and promoter group in the issue with respect to:
  - (i) their rights entitlement.
  - (ii) the intention to subscribe over and above their rights entitlement: Provided that such participation shall not result in a breach of the minimum public shareholding requirement stipulated in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (d) Ex-rights price as referred under clause of (b) of sub-regulation 4 of regulation 10 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011.
- (e) Shareholding pattern of the issuer in the format as prescribed under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as last submitted to the stock exchanges. This information can either be incorporated by reference with specific website details of the stock exchange(s) or by providing the details in the letter of offer:
  - (i) Details of shareholders of the issuer holding 1% or more of the paid-up capital of the issuer as last disclosed to the stock exchanges. Details of shares locked-in, pledged, encumbrance by promoters and promoter group. This information can either be incorporated by reference with specific website details of the stock exchange(s) or by providing the details in the letter of offer.

**(9) Particulars of the issue:**

**(A) Objects of the issue:**

- (1) Objects of the issue.
- (2) If one of the objects of the issue is loan repayment:
  - (a) details of loan proposed to be repaid such as name of the lender, brief terms and conditions and amount outstanding;
  - (b) certificate from the statutory auditor certifying the utilization of loan for the purposed availed.
  - (c) If one of the objects is investment in a joint venture or a subsidiary or an acquisition, following additional disclosures:
  - (d) details of the form of investment, i.e., equity, debt or any other instrument;
  - (e) If the form of investment has not been decided, a statement to that effect;
  - (f) If the investment is in debt instruments, complete details regarding rate of interest, nature of security, terms of repayment, subordination, etc.;
  - (g) Nature of benefit expected to accrue to the issuer as a result of the investment
- (3) If one of the objects of the issue is to grant a loan to an entity other than a subsidiary, details of the loan agreements, including the rate of interest, whether secured or unsecured, duration, nature of security, terms of repayment, subordination etc. and the nature of benefit expected to accrue to the issuer as a result of the investment.
- (4) If one of the objects of the issue is utilisation of the issue proceeds for long term working capital, the following additional disclosures on a basis:
  - (a) Basis of estimation of working capital requirement along with the relevant assumptions.
  - (b) Reasons for raising additional working capital substantiating the same with relevant facts and figures.
  - (c) Details of the projected working capital requirement, including detailed assessment of working capital after implementation of the project or achievement of objects of the issue, as the case may be, capacity utilisation assumptions, break up of expected current assets into raw materials, finished goods, work in progress, sundry debtors etc., with assumption about the holding norms for each type of current asset, total

current liabilities, net current assets and envisaged sources of finance for net current assets, i.e., bank finance, institutional finance, own funds, etc.

- (d) Total envisaged working capital requirement in a tabular form, the margin money thereof and the portion to be financed by any bank(s) or otherwise.
- (e) Details of the existing working capital available to the issuer with a break up for total current assets into raw materials, finished goods, work in progress, sundry debtors, etc., total current liabilities, net current assets and sources of finance for net current assets i.e. bank finance, institutional finance, own funds etc.
- (f) If no working capital is shown as a part of project for which the issue is being made, the reasons for the same.

**(5) Land:**

- (a) Names of the entities from whom land has been acquired/ proposed to be acquired along with the cost of acquisition, and the relationship, if any, of such entities to any promoter or director of the issuer, in case the proceeds of the issue are being utilised for acquisition of land.
- (b) Details of whether the land acquired by the issuer is free from all encumbrances and has a clear title and whether it is registered in the name of the issuer.
- (c) Details of whether the issuer has applied/ received all the approvals pertaining to land. If no such approvals are required to be taken by the issuer, then this fact may be indicated by way of an affirmative statement.
- (d) Figures appearing under this section shall be consistent with the figures appearing under the section "Cost of the Project".

**(6) Project:**

If one of the objects of the issue is to fund a project, details of:

- (a) location of the project;
- (b) plant and machinery, technology, process, etc.;
- i) Details shall be given in a tabular form, which shall include the details of the machines required to be bought by the issuer, cost of the machines, name of the suppliers, date of placement of order and the date or expected date of supply, etc.
- ii) In case machines are yet to be delivered, the date of quotations relied upon for the cost estimates given shall also be mentioned.
- iii) The percentage and value terms of the plant and machinery for which orders are yet to be placed shall be stated.
- (c) The details of the second hand machinery bought or proposed to be bought, if any, including the age of the machines, balance estimated life, etc. shall also be given.
- (d) Collaboration, performance guarantee if any, or assistance in marketing by the collaborators. The following information regarding persons or entities with whom technical and financial agreements have been entered into shall be given:
  - i) place of registration and year of incorporation.
  - ii) paid up share capital.
  - iii) turnover of the last financial year of operation.
  - iv) general information regarding such persons relevant to the issuer.
- (e) Infrastructure facilities for raw materials and utilities like water, electricity, etc.

**(7) Property:**

If one of the object of the issue is to purchase any property, where arrangements have been made, details of:

- (a) names address, descriptions and occupations of the vendors;
- (b) the amount paid or payable in cash, shares or debentures to the vendor and, where there is more than one separate vendor, or the issuer is a sub purchaser, the amount so

paid or payable to each vendor, specifying separately the amount, if any, paid or payable for goodwill;

- (c) nature of the title or interest in such property acquired or to be acquired by the issuer;
- (d) short particulars of every transaction relating to the property completed within the two preceding years, in which any vendor of the property to the issuer or any person who is, or was at the time of the transaction, a promoter, or a director or proposed director of the issuer had any interest, direct or indirect, specifying the date of the transaction and the name of such promoter, director or proposed director and stating the amount payable by or to such vendor, promoter, director or proposed director in respect of the transaction;
- (e) The property to which sub-clause (a) applies is a property purchased or acquired by the issuer or proposed to be purchased or acquired, which is to be paid for wholly or partly out of the proceeds of the issue or the purchase or acquisition of which has not been completed as of the date of the draft letter of offer or letter of offer, as the case may be.

**(8) Plant/ Equipment/ Technology/ Process:**

If one of the objects of the issue is to purchase any plant, machinery, technology, process, etc.

- (i) Details in a tabular form, which shall include the details of the equipment required to be bought by the issuer, cost of the equipment, name of the suppliers, date of placement of order and the date or expected date of supply, etc.
  - (ii) In case the order for the equipment is yet to be placed, the date of quotations relied upon for the cost estimates given.
  - (iii) The percentage and value terms of the equipment for which orders are yet to be placed.
  - (iv) The details of the second hand equipment bought or proposed to be bought, if any, including the age of the machines, balance estimated life, etc.
- (9) In case of issue of secured convertible debt instruments, description of the assets on which the security shall be created/asset cover, if required, shall be created, the basis for computation of the security cover, the valuation methods, the periodicity of such valuation and the ranking of the charge(s).
- (10) If warrants are issued, the objects for which the funds from conversions of warrants are proposed to be used.

**(B) Requirement of funds:**

- (1) Where the issuer proposes to undertake more than one activity or project, such as diversification, modernisation, expansion, etc., the total project cost activity-wise or project wise, as the case may be.
- (2) Where the issuer is implementing the project in a phased manner, the cost of each phase, including the phase, if any, which has already been implemented, shall be separately given.
- (3) Details of all material existing or anticipated transactions in relation to utilisation of the issue proceeds or project cost with promoters, promoter group, directors and key managerial personnel. The relevant documents shall be included in the list of material documents for inspection.

**(C) Funding plan (Means of Finance):**

- (1) An undertaking by the issuer confirming that firm arrangements of finance through verifiable means towards seventy five per cent of the stated means of finance, excluding the amount to be raised through the proposed issue and existing identifiable internal accruals, have been made.
- (2) Balance portion of the means of finance for which no firm arrangement has been made without specification.
- (3) Details of funds tied up and the avenues for deployment of excess proceeds, if any.

**(D) Appraisal (if applicable):**

- (1) Scope and purpose of the appraisal, if any, along with the date of appraisal.

- (2) Cost of the project and means of finance as per the appraisal report.
  - (3) Explanation of revision, if any, in the project cost and the means of finance after the date of issue of the appraisal report.
  - (4) Weaknesses, qualifications and threats given in the appraisal report, by way of risk factors.
- (E) Schedule of implementation:** The schedule of implementation of the project and the progress made so far, giving details of land acquisition, civil works, installation of plant and machinery, trial production, date of commercial production and reasons for delay, if any.
- (F) Deployment of funds:**
- (1) Details of the sources of funds and the deployment of these funds on the project (where the issuer is raising capital for a project), up to a date not earlier than two months from the date of filing the letter of offer with the designated stock exchange, as certified by a Chartered Accountant, along with the name of the chartered accountant and the date of the certificate.
  - (2) Where share application money brought in advance by the promoters is deployed in the project and the same is being adjusted towards their rights entitlement in the rights issue, the extent of deployment and utilisation of the funds brought in by the promoters.
- (G) Sources of financing of funds already deployed:** Means and source of financing, including details of "bridge loan" or other financial arrangement, which may be repaid from the proceeds of the issue.
- (H) Details of balance fund deployment:** Year wise break-up of the expenditure proposed to be incurred on the said project.
- (I) Interim Use of Funds:** A statement that net issue proceeds pending utilization (for the stated objects) shall be deposited only in the scheduled commercial banks.
- (J) Expenses of the Issue:** Expenses of the issue along with a break up for each item of expense, including details of the fees payable to separately as under (in terms of amount, as a percentage of total issue expenses and as a percentage of total issue size):
- (1) Lead manager(s) fees including underwriting commission
  - (2) Brokerage, selling commission and upload fees
  - (3) Registrars to the issue
  - (4) Legal Advisors
  - (5) Advertising and marketing expenses
  - (6) Regulators including stock exchanges
  - (7) Printing and distribution of issue stationary
  - (8) Others, if any (to be specified).
- (K) Interest of promoters, promoter group and directors, as applicable to the project or objects of the issue.**
- (10) Tax Benefits:** Any special tax benefits (under direct and indirect tax laws) for the issuer and its shareholders and its material subsidiaries identified in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (11) About the Issuer:**
- (A) Industry Overview**
  - (B) Business Overview**
    - (1) Details of the business of the issuer:**
      - (a) Primary business of the Issuer;
      - (b) Plant, machinery, technology, process, etc.
      - (c) Description of subsisting collaborations, any performance guarantee or assistance in marketing by the collaborators, infrastructure facilities for raw materials and utilities like water, electricity, etc. Products or services of the issuer:



- (i) Nature of the product(s)/services, and the end users.
- (ii) Approach to marketing of products and services.
- (2) Business Strategy:** Description of the business strategy of the issuer, without any forecast of projections relating to the financial performance of the issuer.
- (3) Capacity and Capacity Utilisation:** A table shall be incorporated giving the existing installed capacities for each product, capacity utilisation for such products in the previous three years.
- (4) Intellectual Property Rights:**
- (a) If the issuer is entitled to certain intellectual property rights such as trademarks, brand names, etc. whether the same are legally held by the issuer and whether all formalities in this regard have been complied with.
- (b) In case any of the material intellectual property rights are not registered in the name of the issuer, the name of the entity with which these are registered.
- (c) In case the intellectual property rights are registered in the name of an entity in which the promoters are interested, the salient features of the agreement entered into for the use of the intellectual property rights by the issuer.
- (5) Property:** Details of its material properties.
- (C) Management:**
- (a) Board of Directors:**
- (i) Name, Director Identification Number, date of birth, age, qualifications, experience, address, occupation and date of expiration of the current term of office of manager, managing director, and other directors (including nominee directors and, whole-time directors), period of directorship, and their directorships in other companies.
- (ii) For each person, details of current and past directorship(s) in listed companies whose shares have been/were suspended from being traded on any of the stock exchanges, during his/her tenure, as follows:
- Name of the Company:
  - Listed on (give names of the stock exchange(s)):
  - Date of suspension on the stock exchanges:
  - If trading suspended for more than three months, reasons for suspension and period of suspension.
  - If the suspension of trading revoked, the date of revocation of suspension.
  - Term (along with relevant dates) of the director in the above company (ies).
- (The above details shall be given for the preceding five years. In case of fast track issues filed under the provisions of these regulations, the period of five years shall be reckoned on the date of filing of the offer document.)
- (iii) For each person, details of current and past directorship(s) in listed companies which have been/were delisted from the stock exchange(s), during his/her tenure, as follows:
- Name of the Company:
  - Listed on [give name of the stock exchange(s)]:
  - Date of delisting on the stock exchange(s):
  - Compulsory or voluntary delisting:
  - Reasons for delisting:
  - If relisted, date of relisting on [give name of the stock exchange(s)]
  - Term (along with relevant dates) of the director in the above company/companies.

(The above details shall be given for the preceding five years. In case of fast track issues filed under the provisions of these regulations, the period of five years shall be reckoned on the date of filing of the offer document.)

**(b) Management Organisation Structure.**

**(c) Corporate Governance:**

- (i) A statement that the issuer has complied with the requirements of corporate governance relating to the composition of its board of directors, constitution of committees such as audit committee, nomination and remuneration committee, stakeholders relationship committee, etc., as provided under Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (ii) Details relating to the issuer's audit committee, nomination and remuneration committee, stakeholders' relationship committee and risk management committee (if applicable) including the names of committee members and the terms of reference under which the committees operate.

**(d) Key Managerial Personnel:**

- (i) Details of the key managerial personnel indicating name, date of joining, qualification, term of office with date of expiration of term and details of service contracts including termination/retirement benefits, if any, details of previous employment, etc.
- (ii) Past business experience, and functions and areas of experience in the issuer. Nature of any family relationship between any of the key managerial personnel.
- (iii) Status of each key managerial personnel, as a permanent employee or otherwise.

**(12) Promoters/ principal shareholders:** Brief profile of promoters including name and experience in the business, other directorships held in other companies. In case of corporate promoters' details including name, date of incorporation, brief financial details and market capitalization if such promoter is a listed entity. In case of AIF or venture capital fund is a promoter, name of the entity, date of incorporation, name of the fund manager and generic details of the fund.

**(13) Dividend policy:** Dividend policy and mode of payment of dividend, details of dividend paid in the last three financial years and the stub period, as applicable, and the period between last audited period and the date of the filing the draft letter of offer/ letter of offer.

**(14) Financial Statements:**

**(A) Restated Consolidated financial statements of the issuer:**

The audited and restated consolidated financial statements (CFS) prepared in accordance with applicable accounting standards for the last three financial years. In addition, latest limited review financial statements disclosed to the stock exchange with the comparative prior year period (this information should not be earlier than six months prior to the date of the opening of the issue).

The following shall be included in the letter of offer:

- i. Report of statutory auditors on the financial statements.
- ii. Balance sheets
- iii. Statements of income
- iv. Schedules to accounts
- v. Statements of changes in stockholders' equity
- vi. Statements of cash flows
- vii. Statement of accounting policies
- viii. Notes to financial statements
- ix. List of the related parties and all related party transactions of the consolidated entities (whether eliminated on consolidation or not), which require disclosure under Ind AS 24 and/ or covered under section 188(2) of the Companies Act, 2013 (as amended), as disclosed in the

separate financial statement of the consolidated entities, should be disclosed in the restated financial information.

**(B) Other Financial Information**

- (i) The following information shall be computed as per the *Guidance Note* issued by the ICAI from time to time and disclosed in other financial information
- Earnings per share (Basic and Diluted)
  - Return on net worth
  - Net Asset Value per share
  - EBITDA
- (ii) If the proceeds, fully or partly, directly or indirectly, is to be used for acquisition of one or more material businesses or entities, the audited statements of balance sheets, profit and loss, cash flow for the latest three financial years and stub period (if available) prepared as per framework applicable to the business or subsidiary proposed to be acquired shall be included in the draft letter of offer/letter of offer. For this purpose, the proposed acquisition (covering all businesses or subsidiaries proposed to be acquired) shall be considered material if it will make 20% or more contribution in aggregate to either turnover, or net worth or profit before tax in the latest annual CFS. The issuer may voluntarily choose to provide financial statements of above acquisitions out of the proceeds of the issue even if they are below the above materiality threshold. In cases where the general purpose financial statement of the businesses/entities to be acquired/divested are not available, combined/carved-out financial statements for that business/entity shall be prepared in accordance with *Guidance Note* issued by the ICAI from time to time. The combined/carved-out financials statements shall be audited by the auditor of the seller in accordance with applicable framework.
- (iii) **Proforma financial statements** – The Issuer shall provide Proforma financial statements, as certified by the statutory auditor, of all the subsidiaries or businesses material to the consolidated financial statements where the issuer or its subsidiaries have made an acquisition or divestment including deemed disposal after the latest period for which financial information is disclosed in the letter of offer but before the date of filing of the letter of offer. For this purpose, the acquisition/divestment would be considered as material if acquired/ divested business or subsidiary in aggregate contributes 20% or more to turnover, net worth or profit before tax in the latest annual CFS of the issuer. The Proforma financial statements shall be prepared for the last completed financial year and the stub period (if any). The Proforma financial statements shall be prepared in accordance with *Guidance Note* issued by the ICAI from time to time and certified by the statutory auditor. The issuer Company may voluntarily choose to provide proforma financial statements of acquisitions even when they are below the above materiality threshold. In case of one or more acquisitions or divestments, one combined set of Proforma financial statements should be presented. Where the businesses acquired/ divested does not represent a separate entity, general purpose financial statement may not be available for such business. In such cases, combined/ carved-out financial statements for such businesses shall be prepared in accordance with *Guidance Note* issued by the ICAI from time to time. Further, in case of non-material acquisitions/divestments disclosures in relation to the fact of the acquisition/divestment, consideration paid/received and mode of financing shall be certified by the statutory auditor of the issuer company
- (iv) **Audit Qualification.** If the auditors' report for the last three full years or limited review report for the latest stub period on the financial statements is modified, the issuer shall comply with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in relation to audit report with modified opinion prior to issuing the final letter of offer, including issuing a Statement on Impact of Audit Qualifications in the format specified by the Board from time to time. The impact of any modification of auditors' opinion (where quantifiable), whether such modification is included in the audited report for the last three full year or limited review report for the latest stub period, shall be shown as adjustments in the line items specified by the Board from time to time to the extent possible for all the financial periods (full-year or stub) presented in the letter of offer, including any comparative prior year periods. Any type of audit modification (qualification, disclaimer or emphasis of matter) shall also be disclosed appropriately in the letter of offer, including as risk factor.

**(C) Management's Discussion and Analysis of Financial Position and Results of Operations as reflected in the CFS shall be provided in other financial information.**

- (i) Significant developments subsequent to the last financial year or when applicable subsequent to the stub period: A statement by the directors whether in their opinion there have arisen any circumstances since the date of the last financial statements as disclosed in the letter of offer and which materially and adversely affect or is likely to affect within the next twelve months:
- a. the trading or profitability of the issuer; or
  - b. the value of its assets; or
  - c. its ability to pay its liabilities.
- (ii) Factors that may affect the results of operations.
- (iii) Discussion on the results of operations: This information shall inter-alia contain the following:
- a. A summary of the past financial results for the past three full financial years and the stub period (if any) containing significant items of income and expenditure shall be given.
  - b. A summary of major items of income and expenditure for the last three years and the stub period (if any).
  - c. The income and sales on account of major product/ main activities.
  - d. In case, the other income constitutes more than 10% of the total income, the break-up of the same along with the nature of the income, i.e., recurring or non-recurring shall be stated.
  - e. If a material part of the income is dependent upon a single customer/supplier or a few major customers/suppliers, disclosure of this fact along with relevant data. Similarly, if any foreign customer/supplier constitutes a significant portion of the issuer's business, disclosure of the fact along with its impact on the business on account of exchange rate fluctuations.
  - f. In case the issuer has deviated from applicable accounting standards for recording sales and revenues, its impact may be analysed and disclosed.
  - g. The nature of miscellaneous income and miscellaneous expenditure for the interim period and preceding years.
- (iv) Comparison of last three years and the stub period (if any) on the major heads of the profit and loss statement, including an analysis of reasons for the changes in significant items of income and expenditure shall also be given, *inter-alia*, containing the following:
- a. unusual or infrequent events or transactions including unusual trends on account of business activity, unusual items of income, change of accounting policies and discretionary reduction of expenses etc;
  - b. significant economic changes that materially affected or are likely to affect income from continuing operations;
  - c. known trends or uncertainties that have had or are expected to have a material adverse impact on sales, revenue or income from continuing operations;
  - d. expected future changes in relationship between costs and revenues, in case of events such as future increase in labour or material costs or prices that will cause a material change are known;
  - e. the extent to which material increases in net sales or revenue are due to increased sales volume, introduction of new products or services or increased sales prices;
  - f. total turnover of each major industry segment in which the issuer operated;
  - g. status of any publicly announced new products or business segment, if applicable;
  - h. the extent to which business is seasonal;
  - i. any significant dependence on a single or few suppliers or customers;
  - j. competitive conditions.

- (v) 'Management's Discussion and Analysis shall be based on the restated financial information for the last three years and the limited review financial information for the stub period (if any).

**(D) Capitalisation statement**

- (i) Capitalisation Statement showing total borrowings, total equity, and the borrowing/ equity ratios before and after the issue is made shall be incorporated. It shall be prepared on the basis of the restated CFS for the latest financial year or when applicable at the end of the stub period.
- (ii) In case of any change in the share capital since the date as of which the financial information has been disclosed in the letter of offer, a note explaining the nature of the change shall be given.
- (iii) An illustrative format of the Capitalisation Statement is specified hereunder

Particulars	Pre-issue at	As adjusted for the proposed issue
(₹ in xxx)		
<b>Total borrowings</b>		
Current borrowings*		
Non-current borrowings (including current maturity)*		
<b>Total equity</b>		
Equity share capital*		
Other equity*		
<b>Total Capital</b>		
Ratio: Non-current borrowings/ Total equity		

\*These terms shall carry the meaning as per Schedule III of the Companies Act, 2013 (as amended).

**(15) Legal and Other Information:**

**(A) Outstanding Litigations and Material Developments:**

- (1) Pending Litigations involving the issuer/ its directors/ promoters/ subsidiaries:
- (i) All criminal proceedings;
  - (ii) All actions by regulatory authorities and statutory authorities;
  - (iii) Disciplinary action including penalty imposed by SEBI or stock exchanges against the promoters in the last five financial years including outstanding action;
  - (iv) Claims related to direct and indirect taxes, in a consolidated manner, giving the number of cases and total amount;
  - (v) Other pending litigations - As per the policy of materiality defined by the board of directors of the issuer and disclosed in the letter of offer and/or in accordance with the materiality policy framed under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (2) If any of the above mentioned litigations, material developments, dues to creditors etc., arise after the filing the draft letter of offer, the facts shall be incorporated appropriately in the letter of offer. In case there are no such cases, a distinct negative statement is required to be made in this regard in the letter of offer. Material developments since the date of the last balance sheet.

(3) **Disclosures pertaining to wilful defaulters in case of a rights issue:** If the issuer or any of its promoter or director has been declared as a wilful defaulter, it shall make the following disclosures with respect to each such person separately:

- (a) Name of the person declared as a wilful defaulter;
- (b) Name of the Bank declaring the person as a wilful defaulter;
- (c) Year in which the person was declared as a wilful defaulter;
- (d) Outstanding amount when the person was declared as a wilful defaulter;
- (e) Steps taken, if any, by the person for removal of its name from the list of wilful defaulters;
- (f) Other disclosures, as deemed fit by the issuer, in order to enable investors to take an informed decision;
- (g) Any other disclosure as specified by the Board.

(16) **Government approvals:** All material pending government and regulatory approvals pertaining to the objects of the issue.

(17) **Other Regulatory and Statutory Disclosures:**

- (A) Authority for the issue and details of resolution(s) passed for the issue.
- (B) A statement by the issuer that the issuer, promoters, promoter group, directors, person(s) in control of the promoter or issuer, if applicable, are not prohibited from accessing the capital market or debarred from buying, selling or dealing in securities under any order or direction passed by the Board or any securities market regulator in any other jurisdiction or any other authority/court.
- (C) A confirmation that the issuer, its promoters, promoter group is in compliance with the Companies (Significant Beneficial Ownership) Rules, 2018.
- (D) A confirmation whether any of the directors of the issuer are associated with the securities market in any manner, and if yes, any outstanding action against them initiated by the Board in the past five years.
- (E) For a fast track issue, details of compliance with the eligibility requirements.
- (F) Disclaimer clauses:

(1) The letter of offer shall contain the following disclaimer clause in bold capital letters:

"It is to be distinctly understood that submission of the letter of offer to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. SEBI does not take any responsibility either for the financial soundness of any scheme or the project for which the issue is proposed to be made or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the letter of offer. The lead manager(s), has certified that the disclosures made in the letter of offer are generally adequate and are in conformity with the Regulations. This requirement is to facilitate investors to take an informed decision for making investment in the proposed issue.

It should also be clearly understood that while the issuer is primarily responsible for the correctness, adequacy and disclosure of all relevant information in the letter of offer, the lead manager(s) is expected to exercise due diligence to ensure that the issuer discharges its responsibility adequately in this behalf and towards this purpose, the lead manager(s) \_\_\_\_\_ has furnished to SEBI a due diligence certificate dated \_\_\_\_\_ which reads as follows:

*(due diligence certificate submitted to the Board to be reproduced here)*

The filing of the letter of offer does not, however, absolve the issuer from any liabilities under the Companies Act, 2013 or from the requirement of obtaining such statutory or other clearances as may be required for the purpose of the proposed issue. SEBI further reserves the right to take up, at any point of time, with the lead manager(s) any irregularities or lapses in the letter of offer."

- (2) Disclaimer Statement from the issuer and lead manager(s): A statement to the effect that the issuer and the lead manager(s) accept no responsibility for statements made otherwise than in the letter of offer or in the advertisement or any other material issued by or at the instance of the issuer and that anyone placing reliance on any other source of information would be doing so at their own risk.
  - (3) Disclaimer in respect of jurisdiction: A brief paragraph mentioning the jurisdiction under which the provisions of law and the rules and regulations are applicable to the letter of offer.
  - (4) Disclaimer clause of the stock exchanges.
  - (5) Disclaimer clause of the Reserve Bank of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India or of any other relevant regulatory authority.
- (G) Listing: Names of the designated stock exchange and other stock exchanges to which application has been made for listing of the specified securities offered in the present issue.
- (H) Consent of the directors, auditors, solicitors or advocates, lead manager(s), registrar to the issue, bankers to the issuer and experts.
- (I) Expert opinion obtained, if any.
- (J) Performance vis-à-vis objects:
- i. Issuer:
    - (a) A list of all the public/rights issues made during the preceding five years, along with the year of issue.
    - (b) Details of non-achievement of objects, with quantification of shortfall and delays for such public/rights issues.

**(K) Stock market data for equity shares of the issuer, if listed:**

Particulars of:

- (1) high, low and average market prices of the equity shares of the issuer during the preceding three years;
- (2) monthly high and low prices for the six months preceding the date of filing the draft letter of offer with the Board which shall be updated till the time of filing the letter of offer with the designated stock exchange;
- (3) number of shares traded on the days when high and low prices were recorded in the relevant stock exchange(s) during the said period of (a) and (b) above and indicating the total number of days of trading during the preceding six months and the average volume of equity shares traded during that period and a statement if the equity shares were not actively traded;
- (4) stock market data referred to above shall be shown separately for periods marked by a change in capital structure, with such period commencing from the date the relevant stock exchange recognises the change in the capital structure (e.g. when the shares have become ex-rights or ex-bonus);
- (5) market price of equity shares immediately after the date on which the resolution of the board of directors approving the issue;
- (6) volume of securities traded in each month during the six months preceding the date on which the letter of offer with the designated stock exchange; and
- (7) volume of shares traded along with high, low and average prices of shares of the issuer shall also be stated for respective periods.

**Explanation:** If the equity shares of the issuer are listed on more than one stock exchange, the above information shall be provided for each stock exchange separately. Average market prices in point (1) above should be calculated on closing price on the stock exchange.

- (L) The fact of filing the letter of offer with the Board and the stock exchange(s) and the office of the Board where the letter of offer has been filed.
- (M) Arrangements or any mechanism evolved by the issuer for redressal of investor grievances and the time normally taken by it for disposal of various types of investor grievances.

**(18) Offering Information:**

- (1) Terms of payments and procedure and time schedule for allotment and demat credit of securities.
- (2) How to apply, availability of application forms and letter of offer and mode of payment, including the following:
  - (a) Applications by mutual funds:
    1. A statement under the heads "Procedure for applications by mutual funds" and "Multiple Applications" to indicate that a separate application can be made in respect of each scheme of an Indian mutual fund registered with the Board and that such applications shall not be treated as multiple applications.
    2. A statement that the application made by an asset management company or by custodian of a mutual fund shall clearly indicate the name of the concerned scheme for which the application is being made.
  - (b) Applications by non-resident Indians:
    1. the name and address of at least one place in India from where individual non-resident Indian applicants can obtain the application forms.
  - (c) Application by ASBA investors: Details of Application Supported by Blocked Amount process including specific instructions for submitting Application Supported by Blocked Amount.
  - (d) A statement that the shareholders who have not received the application form can apply, along with the requisite application money, by making an application that is available on the website of registrar, stock exchanges, lead managers or on a plain paper with same details as per application form available online.
  - (e) The format to enable shareholders to make an application on a plain paper specifying therein necessary particulars such as name, address, ratio of rights issue, issue price, number of equity shares held, depository participant ID, client ID, number of equity shares applied for, amount to be blocked with SCSB for using ASBA facility. Application form available online on the website of registrar, stock exchanges, lead managers may be used for providing requisite details;
  - (f) A statement that shareholders making an application on a plain paper cannot renounce their rights and shall not utilise the application form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.
- (3) Dealing with Fractional Entitlement: Manner of dealing with fractional entitlement viz. payment of the equivalent of the value, if any, of the fractional rights in cash etc.
- (4) Provisions of the Companies Act, 2013, as relating to punishment for fictitious applications, including the disclosures that any person who:
  - d) makes or abets making of an application in a fictitious name to a company for acquiring, or subscribing for, its securities; or
  - e) makes or abets making of multiple applications to a company in different names or in different combinations of his/her name or surname for acquiring or subscribing for its securities; or
  - f) otherwise induces directly or indirectly a company to allot, or register any transfer of, securities to such person, or to any other person in a fictitious name.

Provided that any penalty imposed pursuant to Companies Act, 2013 shall also be disclosed.

- (5) A statement that credit of specified securities to the demat account/ issuing instructions for un-blocking of ASBA shall be done within a period of fifteen days and interest shall be payable in case of delay in issuing instructions for un-blocking of ASBA at the prescribed rate. In cases where refunds are applicable, such refunds shall be made within a period of fifteen days and interest shall be payable in case of delay. Liability of issuer and its directors (who are officers in default) to issue instructions for unblocking/ make refunds along with specified rate of interest shall also be mentioned, in case refunds not made within the specified timeline.



## (6) Mode of making refunds:

- a) The mode in which the issuer shall make refunds to applicants in case of an oversubscription or failure to list or otherwise.
- b) If the issuer proposes to use more than one mode of making refunds to applicants, the respective cases where each such mode will be adopted shall be disclosed.
- c) The permissible modes of making refunds are as follows:

## (i) Unblocking amounts blocked using ASBA facility

(ii) In case of applicants residing in any of the centres specified by the Board: by crediting of refunds to the bank accounts of applicants through electronic transfer of funds by using Direct Credit, RTGS (Real Time Gross Settlement) or NEFT (National Electronic Funds Transfer) or NACH (National Automated Clearing House), as applicable, as is for the time being permitted by the Reserve Bank of India;

(iii) In case of other applicants: by dispatch of refund orders by registered post, where the value is ₹1500/- or more, or under certificate of posting in other cases, (subject however to postal rules); and

(iv) In case of any category of applicants specified by the Board: crediting of refunds to the applicants in any electronic manner permissible by the Board.

**(19) Undertaking by the issuer:**

## a) The following undertaking by the issuer shall be disclosed:

- (i) that the complaints received in respect of the issue shall be attended to by the issuer expeditiously and satisfactorily;
- (ii) that all steps for completion of the necessary formalities for listing and commencement of trading at all stock exchanges where the securities are to be listed are taken within the period prescribed by the Board;
- (iii) that the funds required for unblocking to unsuccessful applicants as per the mode(s) disclosed shall be made available to the registrar to the issue by the issuer;
- (iv) that no further issue of securities shall be made till the securities offered through the letter of offer are listed or till the application monies are refunded on account of non-listing, under subscription, etc., other than as disclosed in accordance with Regulation 56;
- (v) where refunds are made through electronic transfer of funds, a suitable communication shall be sent to the applicant within 15 days of closure of the issue giving details of the bank where refunds shall be credited along with amount and expected date of electronic credit of refund.
- (vi) where release of block on the application amount for unsuccessful bidders or part of the application amount in case of proportionate allotment, a suitable communication shall be sent to the applicants.
- (vii) adequate arrangements shall be made to collect all ASBA applications.
- (viii) in case of convertible debt instruments, the issuer shall additionally undertake that:
  - (A) it shall forward the details of utilisation of the funds raised through the convertible debt instruments, duly certified by the statutory auditors of the issuer, to the debenture trustee at the end of each half-year.
  - (B) it shall disclose the name and address of the debenture trustee in the annual report.
  - (C) it shall provide a compliance certificate to the convertible debt instrument holders on a yearly basis in respect of compliance with the terms and conditions of issue of debentures as contained in the Letter of Offer, duly certified by the debenture trustee.
  - (D) it shall furnish a confirmation certificate that the security created by the issuer in favour of the convertible debt instrument holders is properly maintained and is adequate to meet the payment obligations towards the convertible debt instrument holders in the event of a default.
  - (E) it shall extend necessary cooperation to the credit rating agency(ies) in providing the requisite information in a true and adequate manner till the debt obligations in respect of the instrument are outstanding.

**(20) Utilisation of Issue Proceeds:** The letter of offer, other than for an issue made by a scheduled commercial bank or a public financial institution, shall contain a statement of the board of directors of the issuer to the effect that:

- (A) all monies received out of issue of shares or specified securities to the public shall be transferred to a separate bank account.
- (B) details of all monies utilised out of the issue referred to in clause (A) shall be disclosed under an appropriate separate head in the balance sheet of the issuer indicating the purpose for which such monies had been utilised; and
- (C) details of all unutilised monies out of the issue of specified securities referred to in clause (A) shall be disclosed under an appropriate separate head in the balance sheet of the issuer indicating the form in which such unutilised monies have been invested.

**(21) Restrictions on foreign ownership of Indian securities, if any:**

- (A) Investment by NRIs.
- (B) Investment by foreign portfolio investors and foreign venture capital investors.
- (C) Investment by other non-residents.

**(22) Statutory and other information:**

- (A) Allotment of specified securities shall be in the dematerialised form.
- (B) Material contracts and time and place of inspection which shall include copies of the Annual Reports of the issuer for the last five years.

**(23) Any other material disclosures, as deemed necessary.**

**(24) Other Information:**

The draft letter of offer (in case of issues other than fast track issues) and the letter of offer shall be approved by the Board of Directors of the issuer and shall be signed by all directors including the Managing Director within the meaning of the Companies Act, 2013 or Manager, within the meaning of the Companies Act, 2013 and the Chief Financial Officer or any other person heading the finance function and discharging that function. The signatories shall further certify that all disclosures are true and correct.

An issuer shall make a copy of the offer document of the immediately preceding public issue or rights issue available to the public in the manner specified in these regulations and shall also make such document available as a material document for inspection.

**DECLARATION BY THE ISSUER:** We hereby declare that all relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the guidelines/regulations issued by the Government of India or the guidelines/regulations issued by the Securities and Exchange Board of India, established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, as the case may be, have been complied with and no statement made in the letter of offer is contrary to the provisions of the Companies Act, 2013, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or rules made or guidelines or regulations issued there under, as the case may be. We further certify that all statements are true and correct.”

- c. In Part E, in the title reference the words “, 71(2)(d)” shall be omitted;
- d. Part F, shall be substituted with the following, namely,

**“Part F - Disclosures in an abridged letter of offer**

**[See regulation [71(2)(d) and] 75]**

An abridged letter of offer (“**ALOF**”) shall contain information as is material and appropriate to enable investors to make an informed decision. This Part F shall apply to issuers making rights issues with disclosures in the letter of offer specified under Part B or Part B-1 of this Schedule.

**General Instructions:**

- (I) ALOF shall be printed in a booklet form of A4 size paper and, along with the application form.

- (II) The ALOF shall be printed in a font size which shall not be visually smaller than Times New Roman size 11 (or equivalent) with 1.0 line spacing.
- (III) The application form shall be so positioned that on the tearing-off of the application form, no part of the ALOF is mutilated.

**FOR THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY ONLY**

This is an Abridged Letter of Offer containing salient features of the Letter of Offer dated XXX (“**Letter of Offer**”) which is available on the websites of the Registrar, our Company, the Lead Managers and the stock exchanges where the Equity Shares of our Company are listed, *i.e.*, BSE Limited (“**BSE**”) and National Stock Exchange of India Limited (“**NSE**”, and together with BSE, the “**Stock Exchanges**”). You are encouraged to read greater details available in the Letter of Offer. Capitalized terms not specifically defined herein shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer.

**THIS ABRIDGED LETTER OF OFFER CONTAINS XXX PAGES. PLEASE ENSURE THAT YOU HAVE RECEIVED ALL THE PAGES**

Our Company has made available on the Registrar’s website at xxx and the Company’s website at xxx, this Abridged Letter of Offer and the Application Form for the Eligible Equity Shareholders. You may also download the Letter of Offer from the websites of the Securities and Exchange Board of India (“**SEBI**”), the Stock Exchanges and the Lead Managers, *i.e.*, at xxx, respectively.]

Logo and Name of the Company

Registered and Corporate Office Address, telephone number

Contact Person name, designation, email address

Company website address

CIN number of the Issuer Company

Promoter(s) of the Company:

Issue details to be provided including ratio of rights offering.

Listing and details of in-principle approval from stock exchanges.

Eligibility for the Issue: State whether company is eligible for rights issue under Part B or Part B-1 of Schedule VI and Fast Track.

Minimum Subscription: If applicable provide details of the same.

**INDICATIVE TIMETABLE**

Issue Opening Date		Date of Allotment / Initiation of Refunds (on or about)	
Last Date for On Market Renunciation		Date of credit of Equity Shares to demat account of Allottees (on or about)	
Issue Closing Date		Date of listing / Commencement of trading of Equity	
Finalisation of basis of Allotment (on or about)		Shares on the Stock Exchanges (on or about)	

**GENERAL RISKS**

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on

their own examination of our Company and this Issue including the risks involved. The Equity Shares have neither been recommended nor approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Letter of Offer. Specific attention of the Investors is invited to the section “*Risk Factors*” on page xxx of the Letter of Offer and “*Internal Risk factors*” on page xxx of this Abridged Letter of Offer before making an investment in the Issue.

Names of Lead Managers and Contact Details			
Registrar and Contact Details			
Statutory Auditor(s) name			
Self-Certified Syndicate Bank	Details of SEBI website providing requisite details		
Banker to the Issue			

Following information shall be provided

1. Summary of business.
2. Summary of Objects of the Issue and Means of Finance.
3. Name of Monitoring Agency.
4. Equity shareholding pattern: Shareholding pattern as included in Letter of Offer in summarised form giving details for categories such as Promoter and Promoter Group, Public, Non promoter-non Public and number of shares held and % holding in tabular form.
5. Board of Directors of the Issuer: Name, designation and other directorships of the members of the Board.
6. Details of the Issuer or any of its promoters or directors being a wilful defaulter.
7. Financial Statement Summary: For last audited full year and latest limited reviewed stub period as disclosed in the Letter of Offer prepared under Part B. In case of companies who have used Part B- 1 disclosure framework financial summary for periods included in Letter of Offer shall be disclosed.

Particulars	Latest stub period	Latest full year period
Total Income from Operations (net)		
Net Profit/(Loss) before Tax and extraordinary items		
Profit/(Loss) after Tax and extraordinary items		
Equity Share Capital		
Reserves and Surplus		
Net Worth		
Basic earnings per share		
Diluted earnings per share		
Net asset value per share		
Return on Net Worth (RONW)		

Note: Particulars mentioned above are indicative and may be suitably modified. Ratios cannot be annualised except RONW.

8. Internal Risk Factors: (Minimum of top 5 but not exceeding top 10 internal risk factors to be provided. Word limit 500)
9. Summary table of Outstanding Litigations as disclosed in the Letter of Offer.
10. Terms of the Issue: The abridged letter of offer shall also include the particulars of the issue including the procedure for application and renunciation as applicable for a rights issue and the following disclosures:
  - (a) Provisions pertaining to applications referred to in sub-regulations (1), (2) and (3) of regulation 78;

- (b) Rights entitlement ratio;
  - (c) Fractional entitlements;
  - (d) Renunciation;
  - (e) Application for additional equity shares;
  - (f) Intention of promoters to subscribe to their rights entitlement;
  - (g) Statement that a copy of the offer document of the immediately preceding public or rights issue is available in the manner specified in the regulations and also as a material document for inspection.
11. Any other important information as per Lead Managers and the Issuer.
12. Declaration: As included in Letter of Offer, with date and place mentioned.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./258/2020-21]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
  - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
  - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
  - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
  - (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
  - (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
  - (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
  - (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
  - (h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
  - (i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
  - (j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
  - (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
  - (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.
  - (m) July 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.